

[2019] 7 एस. सी. आर. 738

बिहार राज्य और अन्य

बनाम्

बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति, मुंगेर और अन्य

(अपील संख्या 4862/2019 आदि)

10 मई, 2019

[अभय मनोहर सेप्रे और उदय उमेश ललित, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून:

वेतन समानता/'समान काम के लिए समान वेतन'-नियोजित शिक्षकों द्वारा की गई माँग [बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तें) नियम, 2006 के तहत नियुक्त]-सरकारी शिक्षकों के संवर्ग के साथ-अनुमति-अभिनिर्धारित किया: जिन सरकारी शिक्षकों के साथ समानता की मांग की गई है, वे एक मरणासन्न लुप्त संवर्ग थे-नियोजित शिक्षकों की भर्ती का तरीका सरकारी शिक्षकों की तुलना में पूरी तरह से अलग था-एक वेतन संरचना आमतौर पर 'भर्ती की विधि' और 'नियोक्ता की भुगतान करने की क्षमता' जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए विकसित की जाती है-भर्ती की प्रक्रिया में अंतर 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की प्रयोज्यता की सीमाओं/योग्यताओं में से एक है-राज्य द्वारा राज्य के दूरदराज के कोने तक शिक्षा का प्रसार करने के लिए की गई प्रगति केवल राज्य के संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग से संभव थी-संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और किन कारकों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, वे नीतिगत मामले हैं-पंचायती राज संस्थाओं को चयन की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना और सरकारी शिक्षकों के संवर्ग को मरणासन्न लुप्त संवर्ग की अवस्था में

छोड़ना सरकार द्वारा शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य को प्राप्त करने के तंत्र का हिस्सा थे और एकीकृत नीति का हिस्सा थे-ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप जबरदस्त असंतुलन पैदा कर सकता है और बजटीय संसाधनों पर बहुत दबाव डाल सकता है- इस प्रकार, न तो नियोजित शिक्षकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और न ही उनके खिलाफ कोई भेदभाव हुआ है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 21-बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009।

सिद्धांतः

'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत-की प्रयोज्यता।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

यू. यू. ललित, न्यायमूर्ति के अनुसार:

1. सरकारी शिक्षकों का कैडर जिसके साथ नियोजित शिक्षकों [बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तें) नियम, 2006 के तहत नियुक्त] द्वारा समता या समानता की मांग की गई है, एक मरणासन्न/मृत्यु संवर्ग है।राज्य द्वारा सरकारी शिक्षकों के इस संवर्ग में कोई नियुक्ति नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया गया था और 2006 के बाद, अपवादों के साथ, राज्य में सभी नियुक्तियां 2006 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार और उनके तहत की गई हैं।आंकड़े यह भी बताते हैं कि वर्तमान में लगभग 57,293 प्राथमिक शिक्षक सरकारी शिक्षकों के संवर्ग में हैं और माध्यमिक स्तर पर 7800 सरकारी शिक्षक, जिसका अर्थ है कि राज्य में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों की तुलना में राज्य में लगभग 66,000 सरकारी शिक्षक हैं। यह 4 लाख का समूह है जो एक संख्या के साथ समानता की मांग कर रहा है जो उनके 1/5 वें से कम है और जो स्वभाव से ही एक मरणासन्न और लुप्त होने वाला कैडर है।उन 66,000 में से 31,000 से अधिक ऐसे लोग थे जिन्हें एक बार अपवाद के रूप में नियुक्त किया गया था।इस मुद्दे को दरकिनार करते हुए, तथ्य यह है कि यह 4 लाख से अधिक का एक बड़ा निकाय है जो एक मरने वाले या गायब होने वाले संवर्ग के साथ बराबरी की मांग कर रहा है। [पैरा 58]

2. इस न्यायालय ने निम्नलिखित सीमाओं या योग्यताओं को 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए स्वीकार किया है:- (i) 'समान काम के लिए समान वेतन' का सिद्धांत एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है। (ii) 'समान काम के लिए समान वेतन' के सिद्धांत का हर मामले में मशीनी तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकता। (iii) यह तथ्य कि व्यक्ति भर्ती की प्रक्रिया से नहीं गुजरा है, अपने आप ही कुछ मामलों में अंतर पैदा कर सकता है। (iv) 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को लागू करने के लिए किसी दिए गए कार्य के विभिन्न आयामों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। (v) इस प्रकार सामान्य रूप से इस सिद्धांत की प्रयोज्यता का मूल्यांकन और निर्धारण एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। ये ऐसे मामले नहीं हैं जहां एक रिट अदालत हल्के से हस्तक्षेप कर सकती है। (vi) वेतनमान प्रदान करना विशुद्ध रूप से एक कार्यकारी कार्य है और इसलिए न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है जिससे सरकार और प्राधिकरणों के लिए सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। (vii) पदों और वेतन का समीकरण एक जटिल मामला है जिसे एक विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। (viii) न्यायालय द्वारा वेतन समानता प्रदान करने के परिणामस्वरूप एक व्यापक प्रभाव और प्रतिक्रिया हो सकती है जिसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। (ix) समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर दावे पर विचार करने और उसे स्वीकार करने से पहले, न्यायालय को भर्ती/नियुक्ति के स्रोत और तरीके जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। (x) किसी दिए गए मामले में, चयन के तरीके को उन कारकों में से एक माना जा सकता है जो अंतर ला सकते हैं। [पैरा 68] [842-बी-जी]

3. यह राज्य के लिए खुला था कि, दो अलग-अलग कैडर 'सरकारी शिक्षक' और 'नियोजित शिक्षक' रखा जाए जहाँ सरकारी शिक्षक एक मरणासन्न लुप्त होने वाला संवर्ग है। इन दोनों संवर्गों का अनुषंग अलग-अलग हो सकता है। यह विचार अपने आप में भेदभावपूर्ण नहीं होगा। नियोजित शिक्षकों को दिया जाने वाला वेतन निश्चित रूप से सरकारी शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन से कम था, लेकिन सरकारी शिक्षकों की संख्या नियोजित शिक्षकों की संख्या से काफी कम थी। वर्तमान में राज्य में लगभग 4

लाख नियोजित शिक्षकों की तुलना में लगभग केवल 66,000 सरकारी शिक्षक हैं। लगभग 1 लाख शिक्षकों की और नियुक्ति की गुंजाइश है जिसका अर्थ यह हो सकता है कि 5 लाख शिक्षकों की तुलना में राज्य शिक्षकों की संख्या उत्तरोत्तर कम हो जाएगी। नियोजित शिक्षकों की भर्ती का तरीका सरकारी शिक्षकों के भर्ती के तरीके से बिल्कुल अलग है। [पैरा 76] [855-ई-एच; 856-ए-बी]

4. यदि वेतन संरचना को सामान्य रूप से "भर्ती की विधि" और "नियोक्ता की भुगतान करने की क्षमता" जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना है और यदि "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत की प्रयोज्यता की सीमाएं या योग्यताएं अन्य बातों के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया के आधार पर अंतर को स्वीकार करती हैं, तो राज्य सरकार की ओर से लिया गया रुख अनुचित या तर्कहीन नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और आंकड़ों को देखते हुए, दूरस्थ कोनों में शिक्षा का प्रसार और पहुंच बनाना एक बहुत बड़ा काम था। इसके अलावा, राज्य की साक्षरता दर जो राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे थी, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता थी। इन मोर्चों पर राज्य द्वारा की गई प्रगति काफी स्पष्ट है। यह सब संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग से संभव हुआ। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करें और किस कारक पर कितना जोर दिया जाना चाहिए, ये सभी नीतिगत मामले हैं और राज्य किसी भी मामले में विफल नहीं हुआ है। राज्य में दो अलग-अलग धाराएँ या संवर्ग होना उचित था। पंचायती राज संस्थानों में चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और राज्य शिक्षकों के कैडर को मरणासन्न छोड़ देने का प्रयास शिक्षा के प्रसार को प्राप्त करने के उसी तंत्र का हिस्सा था। ये सभी मुद्दे एक एकीकृत नीति का हिस्सा थे और यदि न्यायिक हस्तक्षेप की प्रक्रिया द्वारा नियोजित शिक्षकों को समान वेतन और परिलब्धियां उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्देश जारी किए जाते हैं तो यह जबरदस्त असंतुलन पैदा कर सकता है और बजटीय संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव डाल सकता है। [पैरा 77] [856-बी-एफ]

5. यह सच है कि यदि एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो बजटीय बाधाएं या वित्तीय निहितार्थ कभी भी एक आधार नहीं हो सकते हैं। इसी

तरह, बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अर्थ लगाते हुए, उस व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए जो अनुच्छेद 21 ए के तहत उपलब्ध अधिकार को वास्तविकता बना देगा। जैसा कि लेख के पाठ से पता चलता है कि प्रावधान मूल रूप से बाल-केंद्रित है। इस मुद्दे के संबंध में दो विचार नहीं हो सकते हैं कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। हालांकि, इस तरह के आधार से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए, नियोजित शिक्षकों को उसी स्तर पर वेतन दिया जाना चाहिए जो राज्य के शिक्षकों पर लागू होता है। जिन तौर-तरीकों से विशेषज्ञ शिक्षकों को खोजा जा सकता है, चाहे उन्हें बेहतर पैमाना देकर और/या न्यूनतम क्षमता पर जोर देकर, जिसका परीक्षण टीईटी परीक्षा जैसी परीक्षाओं के माध्यम से किया जा सकता है, उन पर कार्यपालिका को विचार करना है। [पैरा 78] [856-जी-एच; 857-ए-बी]

6. नियोजित शिक्षकों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही उनके साथ कोई भेदभाव किया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों को अनुचित या भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। नतीजतन, इस बारे में प्रस्तुतियाँ कि धन कैसे उत्पन्न किया जा सकता है और कैसे उत्पन्न किया जाना चाहिए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर कितना बोझ होगा, यह विचार के लिए नहीं उठती है। [पैरा 79] [857-बी-सी]

7. पिछले दशक में राज्य ने बड़ी प्रगति की है। इसने खुद को सक्रिय किया है और न केवल हर पड़ोस में विद्यालय होने के उद्देश्यों को हासिल किया है, बल्कि साक्षरता दर बढ़ाने में भी सफल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अधिक बालिकाएँ होने में सफलता मिली और इसके परिणामस्वरूप टी. एफ. आर. में भी काफी सुधार हुआ है। यदि ये ऐसे लाभ या पुरस्कार हैं जिन्हें समाज प्राप्त करने के लिए खड़ा है, तो राज्य को उचित स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। राज्य द्वारा अभिलेख पर रखे गए सारणीबद्ध चार्ट भी नियोजित शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए पैकेजों में राज्य द्वारा किए गए निरंतर सुधारों को दर्शाते हैं। उक्त प्रयास यह भी दर्शाते हैं कि राज्य सही दिशा में आगे बढ़

रहा है और वर्तमान में सरकारी शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों के बीच जो अंतर है, वह उत्तरोत्तर कम होता जाएगा। सरकारी शिक्षकों की तुलना में बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों के होने को ध्यान में रखते हुए, राज्य द्वारा उठाए गए कदम जो उसके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सारणीबद्ध चार्ट से स्पष्ट हैं, सही दिशा में हैं। इस स्थिति में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई भी निर्देश उस गति को तोड़ सकता है जिसे राज्य लगातार हासिल करने में सक्षम रहा है। [पैरा 79] [857-डी-एफ]

8. प्रारंभिक चरण में नियोजित शिक्षकों को ऐसे वेतन दिए जाते थे जो एक ही स्कूल में चपरासियों और क्लर्कों से कम होते थे, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह सच है कि इसके बाद दो साल की सेवा के बाद, नियोजित शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए परिलब्धियों में कुछ सुधार दिखाई देते हैं, लेकिन प्रारंभिक चरण में असमानता काफी स्पष्ट है। राज्य निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों के लिए एक वेतन संरचना तैयार करने का हकदार हो सकता है और अदालतें नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, लेकिन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रकृति का असंतुलन हो, तो यह मामला चिंता पैदा करता है। शिक्षकों को उचित परिलब्धियों का अधिकार होना चाहिए। तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के अनुसार दो साल की सेवा के बाद, प्रस्तावित अभिवृद्धि में नियोजित शिक्षकों को देय मानकों में, चपरासी और लिपिकों की तुलना में, कुछ वृद्धि दिखाई देगी। राज्य समिति द्वारा सुझाए गए किसी भी परीक्षण या परीक्षा पर जोर दिए बिना, कम से कम समिति द्वारा सुझाए गए स्तर तक नियोजित शिक्षकों के मानकों को बढ़ाने पर विचार कर सकता है। जो लोग इस तरह की परीक्षा या परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें और भी बेहतर अंक दिए जा सकते हैं। यह केवल एक सुझाव है जिस पर राज्य द्वारा विचार किया जा सकता है। [पैरा 80] [857-जी-एच; 858-ए-सी]

पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह 1963 पूरक 2 एस. सी. आर. 169; जबर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1972) 2 एस. सी. सी. 275:[1973] 1 एस. सी. आर. 608-अग्रसारित।

पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य (2017) 1 एस. सी. सी. 148:[2016] 7 एससीआर 350-जेसा कि क्यूरियम में था।

नंद किशोर ओझा बनाम अंजनी कुमार सिंह (2014) 11 एस. सी. सी. 405; जयपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य ए. आई. आर 1988 एस. सी. 1504:[1988] 1 पूरक एससीआर 411; तारसेम लाल गौतम और एक अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और अन्य (1989) 1 एससीसी 182:[1988] 3 पूरक एस. सी. आर. 479; वी. मार्कडेय और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (1989) 3 एससीसी 191:[1989] 2 एससीआर 422; धारवाड़ जिला पी. डब्ल्यू. डी. साक्षर दैनिक वेतन कर्मचारी संघ और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (1990) 2 एस. सी. सी. 396:[1990] 1 एससीआर 544;सचिव, वित्त विभाग और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य 1993 पूरक (1) एससीसी 153:[1992] 1 एससीआर 897; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मंत्रिस्तरीय कर्मचारी संघ (1998) 1 एस. सी. सी. 422:[1997] 4 पूरक एस. सी. आर. 484; हरियाणा राज्य और एक अन्य बनाम हरियाणा सिविल सचिवालय पर्सनल स्टाफ एसोसिएशन (2002) 6 एस. सी. सी. 72:[2002] 1 पूरक एस. सी. आर 118; एस. सी. चंद्रा और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2007) 8 एस. सी. सी. 279:[2007] 9 एस. सी. आर. 130; आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य (2008) 10 एस. सी. सी. 1; पंजाब राज्य और एक अन्य बनाम सुरजीत सिंह और अन्य (2009) 9 एस. सी. सी. 514:[2009] 12 एससीआर 394; भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और अन्य

बनाम दिव्येंदु भट्टाचार्य (2011) 11 एससीसी 122:[2010] 13
 एससीआर 429; गोपाल चावला और अन्य बनाम मध्य प्रदेश
 राज्य और अन्य (2014) 13 एस. सी. सी. 792; एम. एम.
 एल. औरोरा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1995 पूरक
 (1) एस. सी. सी. 279; बिडी सप्लाई कंपनी बनाम भारत संघ
 और अन्य 1956 एस. सी. आर. 267; गुजरात राज्य और एक
 अन्य बनाम श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद और एक
 अन्य (1974) 4 एससीसी 656:[1974] 3 एस. सी. आर.
 760; कानूनी मामलों के अधीक्षक और अनुस्मारक, पश्चिम बंगाल
 बनाम गिरीश कुमार नवलखा और अन्य (1975) 4 एस. सी. सी.
 754:[1975] 3 एससीआर 802; श्री अमर मठ के महामहिम श्री
 स्वामीजी और अन्य बनाम आयुक्त, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ
 बंदोबस्ती विभाग और अन्य (1979) 4 एस. सी. सी. 642:
 [1980] 1 एससीआर 368; कर्नल ए. एस. अय्यर और अन्य
 बनाम वी. बालासुब्रमण्यम और अन्य (1980) 1 एससीसी 634:
 [1980] 1 एस. सी. आर. 1036; जावेद नियाज बेग और एक
 अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य 1980 पूरक एस. सी. सी.
 155; मालपे विश्वनाथ आचार्य और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य
 और अन्य (1998) 2 एस. सी. सी. 1:[1997] 6 पूरक।एस.
 सी. आर. 717; जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और
 अन्य (2003) 8 एस. सी. सी. 369:[2003] 1 पूरक
 एससीआर 947; महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम जलगांव नगर
 परिषद और अन्य (2003) 9 एससीसी 731:[2003] 1 एस.
 सी. आर. 1112; सूराराम प्रताप रेड्डी और अन्य बनाम जिला
 समाहर्ता, रंगा रेड्डी जिला और अन्य (2008) 9 एस. सी. सी.
 552:[2008] 13 एससीआर 126; शिवशक्ति चीनी लिमिटेड
 बनाम श्री रेणुका शुगर लिमिटेड और अन्य (2017) 7 एससीसी

729; किशोरी मोहनलाल बख्शी बनाम भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1139; रणधीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (1982) 1 एस. सी. सी. 618:[1982] 3 एससीआर 298; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम जसमेर सिंह और अन्य (1996) 11 एस. सी. सी. 77:[1996] 8 पूरक एससीआर 592; उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम मनोज के. मोहंती (2003) 5 एससीसी 188: [2003] 3 एस. सी. आर. 753; पश्चिम बंगाल सरकार बनाम तरुण के. रॉय और अन्य (2004) 1 एससीसी 347:[2003] 5 पूरकएससीआर 656; इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2007) 1 एससीसी 408:[2006] 9 पूरक।एस. सी. आर. 73; धीरेंद्र चमोली और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1986) 1 एस. सी. सी. 637; भगवान दास और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1987) 4 एस. सी. सी. 634: [1987] 3 एससीआर 714; अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य (2008) 6 एससीसी 1:[2008] 4 एस. सी. आर. 1; राजस्थान के गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों की सोसाईटी बनाम भारत संघ और एक अन्य (2012) 6 एस. सी. सी. 1:[2012] 2 एससीआर 715; कर्नाटक स्टेट प्राइवेट कॉलेज स्टॉप-गैप लेक्चरर्स संघ बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (1992) 2 एससीसी 29:[1992] 1 एस. सी. आर. 397; बसीरउद्दीन एम. मदारी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 1995 पूरक (4) एस. सी. सी. 111; उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य बनाम आनंद कुमार यादव और अन्य (2018) 13 एस. सी. सी. 560:[2017] 10 एससीआर 428; उन्नी कृष्णन, जे. पी. और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (1993) 1 एस.

सी. सी. 645:[1993] 1 एससीआर 594; एम. सी. मेहता बनाम टी. एन. राज्य और अन्य (1996) 6 एस. सी. सी. 756: [1996] 9 पूरकाएस. सी. आर. 726; सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य (2006) 4 एस. सी. सी. 1:[2006] 3 एस. सी. आर. 953; गुजरात राज्य और एक अन्य बनाम रमन लाल केशव लाल सोनी और अन्य (1983) 2 एस. सी. सी. 33:[1983] 2 एससीआर 287; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम चंद्र प्रकाश पांडे और अन्य (2001) 4 एस. सी. सी. 78:[2001] 2 एससीआर 506; शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य (2017) 9 एससीसी 1:[2017] 7 एस. सी. आर. 797; ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और एक अन्य (1974) 4 एस. सी. सी. 3:[1974] 2 एस. सी. आर. 348; हुसैनारा खातून और अन्य (IV) बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना (1980) 1 एस. सी. सी. 98:[1979] 3 एस. सी. आर. 532; खत्री और अन्य (II) बनाम बिहार राज्य और अन्य (1981) 1 एस. सी. सी. 627:[1981] 2 एस. सी. आर. 408; बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य (2012) 6 एस. सी. सी. 502:[2012] 5 एस. सी. आर. 305; अरिंदम चट्टोपाध्याय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (2013) 4 एस. सी. सी. 152; बिहार राज्य सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ बनाम बिहार शिक्षा सेवा संघ और अन्य (2012) 13 एस. सी. सी. 33:[2012] 11 एससीआर 50; उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम शिव कुमार पाठक और अन्य (2018) 12 एससीसी 595:[2017] 7 एससीआर 905; नगर परिषद, रतलाम बनाम श्री वर्दीचंद और अन्य (1980) 4 एस. सी. सी. 162:[1981] 1 एससीआर 97; सचिव और महात्मा गांधी मिशन और एक अन्य बनाम भारतीय कामगार सेना

और अन्य (2017) 4 एससीसी 449; मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (1992) 3 एससीसी 666:[1992] 3 एससीआर 658; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम एच. पी. राज्य मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त स्कूलों की प्रबंधन समितियाँ और अन्य (1995) 4 एस. सी. सी. 507; (1992) 1 एस. सी. सी. 290:[1991] 2 पूरक एससीआर 129; चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम रजनी वली और अन्य (2000) 2 एससीसी 42: [2000] 1 एस. सी. आर. 158; मेनका गांधी बनाम भारत संघ और एक अन्य (1978) 1 एस. सी. सी. 248:[1978] 2 एससीआर 621; हरियाणा राज्य और एक अन्य बनाम तिलक राज और अन्य (2003) 6 एससीसी 123:[2003] 1 पूरक एस. सी. आर. 522; अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ बनाम राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण और अन्य (1962) 3 एस. सी. आर. 269; नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ (2018) 10 एस. सी. सी. 1:[2018] 7 एससीआर 379; आचार्य महाराजश्री नरेंद्र प्रसादजी आनंदप्रसादजी महाराज और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (1975) 1 एससीसी 11:[1975] 2 एस. सी. आर. 317; असम सनमिलिता महासंघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2015) 3 एस. सी. सी. 1; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, विधि मंत्रालय और अन्य (2016) 7 एस. सी. सी. 221:[2016] 3 एससीआर 865; किशोरी मोहनलाल बख्शी बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1139-संदर्भित।

न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे के अनुसार (सहमत)

अभिनिर्धारित: वर्तमान अपीलों में शामिल प्रश्न का निर्णय जोगिंदर सिंह और जबर सिंह मामलों में दिए गए संविधान पीठ के दो निर्णयों द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में किया जाना चाहिए। प्रथमतः क्योंकि यह एक निर्णय है जो संविधान पीठ द्वारा दिया गया है; दूसरा क्योंकि यह समय की दृष्टि से पूर्ववर्ती है; और तीसरा क्योंकि बाद के निर्णयों में निर्धारित कानून को संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। [पैरा 9] [860-एफ-जी]

* पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह 1963 पूरक (2) एससीआर 169; * * जबर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1972) 2 एससीसी 275:[1973] 1 एस. सी. आर. 608-अग्रसारित।

बिडी सप्लाई कं. वी.भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. 1956 एससी 479:[1956] एससीआर 267; एन. मीरा रानी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य ए. आई. आर 1989 एस. सी. 2027:[1989] 3 एससीआर 901-पर निर्भर।

रामेश्वर शॉ बनाम जिला दंडाधिकारी, बर्दवान ए. आई. आर 1964 एस. सी 334: [1964] एस. सी. आर. 921-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति के निर्णय में

(2014) 11 एससीसी 405	को संदर्भित	पैरा 17
[1988] 1 पूरक एससीआर 411	को संदर्भित	पैरा 24
[1988] 3 पूरक एससीआर 479	को संदर्भित	पैरा 31(ए)
[1989] 2 एससीआर 422	को संदर्भित	पैरा 31(ए)

[1990] 1 एससीआर 544	को संदर्भित	पैरा 31(ए)
[1997] 4 पूरक एससीआर 484	को संदर्भित	पैरा 31(ए)
[2002] 1 पूरक।एससीआर 118	को संदर्भित	पैरा 31(ए)
[2007] 9 एससीआर 130	को संदर्भित	पैरा 31(ए)
(2008) 10 एससीसी 1	को संदर्भित	पैरा 31(बी)
[2009] 12 एस. सी. आर. 394	को संदर्भित	पैरा 31(बी)
[2010] 13 एससीआर 429	को संदर्भित	पैरा 31(बी)
(2014) 13 एस. सी. सी. 792	को संदर्भित	पैरा 31(बी)
1995 सप.(1) एस. सी. सी 279	को संदर्भित	पैरा 31(बी)
1956 एससीआर 267	को संदर्भित	पैरा 31(सी)
[1974] 3 एससीआर 760	को संदर्भित	पैरा 31(सी)
[1975] 3 एससीआर 802	को संदर्भित	पैरा 31(सी)
[1980] 1 एससीआर 368	को संदर्भित	पैरा 31(सी)
[1980] 1 एससीआर 1036	को संदर्भित	पैरा 31(सी)
1980 पूरक एस. सी. सी. 155	को संदर्भित	पैरा 31(सी)
[1997] 6 पूरक।एससीआर 717	को संदर्भित	पैरा 31(सी)
[2003] 1 पूरक।एससीआर 947	को संदर्भित	पैरा 31(सी)
[2003] 1 एससीआर 1112	को संदर्भित	पैरा 31(सी)
[2008] 13 एससीआर 126	को संदर्भित	पैरा 31(सी)

(2017) 7 एससीसी 729	को संदर्भित	पैरा 31(सी)
[1963] पूरक 2 एससीआर 169	को संदर्भित	पैरा 34
[1973] 1 एससीआर 608	को संदर्भित	पैरा 34
आकाशवाणी 1962 एससी 1139	को संदर्भित	पैरा 34
[1982] 3 एस. सी. आर. 298	को संदर्भित	पैरा 34
[1996] 8 पूरक।एससीआर 592	को संदर्भित	पैरा 34
[2003] 3 एससीआर 753	को संदर्भित	पैरा 34
[2003] 5 पूरक।एससीआर 656	को संदर्भित	पैरा 34
[2006] 9 पूरक।एससीआर 73	को संदर्भित	पैरा 34
(1986) 1 एससीसी 637	को संदर्भित	पैरा 36
[1987] 3 एससीआर 714	को संदर्भित	पैरा 36
[2008] 4 एससीआर 1	को संदर्भित	पैरा 37
[2012] 2 एससीआर 715	को संदर्भित	पैरा 37
[1992] 1 एस. सी. आर. 397	को संदर्भित	पैरा 37
1995 पूरक (4) एस. सी. सी. 111	को संदर्भित	पैरा 37
[2017] 10 एस. सी. आर. 428	को संदर्भित	पैरा 37
[1993] 1 एससीआर 594	को संदर्भित	पैरा 38
[1996] 9 पूरक।एससीआर 726	को संदर्भित	पैरा 38
[2006] 3 एससीआर 953	को संदर्भित	पैरा 38

[1983] 2 एससीआर 287	को संदर्भित	पैरा 40
[2001] 2 एससीआर 506	को संदर्भित	पैरा 40
[2017] 7 एससीआर 797	को संदर्भित	पैरा 40
[1974] 2 एस. सी. आर. 348	को संदर्भित	पैरा 40
[1979] 3 एससीआर 532	को संदर्भित	पैरा 41
[1981] 2 एससीआर 408	को संदर्भित	पैरा 41
[2012] 5 एससीआर 305	को संदर्भित	पैरा 41
(2013) 4 एससीसी 152	को संदर्भित	पैरा 42
[2012] 11 एससीआर 50	को संदर्भित	पैरा 44
[2017] 7 एससीआर 905	को संदर्भित	पैरा 45
[1981] 1 एससीआर 97	को संदर्भित	पैरा 46
(2017) 4 एससीसी 449	को संदर्भित	पैरा 46
[1992] 3 एससीआर 658	को संदर्भित	पैरा 48
(1995) 4 एससीसी 507	को संदर्भित	पैरा 48
[1991] 2 पूरक।एससीआर 129	को संदर्भित	पैरा 49
[2000] 1 एससीआर 158	को संदर्भित	पैरा 49
(1962) 3 एससीआर 269	को संदर्भित	पैरा 51
[2018] 7 एससीआर 379	को संदर्भित	पैरा 52
[1975] 2 एस. सी. आर. 317	को संदर्भित	पैरा 52

(2015) 3 एससीसी 1	को संदर्भित	पैरा 52
[2016] 3 एससीआर 865	को संदर्भित	पैरा 52
ए.आई.आर. 1962 एससी 1139	को संदर्भित	पैरा 60
[2016] 7 एससीआर 350	क्यूरियम के अनुसार संदर्भित	पैरा 69
[1978] 2 एससीआर 621	पर निर्भर	पैरा 74
[2003] 1 पूरक एससीआर 522	पर निर्भर	पैरा 74
[1992] 1 एससीआर 897	को संदर्भित	पैरा 75

अभय मनोहर सप्रे के निर्णय में, न्यायमूर्ति

[1956] एससीआर 267	पर आधारित	पैरा 3
1963 पूरक (2) एस. सी. आर. 169	पर निर्भर	पैरा 6
[1973] 1 एससीआर 608	पर निर्भर	पैरा 6
[1989] 3 एससीआर 901	पर आधारित	पैरा 8
[1964] एससीआर 921	को संदर्भित	पैरा 8

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार:: दीवानी अपील संख्या- 4862/20192019 की सिविल अपील संख्या 4862।

2013 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 21199 में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 31.10.2017 से।

साथ

2019 की दीवानी अपील संख्या 4872, 4867, 4866, 4864, 4865, 4869, 4863, 4868, 4870, 4871।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, पी. एस. नरसिम्हा, एएसजी, राकेश द्विवेदी, श्याम दीवान, दिनेश द्विवेदी, ललित किशोर, कपिल सिब्बल, विजय हंसारिया, रंजीत कुमार, सलमान खुर्शीद, Ms.Vibha D. मखीजा, C. A.Sundram, V. शेखर, V. N. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, शिवम सिंह, अर्जुन खजांची, सुश्री संसृति पाठक, उदियन शर्मा, श्रीमती माधवी दीवान, अनमोल चंदन, सुश्री सुचिंद्रन भास्करन, सुश्री श्रद्धा देशमुख, जी. एस. मक्कर, अनिमेष कुमार, मुरारी कुमार, नीरज शेखर, सुमित कुमार, सुश्री अनुषा नागराजन, रोहित कुमार सिंह, आशुतोष ठाकुर, नितेश रंजन, रवि कुमार सिंह, राणा प्रशांत, कुमार विशालक्ष, अभय कुमार, विनीत कुमार सिंह, सौरभ मिश्रा, हिमांशु पाल सिंह, अमित कुमार श्रीवास्तव, विक्रमादित्य सिंह, अमित वाधवा, सी. के. शर्मा, संजीव कुमार, सुश्री सोफिया बेगम, विवेक तिवारी, जफर खुर्शीद, विपिन कुमार सक्सेना, देवेन्द्र तिवारी, प्रशांत भूषण, प्रशांत शुक्ला, सत्यजीत कुमार, गोविंद जी, अरविंद कुमार, सुश्री दिशा वैष, केशव रंजन, सुश्री रोहिणी मूसा, अभिषेक कुमार गुप्ता, अजय कुमार सिंह, सत्येंद्र के. श्रीवास्तव, विनय कुमार, रमेश तिवारी, कुमार गौरव, रॉबिन खोखर, शशांक शेखर, पृथ्वीराज सिंह, बी. एन. दुबे, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, आर. के. सिंह, श्रीमती नीरज सिंह, सुश्री रितु बेनीवाल, रवि चंद्र प्रकाश, ए. के. सिंह, सुशील कुमार, ए. के. उपाध्याय, पी. दयाल, आर. पी. दयाल, हर्षित सांवाल, डॉ. एस. के. वर्मा, करुणाकर महालिक, उपेंद्र नारायण मिश्रा, गौरव यादव, राकेश कुमार सिंह, अशोक आनंद, बिपिन बिहारी सिंह, सोमनाथ पधन, श्याम सिंह चौहान, सुधांशु सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, अतुल झा, संतोष कुमार पांडे, दुर्गा दत्त, विभु शंकर मिश्रा, रोहित प्रियदर्शी, जितेंद्र नाथ पाठक, सुधीर कुमार सिंह, सुश्री शशि सिंह, दिनेश कु. तिवारी, चंदन कुमार, सुश्री राजमाला दोहरे, एस. के. त्रिपाठी, सुश्री शमा शर्मा, सुश्री जया कुमारी, विक्रम पथ्र लेख, रमेश ठाकुर, डी. के. मिश्रा, आर. पी. गोयल, राघवेन्द्र तिवारी, स्वामी नाथ, सुश्री ज्योति कुमारी, अमित पवन, आनंद नंदन, सुमित मिश्रा, टी. सुधाकर, गौरव यादव, मोहित यादव, विरेंद्र खुराना, दुर्गा दत्त, अभिषेक यादव, करुणाकर महालिक, अनिमेष उपाध्याय, संजय कुमार दुबे, सनी जैसवाल, राजीव रंजन द्विवेदी, सुमन कुमार दिवाकर, सुश्री छाया कुमारी, सुशील कुमार, रजनीश

भास्कर, उपेंद्र नारायण मिश्रा, अनिलेंद्र पांडे, राघवेंद्र तिवारी, राहुल कुमार, सुकेश कुमार मिश्रा, पंकज कुमार मिश्रा, वाई. लोकेश, सूर्य नारायण पात्रो, एम. राम प्रसाद राणा रंजीत सिंह, विवेक कुमार सिंह, रवीश सिंह, जय कुमार सिंह उपस्थित दलों के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. ये अपीलें 2013 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 21199 और सभी संबंधित मामलों में पटना के उच्च क्षेत्राधिकार द्वारा दिनांक 31.10.2017 को पारित सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं।
3. 1981 में, सभी गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण किया गया और प्रबंधन बिहार राज्य द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया। नतीजतन, सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सरकारी वेतनमान पर वेतन और परिलब्धियां दी गईं। सर्वशिक्षा अभियान जैसी योजनाओं, संविधान में अनुच्छेद 21 ए को शामिल करने और बच्चों के अधिकार के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (संक्षेप में 'आरटीई अधिनियम'), को लागू करने के साथ राज्य को अपेक्षित दायित्वों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को शामिल करना आवश्यक था। पंचायत, नगर पंचायत और नगरपालिका स्तर पर नियुक्त इन शिक्षकों को सरकारी वेतनमान पर वेतन और परिलब्धि समान नहीं दी गई। उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की दूसरी श्रेणी द्वारा दायर समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर समान वेतन और परिलब्धियों की मांग करने वाली याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था। राज्य के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण वर्तमान में चुनौती के अधीन है।

4. बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (प्रबंधन और नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम, 1981 (संक्षेप में '1981 अधिनियम') द्वारा राज्य द्वारा गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों का प्रबंधन और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया गया। धारा 3 के संदर्भ में, धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के अलावा सभी गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और केंद्र प्रायोजित, स्वायत्त और स्वामित्व वाले विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा 02.10.1980 से अधिगृहीत कर लिया गया था। नतीजतन, इस तरह के विद्यालय के प्रत्येक प्रधानाध्यापक, शिक्षक और अन्य कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी बन गए, सभी राष्ट्रीयकृत विद्यालयों का प्रबंधन और नियंत्रण राज्य सरकार के शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी) में निहित है। बोर्ड शिक्षकों की नियुक्ति और राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति या पदोन्नति के लिए सिफारिशें करेगा। जिला माध्यमिक शिक्षा कोष का गठन धारा 11 के तहत किया गया था और धारा 12 के तहत इस कोष का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए किया जाएगा।

5. बिहार राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्तें) नियम, 1983 राज्य सरकार द्वारा 1981 के अधिनियम की धारा 9 और 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए थे। नियमों में नियुक्ति, अनुमति और अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया जैसे विषयों पर भी विचार किया गया है। नियम 6 शिक्षकों के संवर्ग के बारे में था और यह निम्नलिखित प्रभाव से था:

“6. शिक्षकों का संवर्ग:

1. एक जिला होगा, कनिष्ठ श्रेणी के शिक्षकों का संवर्ग एक जिला होगा, जिसका नियंत्रण अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी होगा।
2. अवर और उच्चतर श्रेणी के शिक्षकों का कमीशनरी संवर्ग होगा, जिसका नियंत्रण अधिकारी क्षेत्रीय निदेशक होगा।

3. हेडमास्टर का राज्य संवर्ग होगा जिसका नियंत्रण अधिकारी निदेशक होगा।”

6. संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243, 243 क से 243-ओ) अंतःस्थापित किया गया। संविधान का अनुच्छेद 243 बी कहता है कि प्रत्येक राज्य में संविधान के भाग IX के अनुसार ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा:-

“243 छ पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के अंतरण के लिए उपबंध हो सकते हैं -

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को तैयार करना

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमों भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं।”

क्रम संख्या 17 के तहत ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों में से एक प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा है।

7. संविधान (74 वां संशोधन अधिनियम, 1992) भाग IXA (अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड, 243 जेडए से 243 जेडजी) संविधान में अंतःस्थापित किया गया था। अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार संविधान के उक्त भाग IXA के प्रावधानों के

अनुसार प्रत्येक राज्य में संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत, एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर परिषद और एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों आदि से संबंधित अनुच्छेद 243 डब्ल्यू निम्नानुसार है:

“243 (डब्ल्यू) नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व:-

इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, -

“(क) नगरपालिकाओं के पास ऐसी शक्तियां और प्राधिकार होंगे जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि में निम्नलिखित के संबंध में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, नगरपालिकाओं को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के अंतरण के लिए उपबंध हो सकेंगे -

(i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना

(ii) बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में कार्यों का निष्पादन और योजनाओं का कार्यान्वयन, जो उन्हें सौंपे जाएं

(ख) समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करना, जो उन्हें बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में प्रदान की गई जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए सक्षम बना सकें।”

क्रम संख्या 13 में बारहवीं अनुसूची में एक विषय सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य पहलुओं का संवर्धन का उल्लेख है।

8. संविधान (86 वां संशोधन अधिनियम, 2002) द्वारा, जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ, संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 क अंतःस्थापित किया गया था। अनुच्छेद 21 क इस प्रकार पठित है:-

“21 क. शिक्षा का अधिकार.राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए ऐसी रीति में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा जो राज्य, विधि द्वारा, अवधारित करे।”

9. 2006 के बिहार अधिनियम 25 द्वारा 1981 के अधिनियम में संशोधन किया गया। संशोधन अधिनियम की धारा 2 निम्नानुसार थी:

“अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम 33, 1982) की धारा 10 में संशोधन ये शब्द राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक को भेजी जाएगी, जैसा कि बिहार अधिनियम 14, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, हटाये जाते हैं।”

इस प्रकार राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियों से संबंधित मामलों में निदेशक की भूमिका को समाप्त कर दिया गया।

10. मई, 2006 में मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए दो मसौदा नोट तैयार किए गए थे। शिक्षकों और विद्यार्थियों के अनुपात को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने और संविधान के अनुच्छेद 21 ए के प्रावधानों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के मुद्दों पर विचार किया गया है। इन नोटों के कुछ प्रासंगिक अंश इस प्रकार थे:--

“भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए के प्रावधानों के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना उनका मौलिक अधिकार बन गया है। समानता और सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना राज्य

की जिम्मेदारी है। वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात 1:62 है। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानक के आलोक में, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए यह अनुपात 1:40 होना चाहिए:.. प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 64:391 पद रिक्त हैं और लगभग 24 लाख बच्चे विद्यालयों में पंजीकृत भी नहीं हैं। शिक्षकों, विद्यालयों और कक्षाओं में की कमी के कारण, बड़ी संख्या में बच्चों को 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने से पहले ही विद्यालय छोड़ना पड़ता है। इस वर्ष 15000 नए प्राथमिक विद्यालयों और लगभग 24000 मौजूदा विद्यालयों के समेकित विकास की योजना है। वर्तमान में अनुदेशक की मदद से शिक्षा केंद्रों में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। समानता और सामाजिक न्याय के आलोक में यह सोचा जाता है कि उन्हें शिक्षकों की मदद से पूरी तरह से विकसित स्कूलों में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

“9. नए नियमों में प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में बुनियादी बदलाव किए जा रहे हैं। उन्हें 5000 रुपये प्रति माह का निर्धारित वेतन प्रदान किया जाएगा और उनके मूल्यांकन के आधार पर, उनके सफल होने की स्थिति में, प्रत्येक तीन वर्षों में, 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि दी जाएगी। नियुक्ति विकेंद्रीकृत होगी। प्रखंड स्तर पर, यह योग्यता सूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रदान किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें पंचायत शिक्षक कहा जाएगा और शहरी क्षेत्र में उन्हें नगर शिक्षक कहा जाएगा।

यह उम्मीद की जाती है कि इस नई योजना में और निर्धारित वेतन/स्टाइपेंड पर आम तौर पर स्थानीय लोगों को शिक्षकों के पद पर नियुक्त किया जाएगा और वर्तमान पूर्ण वेतन प्रदान करने के खर्च

के परिणामस्वरूप बची हुई राशि, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के प्रयोजनों के लिए और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध हो सकती है।

10. नए नियम का शिक्षकों के वेतन और पहले की गई उनकी नियुक्ति की शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन उनके रिक्त पदों का लोप किया जाएगा और नई व्यवस्था/नियमों के तहत उतने ही पदों का सृजन किया जाएगा और उन पर नियुक्ति नए नियमों के तहत की जाएगी। भविष्य में होने वाली रिक्तियों में भी यही व्यवस्था/प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

इन प्रावधानों के तहत, पंचायती राज संस्थानों को नए शिक्षकों की नियुक्ति, वेतन के भुगतान और नियुक्ति के प्रस्तावित नए नियमों के अनुसार सेवा के अन्य नियम और शर्तें प्रदान की जा रही हैं। स्कूलों की चल/अचल संपत्ति, शिक्षकों का प्रशिक्षण, स्कूल भवन का निर्माण, अध्ययन/अध्ययन सामग्री के पाठ्यक्रम का निर्माण, पुस्तक का निर्माण, मूल्यांकन आदि सभी कार्य पहले की तरह राज्य सरकार के अधीन होंगे।

...

...

...

5. पूर्ववर्ती नियुक्ति प्रक्रिया में कठिनाइयां: पहले अपनाई गई केंद्रीकृत परीक्षा में शिक्षकों के चयन और नियुक्ति में निम्नलिखित कठिनाइयां होती हैं।

(i) पिछले अनुभव से पता चलता है कि इस तरह की परीक्षाओं के आयोजन और मूल्यांकन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत समय लगता है।

(ii) यदि चयन केंद्रीकृत तरीके से किया जाता है, तो अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की भी भागीदारी की संभावना होती है और पात्रता प्रमाणपत्रों आदि के सत्यापन में व्यावहारिक कठिनाई आती है।

(iii) केंद्रीकृत चयन प्रक्रिया के बाद स्थानांतरण और तैनाती आदि में व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और उम्मीदवारों को भी नुकसान होगा।

6. रोजगार की प्रस्तावित प्रक्रिया:- उपर्युक्त तथ्यों/पहलुओं पर विचार करते हुए, प्रस्ताव यह है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत है और भारत के संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन के आलोक में, इसकी जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थान/निकायों को दी जाए। विद्यालय की चल और अचल संपत्ति, शिक्षकों का प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण, पाठ्यक्रम/अध्ययन सामग्री, अध्ययन सामग्री का निर्माण, मूल्यांकन आदि पहले की तरह राज्य सरकार के नियंत्रण में होंगे।

... ..

“8. उपर्युक्त प्रक्रिया के तहत, यदि प्रति शिक्षक 6000 रुपये (केवल छह हजार) की दर से भुगतान किया जाता है, तो 89,82,72,000 रुपये (केवल 89 करोड़ बयासी लाख बयासी हजार रुपये) का वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिसे वहन करने की आवश्यकता होगी। यदि वर्तमान प्रक्रिया के तहत इन सभी पदों पर नियुक्ति की जाती है, तो कुल 160,83,56,016 रुपये (एक सौ साठ करोड़ तिहत्तर लाख छप्पन हजार सोलह रुपये) खर्च होने का अनुमान है। इस प्रकार यदि नए प्रस्तावित नियमों के तहत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है तो कुल

71,00,84,016 रुपये (इक्यावन करोड़, चौरासी हजार सोलह रुपये) की बचत होगी। इस बचत राशि से निर्धारित वेतन पर शिक्षकों के कुल 10,000 पद सृजित किए जा सकते हैं। इन सृजित पदों से राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं शुरू की जाएंगी।”

11. इसके बाद, बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तें) नियम, 2006 01.07.2006 को प्रभावी हुआ। उक्त नियमों के आरंभिक पाठ में कहा गया था:

“भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-जी (11 वीं अनुसूची अनुभाग संख्या-17) और बिहार पंचायत राज अधिनियम-2006 के अनुच्छेद 146 के साथ पठित अनुच्छेद-47 और 48 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के रोजगार के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं।

नियम:

6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत उनका मौलिक अधिकार बन गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 (ए)। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा (प्रणाली) में सुधार और विस्तार के लिए व्यापक कार्यक्रमों को अपनाना आवश्यक हो गया है। हजारों नए प्राथमिक विद्यालय खोलने और बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधनों के आलोक में प्राथमिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थानों को प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी

सौंपना भी आवश्यक हो गया है। नतीजतन, उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह नियम प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के रोजगार के लिए बनाया जा रहा है।

उक्त नियमों के नियम 3 और 4 निम्नलिखित आशय के थे:

“3. पंचायत प्राथमिक शिक्षक का ग्रेड-पंचायत प्राथमिक शिक्षकों के दो ग्रेड होंगे:-

(क) प्रखण्ड शिक्षक (प्रखण्ड स्तर पर कार्यरत शारीरिक शिक्षा शिक्षकों सहित वे शिक्षक)

(ख) पंचायत शिक्षक (पंचायत स्तर पर नियोजित शिक्षक).

4. पंचायत प्राथमिक शिक्षकों का रोजगार -

(1) पंचायत समिति द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में प्रखण्ड शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा और ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में पंचायत शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा।

(2) उपर्युक्त दोनों स्तरों पर प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग श्रेणी वार पैनल तैयार किए जाएंगे। सबसे पहले प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद यदि पद रिक्त रहते हैं तो अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद यदि पद रिक्त रहते हैं तो अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जा सकता है और उन्हें दो वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा सकती है।

(3) आरक्षित श्रेणी में यदि उच्चतर माध्यमिक/मध्यवर्ती उत्तीर्ण उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो माध्यमिक परीक्षा (मैट्रिकुलेशन) उत्तीर्ण उम्मीदवारों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन उनके

लिए अधिकतम छह वर्षों के भीतर निर्धारित योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।”

नियम 9 रोजगार की प्रक्रिया से संबंधित था और इसमें कहा गया कि रिक्त पदों का प्रखण्ड/पंचायत के भीतर विज्ञापन दिया जाएगा, जिसके बाद इच्छुक उम्मीदवारों से प्रखण्ड शिक्षकों के लिए प्रखण्ड शिक्षा विस्तार अधिकारी और पंचायत शिक्षकों से ग्राम पंचायतों के सचिव द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। नियम 9 के उप-नियम 7 में पैनल तैयार करने के लिए समिति के गठन और अनुमोदन के बारे में निम्नानुसार उपबंध किया गया था--

“7. पैनल तैयार करने के लिए समिति का गठन और अनुमोदन

पैनल निम्नलिखित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन प्रपत्रों के आधार पर तैयार किया जाएगा:

(क) प्रखण्ड शिक्षक और शारीरिक शिक्षक के लिए:-

(i) पंचायत समिति के प्रमुख-अध्यक्ष

(ii) कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति-सदस्य

(iii) पंचायत समिति की शिक्षा समिति द्वारा निर्वाचित एक सदस्य।(यदि परमुखी पुरुष सदस्य है तो निर्वाचित सदस्य कार्यकारिणी महिला होगी)

(iv) खंड शिक्षा विस्तार अधिकारी-सदस्य सचिव

(ख) पंचायत शिक्षक के लिए:

(i) ग्राम पंचायत के मुखिया-अध्यक्ष

(ii) ग्राम पंचायत मामले की शिक्षा समिति द्वारा निर्वाचित एक सदस्य पुरुष है और निर्वाचित सदस्य महिला सदस्य होगी।

(iii) पंचायत समिति का सदस्य जिसके अन्तर्गत पंचायत का अधिकांश क्षेत्र रहेगा- सदस्य

(iv) जिला शिक्षा अधिकारी -सदस्य द्वारा मनोनीत पंचायत के निकट के माध्यमिक विद्यालय से एक शिक्षक

(v) सचिव ग्राम पंचायत-सदस्य सचिव

लेकिन उपरोक्त दोनों समितियों के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

नोट: पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति के गैर-घटक के मामले में ब्लॉक शिक्षा विस्तार अधिकारी द्वारा नामित पंचायत समिति/ग्राम पंचायत का एक सदस्य समिति का सदस्य होगा।

(vi) तैयारी के बाद, पैनल प्रकाशित किया जाएगा या जनता को उपलब्ध कराया जाएगा, उनकी आपत्तियों/शिकायतों के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। प्राप्त शिकायतों का समाधान करते हुए पैनल को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(vii) ब्लॉक शिक्षकों और पंचायत शिक्षकों के रोजगार के लिए तैयार पैनल को क्रमशः पंचायत समिति और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(viii) चयनित सदस्यों को उपरोक्त समितियों द्वारा योग्यता के आधार पर तैयार पैनल से अनुसूचि-2 में उल्लिखित वरीयता के

अवरोही क्रम में परामर्श के माध्यम से उनके इच्छुक स्कूलों में नियोजित किया जाएगा।

(ix) चयनित उम्मीदवार को रोजगार पत्र दिया जाएगा (अनुसूची-III)

(x) उनके शामिल होने को उनकी सहमति पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाएगा।”

नियम 12 के अनुसार, प्रशिक्षित प्रखण्ड शिक्षकों और पंचायत शिक्षकों के साथ-साथ अप्रशिक्षित प्रखण्ड शिक्षकों और पंचायत शिक्षकों को निर्धारित वेतन पर नियुक्त किया जाएगा और प्रशिक्षित ब्लॉक शिक्षक और पंचायत शिक्षक हर तीन साल में अपने निर्धारित वेतन में 500 रुपये की वृद्धि करने के हकदार होंगे, जबकि अप्रशिक्षित प्रखण्ड शिक्षक और पंचायत शिक्षक हर तीन साल में 300 रुपये की वृद्धि के हकदार होंगे। नियम 13 के तहत पद गैर-हस्तांतरणीय थे। निरस्तीकरण और बचत से संबंधित नियम 20 के तहत यह कहा गया था कि पिछले परिपत्रों, आदेशों, अनुदेशों के तहत नियुक्त किए गए पंचायत विद्यामित्रों को इन नियमों के तहत शिक्षकों के रूप में नियुक्त माना गया था।

12. राज्य द्वारा 11.07.2006 को नियमों के दो सेट बनाए गए थे। पहला, राज्यों के शहरी क्षेत्रों में सरकारी राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का विषय है, जबकि दूसरा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का विषय है। नियमों के दोनों सेट के संबंध में प्रारंभिक पाठ समान थे और निम्नलिखित प्रभाव के थे:-

“राज्य सरकार ने राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार और सुदृढीकरण के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया है। वर्तमान में शिक्षकों की बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरना आवश्यक है। इसके अलावा और अधिक विद्यालयों और शिक्षकों की भी आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986/1992 के

अनुसार 10 + 2 + 3 पैटर्न के तहत उच्च माध्यमिक स्कूलों के + 2 स्तर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन के अनुसार, सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति को विकेंद्रीकृत करने और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थानों को सौंपने का निर्णय लिया है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष योजना के तहत इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये नियम बनाए जा रहे हैं।”

क) नियमों के पहले सेट को बिहार नगर निकाय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तों) नियम 2006 कहा गया था। भाग क के तहत नगर पालिका माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति, जबकि भाग ख में नगर पालिका उच्च माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित समान मुद्दों पर विचार किया गया। रोजगार की प्रक्रिया का नियम 6 में वर्णन था, जिसके अनुसार नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित सरकारी राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की विषयवार जानकारी उस क्षेत्र में दी जाएगी। नियम 6 के उप-नियम (6) में नगर पंचायत/नगर निगम बोर्ड के संबंध में और नगर निगमों के लिए पैनल तैयार करने के लिए समितियों के गठन के बारे में बताया गया है।

“पैनल तैयार करने और उसका अनुमोदन करने के लिए समिति का गठन -

प्राप्त आवेदनों के आधार पर निम्नलिखित समिति पैनल तैयार करेगी:

(क) नगरपालिका पंचायत/नगरपालिका बोर्ड के लिए समिति

1.	नगर पंचायत/नगर निगम बोर्ड के अध्यक्ष	अध्यक्ष डा.
2.	नगरपालिका पंचायत/नगर पालिका बोर्ड की शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य (पुरुष अध्यक्ष के मामले में, चयनित सदस्य महिला होगी)	सदस्य
3.	नगर पंचायत/नगर निगम बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
4.	संबंधित उप संभागीय अधिकारी	सदस्य सचिव

यदि उपर्युक्त समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नहीं है तो जिला कल्याण अधिकारी समिति का अतिरिक्त सदस्य होगा।

लेकिन नगरपालिका पंचायत/नगरपालिका बोर्ड की शिक्षा समिति द्वारा चुने गए सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा।

नोट: नगर पंचायत/नगर बोर्ड की शिक्षा समिति के गैर-गठन के मामले में, जिला स्तर का एक अधिकारी नगर पंचायत/नगर बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा।

(ख) नगर निगम के लिए समिति

1.	नगर निगम के महापौर	अध्यक्ष
2.	नगर निगम की शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य (पुरुष अध्यक्ष के मामले में, चयनित सदस्य महिला होगी)	सदस्य
3.	नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
4.	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

यदि उपर्युक्त समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नहीं है तो जिला कल्याण अधिकारी समिति का अतिरिक्त सदस्य होगा।

लेकिन नगर निगम की शिक्षा समिति द्वारा चुने गए सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा।

नोट: नगर निगम की शिक्षा समिति के गठन के मामले में जिला स्तर का एक अधिकारी नगर निगम के मुख्य अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा।”

नियम 8 के अनुसार नगर पालिका माध्यमिक शिक्षक, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित, प्रत्येक महीने निर्धारित वेतन के हकदार होंगे और 3 वर्ष की अवधि पूरी होने पर क्रमशः 600 रुपये और 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि भी होगी। इसी तरह, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित नगरपालिका उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का वेतन भी एक निर्धारित वेतन था, जिसमें 700 रुपये प्रति माह की वृद्धि और 3 साल की अवधि पूरी होने पर प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित श्रेणियों के लिए 600 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई थी। नियम 10 के तहत नगरपालिका माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के पद आमतौर पर हस्तांतरणीय नहीं होते थे, लेकिन तीन साल पूरे होने के बाद, शिक्षक नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र के भीतर अधिकतम दो स्थानांतरणों की सुविधा का लाभ उठा सकते थे। नियम 16 (2) निम्नलिखित आशय का था:-

“ये नियम पिछले नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्त सरकारी, राष्ट्रीयकृत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और सेवा शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगे।”

ख) नियमों के दूसरे सेट को बिहार जिला बोर्ड माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तों) नियम, 2006 कहा गया था। नियम 4 में भाग-ए के तहत जिला बोर्ड माध्यमिक शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता के विषय पर विचार किया गया था, जबकि भाग-बी में जिला बोर्ड उच्च माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित समान मुद्दों पर विचार किया गया था। रोजगार की प्रक्रिया का नियम 6 में विचार गया था, जिसके अनुसार जिला बोर्ड क्षेत्रों में स्थित सरकारी राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी जिले में विज्ञापन दिया जाएगा। उक्त

नियम 6 के उप-नियम (6) में जिला बोर्डों के संबंध में पैनलों को तैयार करने के लिए समितियों के गठन के बारे में निम्नानुसार उपबंध किया गया था:-

“vi. पैनल तैयार करने और उसके अनुमोदन के लिए समिति का गठन -

प्राप्त आवेदनों के आधार पर निम्नलिखित समिति पैनल तैयार करेगी:

क.	जिला परिषद के चेयरमैन	अध्यक्ष
ख.	जिला बोर्ड की शिक्षा समिति का एक चयनित सदस्य (पुरुष अध्यक्ष के मामले में, चयनित सदस्य महिला होगी)	सदस्य
ग.	उप विकास आयुक्त	सदस्य
घ.	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

यदि उपर्युक्त समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नहीं है तो जिला कल्याण अधिकारी समिति का अतिरिक्त सदस्य होगा।

लेकिन जिला बोर्ड की शिक्षा समिति द्वारा चुने गए सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा।

नोट: जिला बोर्ड की शिक्षा समिति के गैर-गठन के मामले में, जिला स्तर का एक अधिकारी उप विकास आयुक्त द्वारा नामित किया जाएगा।”

नियम 8 के अनुसार, जिला माध्यमिक शिक्षक, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित, प्रत्येक महीने निर्धारित वेतन के हकदार होंगे और तीन साल की अवधि पूरी होने पर क्रमशः 600/- रुपये और 500/- रुपये प्रति माह की वृद्धि भी होगी। इसी तरह प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित जिला बोर्ड उच्चतर माध्यमिक शिक्षक भी तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित श्रेणियों के लिए क्रमशः 700 रुपये

प्रति माह और 600 रुपये प्रति माह की वृद्धि के साथ एक निश्चित वेतन के हकदार होंगे। नियम 10 के तहत, जिला बोर्ड माध्यमिक और जिला बोर्ड उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद आमतौर पर गैर-हस्तांतरणीय थे, लेकिन तीन साल पूरे होने पर, शिक्षक जिला बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के भीतर अधिकतम दो स्थानांतरणों की सुविधा का लाभ उठा सकते थे। नियम 16 (2) निम्नानुसार था:-

“ये नियम पिछले नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्त सरकारी, राष्ट्रीयकृत माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और सेवा की शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगे। पिछले नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।”

13. इस प्रकार, जुलाई, 2006 में नियमों के तीन सेट प्रभावी हुए। प्रारंभिक शिक्षकों से संबंधित बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तें) नियम, 2006 01.07.2006 से प्रभावी हुए। शहरी क्षेत्रों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों में कार्यरत शिक्षकों से संबंधित बिहार नगर निकाय माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तें) नियम, 2006 11.07.2006 को प्रभावी हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित बिहार जिला बोर्ड माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तें) नियम, 2006 भी 11.7.2006 को प्रभावी हुए। सुविधा के लिए नियमों के इन तीन समूहों को यहां इसके बाद '2006 नियम' के रूप में संदर्भित किया जाता है और उक्त नियमों के संदर्भ में नियुक्त शिक्षकों को फिर से सुविधा के लिए नियोजित शिक्षक कहा जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति सभी आधिकारिक परिपत्रों और प्रस्तावों में दिखाई देती है।

2006 के नियम बनाने के बाद राज्य में राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के संबंध में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां 2006 के उक्त नियमों के आधार पर की गईं। इन शिक्षकों को देय सेवा शर्तें और परिलब्धियां उपर्युक्त 2006 नियमों के संबंधित सेटों के प्रावधानों के तहत शासित की गई थीं। तथापि, उन

शिक्षकों को देय परिलब्धियां उन सभी शिक्षकों को दिए गए परिलब्धियां से कम थीं जिन्हें 2006 के उक्त नियम लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था। इस प्रकार, शिक्षकों की दो श्रेणियां थीं, पहला वे शिक्षक जो राष्ट्रीयकरण के बाद 2006 से पहले सभी सरकारी स्कूलों में जारी रहे या नियुक्त किए गए थे और दूसरी श्रेणी 2006 के नियमों के तहत नियुक्त किए गए सभी शिक्षक थे। प्रथम श्रेणी अर्थात् नियमित सरकारी शिक्षक एक वेतनमान और कुछ परिलब्धियों के हकदार थे, जबकि दूसरी श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय अधिकारियों द्वारा एक निर्धारित वेतन पर की गई थी।

तथापि, राज्य का यह नीतिगत निर्णय था कि 2006 के बाद प्रथम श्रेणी में कोई नई नियमित नियुक्तियां नहीं होंगी और 2006 के बाद सभी नियमित नियुक्तियां केवल 2006 के नियमों के अनुसार होंगी अर्थात् द्वितीय श्रेणी में होंगी। तथापि, एक अपवाद यह है कि 2006 के बाद भी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिनके बारे में आगे विचार किया जाएगा। इस तरह के अपवाद को छोड़कर, नीतिगत निर्णय यह था कि पहली श्रेणी में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी और पहली श्रेणी को समाप्त या लुप्त होने वाले कैडर के रूप में माना जाएगा।

14. 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 01.04.2010 को लागू हुआ।

क. धारा 2 (ए), (एफ) और (एन) जो 'समुचित सरकार', 'प्राथमिक शिक्षा' और 'विद्यालय' शब्दों को परिभाषित करते हैं, निम्नानुसार हैं:-

“2. परिभाषाएं:- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रणाधीन स्कूल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के संबंध में, जिसका कोई विधान-मंडल नहीं है, केन्द्रीय सरकार

(ii) उपखंड (i) में निर्दिष्ट विद्यालय से भिन्न किसी विद्यालय के संबंध में,

(क) एक राज्य, राज्य सरकार

(ख) विधानमंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र, उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार

... ..

(च) 'प्राथमिक शिक्षा' से प्रथम श्रेणी से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा अभिप्रेत है;

... ..

(ढ) "विद्यालय" से प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्व या नियंत्रण वाला विद्यालय

(ii) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाले किसी सहायता प्राप्त विद्यालय

(iii) विनिर्दिष्ट प्रवर्ग से संबंधित विद्यालय

(iv) एक गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है

ख. अधिनियम का अध्याय 3 समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता-पिता के कर्तव्यों से संबंधित है और इस अध्याय में दिखाई देने वाली धाराएं 6 और 7 निम्नानुसार हैं:-

“6. स्कूल स्थापित करने के लिए समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य - इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण इस अधिनियम के लागू होने के तीन साल के भीतर ऐसे क्षेत्र और सीमा के अन्तर्गत एक विद्यालय की स्थापना करेगा जैसा कि निर्धारित किया गया है और जहाँ यह स्थापित नहीं है।

7. वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को साझा करना - (1) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए धन उपलब्ध कराने की समवर्ती जिम्मेदारी होगी।

(2) केन्द्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के अनुमान तैयार करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को, राजस्व के सहायता अनुदान के रूप में, उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यय का ऐसा प्रतिशत उपलब्ध कराएगी जो वह राज्य सरकारों के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे।

(4) केन्द्र सरकार राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकती है कि वह किसी राज्य सरकार को उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता की जांच करने के लिए अनुच्छेद 280 के खंड (3) के उपखंड (घ) के तहत वित्त आयोग को निर्देश करे ताकि उक्त राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपने हिस्से की धनराशि उपलब्ध करा सके।

(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा किसी राज्य की उप-धारा (3) के तहत सरकार और उसके अन्य संसाधन, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए धन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(6) केंद्र सरकार -

(क) धारा 29 के तहत निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकरण की मदद से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का एक ढांचा विकसित करेगी,

(ख) शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना

(ग) नवाचारों, अनुसंधानों, आयोजना और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी।"

ग. अध्याय 4 स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियों से संबंधित है और धारा 23 और 25 शिक्षकों की योग्यता और सेवा की शर्तों के साथ-साथ छात्र-शिक्षक अनुपात जैसे मुद्दों से संबंधित है:

"23 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के नियम और शर्तें- -

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) जहां किसी राज्य में शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण देने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं या उप-धारा (1) के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, वहां केंद्र सरकार, यदि आवश्यक समझती है, तो अधिसूचना द्वारा,

शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए छूट दे सकती है, जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए:

परन्तु ऐसा शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर, उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित कर लेगा। परन्तु यह और कि 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक, जिसके पास उपधारा (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रारंभ होने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

(3) शिक्षक को संदेय वेतन और भत्ते तथा उसकी सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

...

...

...

25. छात्र-शिक्षक अनुपात:- (1) इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से तीन वर्षों के अन्दर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूची में निर्दिष्ट रूप से प्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात बना रहे।

उप-धारा (1) के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के उद्देश्य से, किसी विद्यालय में तैनात किसी भी शिक्षक को किसी अन्य स्कूल या कार्यालय में सेवा करने के लिए नहीं बनाया जाएगा या धारा 27 में निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य गैर-शैक्षणिक उद्देश्य के लिए तैनात नहीं किया जाएगा।”

घ. धारा 35 केन्द्र सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है जबकि धारा 38 समुचित सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। आरटीई अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (जिसे इसमें इसके बाद 2010 नियम कहा गया है) बनाया, जो 8 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ। 2010 के नियमों का भाग VI शिक्षक विषय से संबंधित है और कथित भाग VI में दिया गया नियम 20 निम्नानुसार है:-

“20. वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें - (1) केंद्र सरकार या उपयुक्त सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, उनके स्वामित्व में और उनके द्वारा प्रबंधित विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और भत्तों के नियम और शर्तें शिक्षकों का एक पेशेवर और स्थायी कैडर बनाने के लिए अधिसूचित करेगा।

(2) विशेष रूप से और उप-नियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सेवा के निबंधन और शर्तें निम्नलिखित को ध्यान में रखेंगी, अर्थात्:-

(क) विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रति शिक्षकों की जवाबदेही

(ख) शिक्षण पेशे में शिक्षकों की दीर्घकालिक हिस्सेदारी को सक्षम बनाने के प्रावधान।

(ग) शिक्षकों के वेतन और भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, पेंशन, उपादान, भविष्य निधि और अन्य निर्धारित लाभ समान योग्यता, कार्य और अनुभव के अनुरूप होंगे।”

15. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा नियम, 2011 बनाया गया है। पड़ोस की अवधारणा के बारे में नियम 2 (1) (के) और नियम 4 में

सभी बस्तियों के 1 किलोमीटर के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के बारे में बताया गया था, जो इस प्रकार है:-

“4. (1) राज्य सरकार द्वारा विद्यालय स्थापित किए जाने वाले पड़ोस के क्षेत्र या सीमाएं निम्नानुसार होंगी -

(क) एक किमी की सीमा के भीतर सभी बस्तियों में रहनेवालों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, जहां 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों की संख्या कम से कम 40 (चालीस) है:

(ख) किसी बस्ती के 3 (तीन) किलोमीटर की सीमा के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाना है।

(2) जहां कहीं आवश्यक हो, राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमित करेगी।

(3) दुर्गम इलाकों, बाढ़, भूस्खलन, भूस्खलन, सड़कों की कमी और सामान्य रूप से छोटे बच्चों को अपने घर से विद्यालय पहुँचने में होने वाले खतरे के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं में डील देकर ऐसे खतरों से बचने के लिए विद्यालय का पता लगाने पर विचार कर सकते हैं।

(4) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पहचानी गई बहुत छोटी बस्तियों के बच्चों के लिए, जहां उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र या सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय नहीं है, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क परिवहन, आवासीय सुविधाएं और अन्य सुविधाएं जैसी पर्याप्त व्यवस्था करेगा।

(5) उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण ऐसे क्षेत्रों में 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक पड़ोस के विद्यालयों की स्थापना पर विचार कर सकते हैं।

(6) स्थानीय प्राधिकरण उन पड़ोस के विद्यालयों की पहचान करेगा जहां बच्चों को आसानी से भर्ती किया जा सकता है और अपनी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक बस्ती के लिए ऐसी जानकारी सार्वजनिक करेगा।

(7) विकलांग बच्चों के संबंध में, जो उन्हें विद्यालय तक पहुंचने से रोकते हैं, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण उनके विद्यालय में उपस्थित होने और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए उचित और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।

(8) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों की विद्यालय तक पहुंच सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा बाधित न हो।

नियमों के भाग 6 में अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के उद्देश्य से शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता के बारे में चर्चा की गई है और नियम 17 इस प्रकार है:-

“अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (3) के उद्देश्य के लिए शिक्षकों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें

17. (1) राज्य सरकार शिक्षकों के एक पेशेवर और स्थायी संवर्ग के सृजन के लिए वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें अधिसूचित करेगी।

(2) उप-नियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और विशेष रूप से सेवा की शर्तों के अवधारण के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाएगा:

(क) शिक्षकों को अधिनियम की धारा 21 के तहत गठित विद्यालय शिक्षा समिति के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

(ख) शिक्षकों के लिए लंबे समय तक शिक्षण पेशे में रहने के लिए अनुकूल स्थितियों के निर्माण का प्रावधान।”

16. इसके तुरंत बाद बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तों) नियम, 2012 03.04.2012 को लागू हुआ। नियम 2 (i) (ii) (iii) को परिभाषित करते हुए 'प्राथमिक विद्यालय', 'माध्यमिक विद्यालय' और 'प्राथमिक विद्यालय' शब्द निम्नानुसार हैं:-

"(i) "प्राथमिक विद्यालय" से सरकारी या सरकारी अधिगृहीत विद्यालय अभिप्रेत है जहां वर्तमान में कक्षा 5 स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती है।

(ii) "माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है सरकारी/सरकारी अधिगृहीत विद्यालय जहां वर्तमान में आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान की जाती है।

(iii) "प्राथमिक विद्यालय" "से अभिप्रेत है सरकारी/सरकार द्वारा प्राथमिक और मध्य विद्यालयों का अधिग्रहण।”

नियम 5 कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षकों के संबंध में रोजगार के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है। नियम 15 शिक्षकों के समेकित वेतन के बारे में निम्नानुसार है:

“15. नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तें(क) समेकित वेतन-(i) पंचायत प्राथमिक शिक्षकों को निम्नलिखित रूप में समेकित वेतन प्राप्त होगा:-

- प्रशिक्षित शिक्षक (बेसिक ग्रेड)-7000/- प्रति माह
- अप्रशिक्षित शिक्षक (बेसिक ग्रेड)-6000/- प्रति माह
- प्रशिक्षित शिक्षक (स्नातक ग्रेड)-8000 रुपये प्रति माह
- अप्रशिक्षित शिक्षक (स्नातक ग्रेड)-7500/- प्रति माह
- प्रशिक्षित शिक्षक (एच. एम. मिडल स्कूल)-14000/- प्रति माह

(ii) प्रशिक्षकों को प्रति माह 4000 रुपये का समेकित वेतन मिलेगा।

(iii) यदि भविष्य में राज्य सरकार उनके समेकित वेतन में संशोधन करने का निर्णय लेती है, तो उन्हें तदनुसार वेतन मिलेगा।

(iv) इन नियमों के तहत नियुक्त पंचायत प्राथमिक शिक्षकों और प्रशिक्षकों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता आदि जैसे कोई अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे।”

इसके बाद उप नियम (बी) में वेतन वृद्धि का उल्लेख किया गया और कहा गया कि नियोजित शिक्षकों का रोजगार नियमावली, 2006 के अनुसार सरकार द्वारा निर्देशित मूल्यांकन (दक्षता परीक्षा) किया जाएगा और मूल्यांकन के आधार पर सामान्य श्रेणी में 45 प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षित शिक्षकों को उनके समेकित वेतन में 500 रुपये की वृद्धि मिलेगी, जबकि अप्रशिक्षित शिक्षकों को तीन वर्ष के बाद उनके निर्धारित वेतन में 300 रुपये की वृद्धि मिलेगी।

उप नियम (एफ) पदोन्नति से संबंधित है और इसके बाद खंड 3 में कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित वेतन में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की वरिष्ठता सूची से और प्रखण्ड स्तर पर स्नातक ग्रेड में कम से कम 5 साल की संतोषजनक सेवा वाले शिक्षकों की वरिष्ठता सूची से दिया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए बिहार नगर प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तें) नियम, 2012 द्वारा इसी तरह के प्रावधान किए गए थे।

17. हालांकि 2006 के नियमों के लागू होने के बाद, सरकारी शिक्षकों के नियमित कैडर को एक मरणासन्न या लुप्त होने वाले कैडर के रूप में लिया जाना था और नई नियुक्तियां केवल 2006 के नियमों के अनुसार की जानी थीं, निश्चित वेतन और शक्ति नियुक्ति पर नियम पंचायती राज संस्थानों में निहित थे, एक अपवाद था और माध्यमिक स्कूलों में सरकारी शिक्षकों के रूप में नियमित वेतनमान में कुछ सहायक शिक्षक निम्नलिखित परिस्थितियों में 2013 में नियुक्त किए गए थे।

दिसंबर 2003 में किसी समय राज्य द्वारा सहायक शिक्षकों के पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। हालांकि, चयन प्रक्रिया के दौरान पैनल तैयार करने में कुछ अनियमितताएं पाई गईं। इसलिए, पैनल को रद्द करने के आदेश जारी किए गए थे। कुछ उम्मीदवारों द्वारा एक चुनौती पेश की गई थी और उच्च न्यायालय ने राज्य को रिक्तियों की फिर से गणना करने और राज्य द्वारा इस न्यायालय में दायर 2004 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 22882 को वापस ले लिया गया। इसके बाद, राज्य ने 2006 के नियमों के अनुसार रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जिसके कारण इस न्यायालय में 2007 की अवमानना याचिका संख्या 297 दाखिल की गई। इस न्यायालय ने दिनांक 9.12.2009 के आदेश द्वारा राज्य सरकार को दिसंबर 2003 में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार सहायक शिक्षकों के 34540 पदों को एक बार नियुक्ति के रूप में भरने का निर्देश दिया।

इसलिए बिहार विशेष प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियम, 2010 तैयार किए गए। इन नियमों को असाधारण स्थिति से निपटना था जिसे एकबारगी नियुक्ति कहा गया था। तदनुसार, 2013 में 34540 शिक्षकों को नियमित वेतनमान पर सरकारी शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। नंद किशोर ओझा बनाम अंजनी कुमार सिंह वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा नीति में परिवर्तन के कारण शिक्षकों को समायोजिम करने में राज्य द्वारा व्यक्त कठिनाई सहित घटनाक्रमों पर विचार किया गया जो निम्नानुसार है:--

“1. 2004 की एसएलपी (सी) संख्या 22882 में दायर 2007 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 297, बिहार राज्य द्वारा 18-1-2006 को दिए गए कथित उपक्रम के कथित उल्लंघन से उत्पन्न हुई और इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य बनाम नंद किशोर ओझा (2014-11 एससीसी 404) में 23-1-2006 को उसके आधार पर आदेश पारित किया गया। एक समय हमारे ध्यान में यह बात लाई गई थी कि नीति में परिवर्तन के कारण प्रशिक्षित शिक्षक, जो उस समय मौजूद थे जब उपक्रम दिए गए थे, को शामिल नहीं किया जा सकता था। तदनुसार, हमने आदेश पारित किया था कि प्रशिक्षित शिक्षक जो एक समय रिक्त पदों की संख्या से कम थे, रिक्त पदों की संख्या से कम पदों को उपलब्ध रिक्तियों में नियुक्ति दी जानी चाहिए। हालांकि, बाद में शिक्षकों की संख्या की तुलना में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के बारे में कुछ विसंगति थी। तदनुसार, हमने प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रकाशित एक विज्ञापन से एक आंकड़ा अपनाया और उपलब्ध रिक्तियों की संख्या 34,540 तक ले गए।

2. हमने निर्देश दिया था कि उक्त रिक्तियों को 18-1-2006 और 23-1-2006 को दिए गए उपक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए एक बार के उपाय के रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों की कथित संख्या से

भरा जाए।तदनुसार, अवमानना का कोई नियम जारी किए बिना, हमने निर्देश दिया था कि उक्त रिक्तियों को उन प्रशिक्षित शिक्षकों में से भरा जाए जो वरिष्ठता के क्रम में उपलब्ध हैं।हालांकि, बाद में, यह पता चला कि उपलब्ध उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कहीं अधिक थी और कुछ उम्मीदवारों और कुछ संस्थानों की पात्रता के बारे में गंभीर संदेह भी थे, जहां से उन्होंने अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने का आरोप लगाया था।”

इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 में 34,540 प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति की गई।इन शिक्षकों की नियुक्ति हालांकि 2006 के बाद की गई थी, लेकिन इनकी नियुक्ति 2006 के नियमों के अनुसार नहीं की गई थी, लेकिन विशेष भर्ती नियम 2013 बनाए गए थे।

18. परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ नामक शिक्षकों के एक संघ ने 2013 का सिविल रिट अधिकार क्षेत्र मामला संख्या 7089 दाखिल करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि पंचायत प्राथमिक शिक्षक समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के तहत राज्य सरकार के तहत नियुक्त शिक्षकों को समान वेतनमान दिए जा रहे थे। इस मामले को चुनौती दी गयी और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपने दिनांक 5.4.2013 के निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। यह देखा गया:-

“यह एक ऐसा मामला है जहां राज्य ने नीति के रूप में पंचायतों में जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार की एक योजना बनाई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हों, ताकि जिन बच्चों की शिक्षा तक पहुंच नहीं है, उन्हें भी ऐसा अवसर मिल सके। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, जहां तक राज्य के खजाने का संबंध है, नीति/योजना उस बोझ के अनुसार थी जो वह ऐसी भर्ती के लिए वहन कर सकती थी जिसके तहत याचिकाकर्ता की सोसायटी के सदस्यों को नियुक्त किया गया है।

ऐसा होने के कारण, यह पूरी तरह से राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उपरोक्त नियमों के तहत नियुक्त व्यक्तियों के लिए वेतनमान सहित सेवा शर्तों का फैसला करे। न्यायालय अपने विचार नहीं रखेगा या राज्य को सरकारी खजाने से भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करेगा क्योंकि यह राज्य है जो ऐसे व्यय के लिए जवाबदेह है और ऐसे भुगतान को न्यायोचित ठहराएगा।

यदि राज्य सरकार ने शिक्षकों की आवश्यकता और पंचायतों को शक्ति के हस्तांतरण के साथ वित्तीय दायित्व के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक नीति/योजना तैयार की है, तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और संतुलन में बाधा नहीं डालेगा।”.

19. इस समय कई अन्य रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, जो विभेदक व्यवहार से व्यथित थीं, जहां 2006 के नियमों के तहत नियुक्त नियोजित शिक्षकों को समान वेतनमान नहीं दिया गया था और उनके साथ अलग-अलग व्यवहार किया गया था। इन याचिकाओं ने समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा से इनकार करने पर प्रकाश डाला और 2006 के नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति, मुंगेर द्वारा दायर 2013 की सीडब्ल्यूजेसी 21199 के मामले पर सुनवाई की।

20. इसके जवाब में, राज्य का रुख यह था कि शिक्षकों की दो श्रेणियों के बीच मतभेद थे। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा दायर पूरक जवाबी हलफनामे में, अंतर का अनुमान इस प्रकार लगाया गया था:-

“13. शिक्षकों की उपरोक्त दो श्रेणियों के बीच तुलनात्मक अंतर यहां इसके बाद तैयार किए गए सारणीबद्ध चार्ट से अधिक स्पष्ट है:

क्र. सं.	मद	इससे पहले जिला संवर्ग शिक्षक	नियोजित शिक्षक
1.	संवर्ग	जिला/प्रभाग	संबंधित पंचायत, ब्लॉक, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम या जिला परिषद, जैसा भी मामला हो।
2.	स्थिति	राज्य सरकार के कर्मचारी	पंचायती राज संस्थान/शहरी स्थानीय निकाय/जिला परिषद के संबंधित संस्थान के कर्मचारी
3.	संवर्ग की प्रकृति	मरने/घटने वाला संवर्ग	जारी रखने के लिए
4.	पद का नाम	सहायक शिक्षक	पंचायत शिक्षक/ प्रखंड शिक्षक/ नगर शिक्षक/ जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक/ नगर परिषद माध्यमिक शिक्षक/ जिला परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक/ नगर परिषद उच्च माध्यमिक शिक्षक
5.	नियोक्ता	जिला शिक्षा अधीक्षक अब जिला शिक्षा अधिकारी/निदेश, माध्यमिक शिक्षा	संबंधित पीआरआई/ शहरी स्थानीय निकायों/ जिला परिषद
6.	भर्ती का तरीका	प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर बीपीएससी परीक्षा/ईआरएसटीडब्ल्यू हाइल विद्यालय सेवा बोर्ड	शैक्षणिक पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के आधार पर और ट्रेनिंग कोर्स
7.	नियम	संशोधित बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियम, 1991 और बिहार माध्यमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियम।	बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तों) नियम, 2012. बिहार नगर प्राथमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तों) नियम, 2012. बिहार जिला माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तों) नियम, 2006. बिहार नगर

			निकाय माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (रोजगार और सेवा शर्तों) नियम, 2006.
8.	नियुक्ति नियमों की स्थिति	उक्त प्रासंगिक नियम पहले ही निरस्त कर दिए गए हैं।	यह अस्तित्व में है
9.	शिक्षक की संख्या	प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 2006 तक लगभग 1,30,000	2006 के बाद प्राथमिक और माध्यमिक में लगभग 4.4 लाख
10.	अपीलीय प्राधिकरण	आरडीडीई/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	जिला अपीलीय प्राधिकरण/राज्य अपीलीय प्राधिकरण

21. इन मामलों के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 11.08.2015 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके तहत नियोजित शिक्षकों को 2006 के नियमों के तहत निर्धारित वेतन के बजाय वेतन दिया गया था। प्रस्ताव में प्राथमिक शिक्षकों, माध्यमिक शिक्षकों और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ पुस्तकालयाध्यक्ष की संख्या, जो नियुक्त किए गए और उन शिक्षकों को दिया गया वेतनमान का भी संकेत दिया है। प्रस्ताव में दिया गया सारणीबद्ध चार्ट इस प्रकार है:-

“2.1 प्राथमिक शिक्षक

क्र. सं.	पोस्ट	पदों की संख्या	वेतनमान	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1.	प्राथमिक शिक्षक (अप्रशिक्षित)	62031	5200-20200	5
2.	प्राथमिक शिक्षक	245344	5200-20200	0

	(प्रशिक्षित)			
3.	प्राथमिक शिक्षक (स्नातक अप्रशिक्षित)	14000	5200-20200	0
4.	प्राथमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित)	22739	5200-20200	2400
	कुल शिक्षक (घोषित रिक्तियों के विपरीत भविष्य में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या सहित)	344114		

2.2 माध्यमिक शिक्षक/लाइब्रेरियन

क्र. सं.	पोस्ट करें	पदों की संख्या	वेतनमान	ग्रेड पे
1	2	3	4	5
1.	माध्यमिक शिक्षक (अप्रशिक्षित)	4463	5200-20200	0
2.	माध्यमिक शिक्षक (प्रशिक्षित)	25038	5200-20200	2400
3.	लाइब्रेरियन	1900	5200-20200	0
4.	उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (10 + 2) (अप्रशिक्षित)	3058	5200-20200	0
5.	उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (10 + 2) (प्रशिक्षित)	26774	5200-20200	2800
	कुल शिक्षक (घोषित रिक्तियों के विपरीत भविष्य में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की संख्या सहित)	61233		

प्रस्ताव का पैरा 2.5 इस प्रकार थाः.

“2.5 समय, संशय पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्तों, चिकित्सा भत्तों, मकान भत्तों और वार्षिक वेतनावृद्धि का लाभ नियोजित प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित/प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को दिया जाएगा।”

प्रस्ताव में 1.7.2015 से प्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए न्यूनतम मूल वेतनमान निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 2,000 रुपये, माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षकों और लाइब्रेरियन के लिए 2,400 रुपये और उच्च माध्यमिक प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 2,800 रुपये की राशि ग्रेड वेतन के रूप में देय होगी। यह निर्धारित किया गया था कि 01.07.2015 से उनकी परिलब्धियों में कम से कम 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी और वे विशेष भत्ते के भी हकदार होंगे। प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि संशोधित परिलब्धियों का वित्तीय प्रभाव इस प्रकार होगा:-

अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव के विवरण					
क्र. सं.	ग्रेड	नियोजित शिक्षकों की संख्या जो लाभान्वित होंगे	वेतनमान के संदर्भ में देय कुल परिलब्धियां	वर्तमान में भुगतान की जा रही कुल परिलब्धियां	कुल अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव (करोड़ रुपये में)
1.	प्राथमिक शिक्षक	344114	6693.23	4173.21	2520.04
2.	माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और लाइब्रेरियन	61233	1259.3	830.85	428.45
	कुल मिलाकर	405347	7952.55	5004.06	2948.49

22. जब मामलों को खंडपीठ द्वारा विचार के लिए लिया गया था, तो रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि दोनों श्रेणियों के शिक्षक अर्थात् सरकारी शिक्षक और नियोजित शिक्षक एक ही राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में निर्देश दे रहे थे और फिर भी नियोजित शिक्षकों को भुगतान किए गए परिलब्धियों में काफी अंतर था कि दोनों श्रेणियों के शिक्षक समान जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे और समान पाठ्यक्रम पढ़ा रहे थे और उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निष्पादन में कोई अंतर नहीं था कि इन दोनों श्रेणियों के बीच का अंतर पूरी तरह से अनुचित था और 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के संवैधानिक सिद्धांत के आधार पर नियोजित शिक्षक उसी वेतन, वेतनमान और परिलब्धियों के हकदार थे जो राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में सरकारी शिक्षकों को देय थे। पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य और विशेष रूप से उसके पैरा 42 और 44 में इस न्यायालय के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया गया था।

राज्य की ओर से कार्रवाई का बचाव करते हुए, विद्वान महाधिवक्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ताओं को 2006 के नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया गया था और इस प्रकार, वे उन नियमों की वैधता को चुनौती नहीं दे सकते थे जिनके तहत उन्हें नियुक्त किया गया था। सुनवाई के समापन पर, निम्नलिखित प्रभाव के लिए राज्य की ओर से लिखित प्रस्तुतियां भी दाखिल की गईं:-

- “1. कि वर्तमान मामले में बहस की कार्यवाही पूरी कर ली गई है और 09 अक्टूबर, 2017 को आदेश आरक्षित कर दिया गया है, इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए दावे के संबंध में पहले के हलफनामों में उठाए गए दावों के पूरक के रूप में वर्तमान लिखित निवेदन दाखिल किया जा रहा है।
2. कि यह कहा गया है कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में 3,19,703 शिक्षक और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 37,529 शिक्षक पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय

निकायों के तहत काम कर रहे हैं और राज्य सरकार ऐसे शिक्षकों को वेतन के भुगतान के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता प्रदान करती है और वर्तमान में अनुमानित बजटीय व्यय लगभग 8924.48 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है।

3. कि यदि स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को राज्य सरकार के मृत कैडर के शिक्षकों के बराबर वेतन की अनुमति दी जाती है, तो अनुमानित बजट 18853.96 करोड़ रुपये होगा, जिसके लिए 9929.48 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता होगी।

4. कि यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षकों की बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं जिन्हें उचित समय पर भरे जाने की संभावना है। उपलब्ध सूचना के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों के 1,71,775 रिक्त पद और माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 38,000 रिक्त पद हैं और इस प्रकार, भविष्य की भर्ती के भुगतान के लिए वेतन के लिए 6144.02 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी।

5. कि उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों के तहत निकट भविष्य में भर्ती किए जाने वाले कार्यरत शिक्षकों और शिक्षकों के वेतन के भुगतान में होने वाले संभावित खर्चों को पूरा करने के लिए 16073.50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय आवंटन की आवश्यकता होगी, जो 8924.84 करोड़ रुपये के वर्तमान अनुमानित बजटीय व्यय के अलावा होगा, जो यहां संलग्न चार्ट से स्पष्ट होगा। समग्र चार्ट की एक छायाप्रति संलग्न है जिसे इस लिखित प्रस्तुति में अनुलग्नक-आर के रूप में चिह्नित किया गया है।

6. कि यहां यह बताना प्रासंगिक है कि वर्तमान में राज्य द्वारा शिक्षा पर कुल बजटीय प्रावधान। सरकार 25251 करोड़ रुपये की है जो राज्य सरकार के कुल बजटीय प्रावधान का लगभग 16 प्रतिशत है और यदि याचिकाकर्ता के इन रिट आवेदनों की अनुमति दी जाती है, तो राज्य की वित्तीय स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी और इसके अलावा, यह राज्य सरकार के कल्याण कार्यक्रम सहित अन्य सभी कर्तव्यों और कार्यों को भी प्रभावित करेगी।

7. कि उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अभिसाक्ष्य विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करता है कि प्रश्नगत मुद्दे पर निर्णय करते समय, पूर्वोक्त तथ्य पर इस माननीय न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

23. सभी रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा अपने 31 अक्टूबर, 2017 के निर्णय और आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। उक्त निर्णय के दौरान, निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए:-

“(i) क्या नियम 2006 के नियम 6 और 8 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप हैं या यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

(ii) क्या नियोजित शिक्षक 2006 के नियम लागू होने से पहले राष्ट्रीयकृत विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों के समान कार्य के लिए समान वेतन के हकदार हैं या नहीं?

(iii) क्या रिट याचिकाकर्ता 2006 के नियम बनाने से पहले राष्ट्रीयकृत विद्यालय में नियुक्त अपने समकक्षों के समान वेतन के निर्धारण के लिए निर्देश के हकदार हैं या नहीं?.

24. यह पाया गया कि ऐसा कोई अभिवचन नहीं था कि 2006 के बाद नियुक्त नियोजित शिक्षक योग्यता या प्रशिक्षण में किसी भी तरह से निकृष्ट थे और यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि वे एक ही संस्थान में विभिन्न कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। शिक्षकों की दोनों श्रेणियां एक ही विद्यालय में निर्देश देने के समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थीं और उनके पास आवश्यक योग्यता थी जो 2006 से पहले नियुक्त शिक्षकों के पास थी। उच्च न्यायालय ने जगजीत सिंह और जयपाल सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया और पाया कि नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने से इनकार करने में राज्य का हिस्सा मनमाना और अनुचित था। इसका निष्कर्ष इस प्रकार था:-

“58. इस प्रकार अभिलेख पर सामग्री इस बात पर जोर दे रही है कि नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षक हैं, जो राज्य सरकार के नियंत्रण वाले राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में काम करते हैं। राज्य सरकार ने दो अलग-अलग वेतनमान अपनाए हैं, एक नियोजित शिक्षक के लिए और दूसरा 2006 के नियम बनाने से पहले नियमित शिक्षकों के रूप में माने जाने वाले शिक्षकों के लिए। कृत्रिम विभेद के आधार पर वेतनमान में ऐसा भेदभाव अनुचित है।”

25. अपनी चर्चा के दौरान, यह भी देखा गया कि:-

“46. मैं यह भी पाता हूँ कि नियोजित शिक्षक के रूप में गरीब स्तर ने बिहार राज्य में शैक्षणिक वातावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। बिना किसी पदोन्नति की संभावना के कम वेतन वाले शिक्षकों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। व्यक्तिगत प्रबंधन का स्थापित सिद्धांत यह है कि प्रोत्साहन और संभावना सेवा में मानव शक्ति के नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। कैरियर में बेहतर वेतन और संभावना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्प्रेरक है, ऐसे विद्यालयों में कक्षा 4 के कर्मचारी से कम वेतन लेने

वाले शिक्षक संस्थान और समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। यह आत्मनिरीक्षण करने का विषय है और राज्य सरकार को इस स्थिति से उबरना चाहिए और नियोजित शिक्षकों को अन्य नियमित अध्यापिकाओं के समान भुगतान करके अन्याय को समाप्त करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि नियुक्त किए गए शिक्षकों को कम भुगतान से 2006 के नियमों के तहत सर्वश्रेष्ठ और सबसे सक्षम शिक्षकों की भर्ती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और शायद यह एक कारण है कि कोचिंग संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जहां छात्र नियमित शिक्षण की तुलना में अधिक आकर्षित होते हैं। न्यायालय जमीनी हकीकत की अनदेखी नहीं कर सकता।”.

अंत में, उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया

“(ii) याचिकाकर्ता समान कार्य के लिए समान वेतन के हकदार हैं।”

(iii) प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे राष्ट्रीयकृत विद्यालय के नियमित शिक्षकों की तरह अपना वेतनमान निर्धारित करें, जो नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से प्रभावी होगा और वास्तविक भुगतान 08 दिसम्बर, 2009, सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17176 के दाखिल करने की तिथि से प्रभावी होगा जो उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम चरणजीत सिंह स्वीकृत किया गया है और (पूर्वोक्त) जगजीत सिंह के मामले के निर्णय में इसकी चर्चा की गई और मैंने अभिनिर्धारित किया है कि नियम 8 प्रारंभ की तारीख से अप्रभावी और अप्रवर्तनीय है क्योंकि जहां तक नियोजित शिक्षक का संबंध है यह मनमाना और असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण करता है।

(iv) प्रतिवादियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अन्य नियमित कर्मचारियों की तरह नियोजित शिक्षक के लिए 7 वें वेतन

संशोधन की सिफारिश के तहत वेतन संशोधन के सिद्धांतों के अनुसार याचिकाकर्ताओं के वेतनमान को संशोधित करें।

(v) इस तरह की कवायद को आज से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और नियोजित शिक्षक को स्वीकार्य मौद्रिक लाभों का भुगतान तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।”

26. बिहार राज्य ने, व्यथित होने पर, इन अपीलों में उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय को चुनौती दी है। 29 जनवरी, 2018 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

“याचिकाओं के इस बैच में उठाया गया सवाल यह है कि क्या स्थानीय निकायों द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों और राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों में समानता होनी चाहिए।

राज्य सरकार के रुख के अनुसार, 2006 से पहले राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए गए शिक्षक एक मृत्यु संवर्ग हैं। राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों की श्रेणी में लगभग 50,000 शिक्षक हैं, जबकि स्थानीय निकायों द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों की श्रेणी में लगभग 3,50,000 शिक्षक हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार केवल एक स्थायी श्रेणी है अर्थात् स्थानीय निकायों द्वारा भर्ती की गई है। दूसरी श्रेणी के लिए वेतन लगभग 20,000 रुपये है जबकि राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों को औसतन 56,000 रुपये का वेतन दिया जाता है।

...

...

...

हालांकि, सिद्धांत रूप में शिक्षकों के वेतन में समानता होनी चाहिए, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय निकायों द्वारा भर्ती किया

गया हो। यदि कानून के अनुरूप किसी फिल्टर को समानता देने के लिए नियोजित किए जाने की आवश्यकता है, तो वही किया जा सकता है। हालांकि, सवाल यह है कि इस तरह के सिद्धांत को लागू करने का क्या कारण है, जहां पहली श्रेणी में शिक्षकों की श्रेणी को डाईंग कैडर घोषित किया जाता है। दूसरा, हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि क्या बकाया राशि की देनदारी के साथ राज्य सरकार पर दबाव डालना व्यावहारिक है। राज्य का रुख यह है कि भविष्य में केवल एक ही श्रेणी होगी अर्थात् स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षक। ऐसी स्थिति में भी, स्थानीय निकायों द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों के वेतन पैकेज में तर्कसंगत होना चाहिए। ऐसा करते समय, केंद्र सरकार द्वारा भुगतान की गई राशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और राज्य सरकार प्रत्यर्थियों के दृष्टिकोण पर विचार कर सकती है और एक प्रस्ताव के साथ आ सकती है जो उचित हो सकता है। यह मुख्य सचिव के रैंक के कम से कम 3 अधिकारियों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है। उक्त समिति को यदि कोई सुझाव प्राप्त होता है तो वह संबंधित शिक्षकों के साथ-साथ किसी अन्य हितधारक के विचारों पर विचार करने के लिए भी स्वतंत्र होगी।

जिस पर विशेषज्ञ समिति विचार कर सकती है।

तदनुसार, हमने मामले को आगे विचार के लिए 15 मार्च, 2018 तक स्थगित कर दिया।

हम केन्द्र सरकार के दृष्टिकोण को न्यायालय के समक्ष रखने में न्यायालय की सहायता करने के लिए अपर महासालिसिटर श्री थाना नरसिम्हा से अनुरोध करना आवश्यक समझते हैं।

आज की स्थिति के अनुसार, इस बीच यथास्थिति बनाए रखी जाए।”

27. तदनुसार, बिहार के मुख्य सचिव, प्रधान महासचिव प्रशासन विभाग और जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव को मिलाकर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति ने निम्नलिखित पृष्ठभूमि के तथ्य प्रस्तुत किए:-

“... ..समिति ने पंचायती राज संस्थानों के साथ-साथ नगर निकायों के तहत शिक्षकों के नियोजन से संबंधित नियमों का अध्ययन किया, जिसे वर्ष 2006 में लागू किया गया था और समय-समय पर इसमें संशोधन किया गया था। बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम-20 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, पंचायत शिक्षा मित्र के पद पर पहले संविदात्मक रूप से नियुक्त किए गए लोगों को 01.07.2006 से पंचायत/प्रखण्ड शिक्षकों के रूप में समायोजित/समायोजित कर लिया गया था। वर्ष 2002-03 से 11 महीने की अवधि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत शिक्षा मित्र की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर 1500 रुपये प्रति माह के निर्धारित पारिश्रमिक पर की गई थी। ऐसे संविदात्मक नियुक्तियों की कुल संख्या 01.07.2006 को 1,04,114 थी, जिन्हें पंचायत/ब्लॉक शिक्षक के पद पर समायोजित/समायोजित किया गया था और उन्हें प्रशिक्षित होने की स्थिति में प्रति माह 5000 रुपये और अप्रशिक्षित होने की स्थिति में प्रति माह 4000 रुपये का निश्चित वेतन दिया गया था।

उपर्युक्त नियमों, 2006 में यह भी प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक तीन वर्षों के बाद प्रशिक्षित लोगों के मामले में 500 रुपये और अप्रशिक्षित लोगों के मामले में 300 रुपये की वृद्धि निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी।

वर्ष 2009 में नियमों, 2006 में संशोधन किया गया था, जिसमें मूल्यांकन परीक्षण का प्रावधान किया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि उक्त परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद वेतन में वृद्धि दी जाएगी। यह भी प्रावधान किया गया है कि उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम तीन प्रयास किए जाएंगे, जिसमें विफल होने पर उन्हें उनके संबंधित नियोक्ता द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। उक्त मूल्यांकन परीक्षण केवल वेतन में वृद्धि के उद्देश्य से किया गया था, न कि वेतनमान, समतुल्यता या प्रमाणन, यदि कोई हो, के लिए।

6. भारत के संविधान के अनुच्छेद-21 ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को ध्यान में रखते हुए, जो 01.04.2010 से प्रभावी हुआ, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को केंद्र सरकार द्वारा शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी भी व्यक्ति को शिक्षक के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक वह आवश्यक चयन प्रक्रिया से सफलतापूर्वक नहीं गुजरता है।

7. इसी प्रकार, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर चयन के लिए नियम भी प्रख्यापित किए गए। प्राथमिक और माध्यमिक खंड में चयन/नियुक्ति ग्राम पंचायत और नगर निकायों द्वारा 2006 के बाद की गई थी और उक्त चयन प्रक्रिया में किसी भी परीक्षा/परीक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

8. प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए, 2006 के नियमों से पहले, 2003 में नियम भी बनाए गए थे, जिसमें यह प्रावधान

किया गया था कि कर्मचारी चयन आयोग, बिहार द्वारा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित करने के बाद ऐसी नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

9. इसी तरह, माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए, 2006 के नियमों से पहले, 2004 में भी नियम बनाए गए थे, जिसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि कर्मचारी चयन आयोग, बिहार द्वारा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का संचालन करने के बाद ऐसी नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।”

इसके बाद आयोग ने 11 अगस्त, 2015 के प्रस्ताव और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद मौजूदा स्थिति पर विचार किया। समिति ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:-

“18. यह उल्लेखनीय है कि प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 3,19,703 नियोजित शिक्षक हैं, जबकि माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 38,715 नियोजित शिक्षक (पुस्तकालयाध्यक्ष सहित) हैं। प्राथमिक स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों में से 2,65,000 शिक्षक सर्वशिक्षा अभियान के तहत आच्छादित किए गए हैं। सर्वशिक्षा अभियान के तहत आच्छादित किए गए शिक्षकों को वेतन के भुगतान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा क्रमशः 60 प्रतिशत और 40 प्रतिशत है।

... ..

22...माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 31.10.2017 के आदेश के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त सुझावों पर अमल करना वित्तीय रूप से अव्यावहारिक है, जिसमें नियोजित शिक्षकों को उनके प्रारंभिक पदभार ग्रहण की तारीख से राष्ट्रीय स्तर पर वेतनमान प्रदान करने और 08.12.2009 से राज्य सरकार द्वारा

नियुक्त सहायक शिक्षकों के समान वास्तविक लाभ प्रदान करने के लिए कहा गया है।”

समिति ने सुझाव दिया:.

”राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों और ऐसे शिक्षकों के नियोजन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, निस्पंदन प्रक्रिया से गुजरने के बाद ऐसे नियोजित शिक्षकों (शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त शिक्षकों सहित) को उन्नत वेतन संरचना प्रदान की जा सकती है। निस्पंदन प्रक्रिया का आधार इस उद्देश्य के लिए आयोजित एक विशेष परीक्षा होनी चाहिए। विशेष परीक्षा में उपस्थित होने के लिए दो अलग-अलग अवसर दिए जाएंगे।”

आगे यह भी सुझाव दिया गया कि इस उद्देश्य के लिए आयोजित विशेष परीक्षा में सफल होने वाले नियोजित शिक्षकों को उन्नत वेतन संरचना प्रदान की जा सकती है और इस प्रकार, इस तरह की विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को अपने वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उन्नत वेतन संरचना के तहत कवर किया जा सकता है।

28. इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया। यह कहा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) क्रमशः वित्तीय वर्ष 2000-2001 और 2009-2010 से 2017-2018 तक संचालित थे और दोनों कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित योजनाएं थीं, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्त पोषण साझा किया गया था। इन कार्यक्रमों की परिकल्पना सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए की गई थी। तब यह कहा गया था:-

“23. संक्षेप में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को देश भर में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए राज्य सरकारों और संघ

राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ साझेदारी में 2001-02 से लागू किया गया था। इसके समग्र लक्ष्यों में सार्वभौमिक पहुंच और प्रतिधारण, शिक्षा में लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को पाटना और बच्चों के सीखने के स्तर को बढ़ाना शामिल है। संसद द्वारा आरटीई अधिनियम, 2009 के लागू होने के बाद आ.टी.ई. प्रावधानों के अनुरूप एसएसए मानदंडों को संशोधित किया गया था। एसएसए के तहत नए विद्यालय खोलने, आवासीय विद्यालय सुविधाओं, अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं, शिक्षकों के लिए प्रावधान, आवधिक शिक्षक प्रशिक्षण आदि जैसे 40 से अधिक हस्तक्षेपों के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। एसएसए कार्यक्रम के तहत अनुमोदित और भरे गए ऐसे पदों के लिए आवश्यक धन का एक हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया गया था। चूंकि इन शिक्षकों की भर्ती और अन्य सेवा संबंधी मामले राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन शिक्षकों के लिए वेतन और वेतन निर्धारण संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया गया था।

24. 'शिक्षकों की नियुक्ति' शीर्षक के तहत वित्तीय प्रबंधन और खरीद (एफएमपी) मैनुअल के अध्याय-III बिंदु 21 में यह प्रावधान किया गया है कि एसएसए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा होगा और शिक्षकों की भर्ती और नई भर्ती के लिए वेतन के भुगतान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपने मानदंड होंगे। राज्य तब तक अपने स्वयं के मानदंडों का पालन करने के लिए स्वतंत्र होंगे जब तक ये एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप होंगे और नौकरी छोड़ने के कारण उत्पन्न हुई मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए सहायता उपलब्ध नहीं होगी। एसएसए के

एफएमपी मैनुअल की एक सही टंकण की हुई प्रति संलग्न की गई है और अनुलग्नक-8 के रूप में चिह्नित की गई है।

नई योजना-समग्र शिक्षा

25. सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा पर केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएसटीई) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार के तीन प्रमुख प्रमुख स्कूल शिक्षा विकास कार्यक्रम थे, जिन्हें क्रमशः 2000-01, 2009-10 और 1987 से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा था। एसएसए ने प्राथमिक स्तर (ग्रेड I-VIII) को आच्छादित किया, आरएमएसए ने ग्रेड IX-X को आच्छादित किया, जबकि सीएसएसटीई का उद्देश्य शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को बुनियादी ढांचागत और संस्थागत सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं का अनुमोदन 2016-17 में 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक था। इन्हें एक वर्ष की अवधि अर्थात् 2017-18 के लिए बढ़ा दिया गया था, जो उनके मूल्यांकन और आगे की मंजूरी लंबित थी। हालांकि एसएसए, आरएमएसए और टीई की केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने देश में शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनका दायरा और कवरेज विभाजित रहा है और स्कूल-पूर्व स्तर के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है और केवल वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के लिए बहुत सीमित सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने और छात्रों से सीखने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में शुरू की गई योजनाओं के स्वतंत्रता मूल्यांकनों ने ग्रेड I-

X/XII को आच्छादित करने वाले एकल स्कूल शिक्षा विकास कार्यक्रम के माध्यम से योजनाओं के बीच अभिसरण और एकीकरण में वृद्धि का सुझाव दिया थादिनांक 22 जनवरी, 2018 की पत्र संख्या 2-16/2017-ईई 3 के माध्यम से नई योजना के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था और 30 जनवरी, 2018 को आयोजित सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय कार्यशाला में भी इस पर चर्चा की गई थी। मंत्रिमंडल ने 28 मार्च, 2018 को समग्र शिक्षा नामक नई योजना को मंजूरी दी थी और यह 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी हो गई है।

26. इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के अनुसार प्री-स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और छात्रों के सीखने के परिणामों में वृद्धि करना, स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को पाटना, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना, स्कूली शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करना, शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन में राज्यों को समर्थन देना और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी)/राज्य शिक्षा संस्थानों (एसआईई) और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) को शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में मजबूत और उन्नत करना शामिल है।

27. समग्र शिक्षा में विद्यालय की परिकल्पना पूर्व-विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तरों तक निरंतरता के रूप में की गई है। यह विद्यालयीय शिक्षा के विभिन्न स्तरों में परिवर्तन को सुगम बनाएगा और विद्यालयीय शिक्षा पूरी करने के लिए बच्चों तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देने में सहायता करेगा। इस योजना के तहत विद्यालयीय शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रमुख कदम इस प्रकार हैं: (i) बुनियादी ढांचे के विकास और प्रतिधारण सहित सार्वभौमिक पहुंच (ii) लिंग और समानता (iii) समावेशी शिक्षा, (iv) गुणवत्ता में वृद्धि, (v) शिक्षकों के वेतन और वेतन के लिए वित्तीय सहायता, (vi) डिजिटल पहल, (vii) वर्दी, पाठ्य पुस्तकों आदि सहित आरटीई हकदारियां, (viii) विद्यालय पूर्व शिक्षा, (ix) व्यावसायिक शिक्षा, (x) खेल और शारीरिक शिक्षा, (xi) शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करना, (xii) निगरानी और (xiii) कार्यक्रम प्रबंधन।

28. सभी तीनों योजनाओं के बजट को एक ही बजट प्रावधान में विलय किया जा रहा है। यह केंद्र का हिस्सा होगा, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराया जाएगा। सभी राज्यों के लिए 40 प्रतिशत, इसके अपवाद के साथ कि पैटर्न 90 प्रतिशत होगा: पूर्वोत्तर और तीन हिमालयी राज्यों के लिए 10 प्रतिशत और विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत।

29. शैक्षिक संकेतकों और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, आवश्यकताओं/प्रदर्शन के सूचकांक के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच धन का एक हिस्सा आवंटित किया जाएगा। निधियों का उपयोग विभाग की अधिकार प्राप्त समिति अर्थात् स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित

सीमाओं के भीतर अनुमोदित हस्तक्षेपों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। विलय की गई योजनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य से एकल उपयोग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि एसएसए और आरएमएसए की पूर्ववर्ती योजनाओं में शिक्षकों के वेतन के लिए सहायता राज्य द्वारा अधिसूचित वेतन ढांचे के अनुसार दी जाती थी, जिसमें व्यापक भिन्नता दिखाई देती थी। इसलिए, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शिक्षकों के वेतन के लिए केंद्रीय सहायता में एकरूपता बनाए रखने और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए धन प्रदान करने के लिए, एकीकृत योजना के तहत शिक्षकों के वेतन के लिए सहायता की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस प्रकार, जहां एक ओर शिक्षक संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होते रहेंगे, वहीं एकीकृत योजना के तहत देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समान सहायता दी जाएगी। सीखने के परिणामों में सुधार के लिए राज्य को सहयोग करने, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने, शिक्षकों के क्षमता निर्माण में वृद्धि और प्रभावी परिणामों डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए पहल के लिए हैं। शिक्षकों के वेतन के मानदंडों को संलग्न किया गया है और अनुलग्नक-9 के रूप में चिह्नित किया गया है।”

29. इसके बाद हलफनामे में एसएसए के तहत वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित निधियों का ब्यौरा एक सारणीबद्ध चार्ट में दिया गया, जो इस प्रकार है:

एसएसए के अंतर्गत चार वर्ष की केन्द्रीय विज्ञप्तियों की स्थिति					
क्रम संख्या		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
	बी.ई.	28258 करोड़ रुपये	22000 करोड़ रुपये	22500 करोड़ रुपये	23500 करोड़ रुपये

	आर.ई.	24380 करोड़ रुपये	22015.10 करोड़ रुपये	22500 करोड़ रुपये	23593.86 करोड़ रुपये
	(लाख रुपये में)				
	राज्य	केंद्रीय विज्ञप्तियां	केंद्रीय विज्ञप्तियां	केंद्रीय विज्ञप्तियां	केंद्रीय विज्ञप्तियां
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	147.21	359.46	479.14	1945.33
2	आंध्र प्रदेश	154566.67	66810.81	63302.18	70431.00
3	अरुणाचल प्रदेश	33607.82	18179.44	19956.64	23022.07
4	असम	97782.19	100464.64	87652.30	123584.00
5	बिहार	216336.05	251557.32	270688.45	255797.00
6	चंडीगढ़	3893.53	3521.81	333.56	9265.50
7	छत्तीसगढ़	92705.30	62219.70	59262.77	67412.85
8	दादर और नगर हवेली	911.74	594.91	1068.37	5476.54
9	दमन और दीव	72.77	78.38	300.00	1038.57
10	दिल्ली	6223.74	7293.80	8306.20	10976.90
11	गोवा	1310.39	813.58	869.11	862.60
12	गुजरात	78476.49	61563.84	77740.52	65046.00
13	हरियाणा	42110.65	34501.21	32000.88	36355.00
14	एचपी	12547.30	12139.13	12825.46	30874.00
15	जम्मू और कश्मीर	51276.52	129980.54	107250.05	153797.98
16	झारखंड	75775.18	55863.31	50945.73	58984.54
17	कर्नाटक	66213.52	41759.34	54495.51	54882.00

18	केरल	21844.02	12858.86	11316.74	13680
19	लक्षद्वीप	58.83	139.55	239.87	406.52
20	मध्य प्रदेश	149094.92	160197.86	154455.08	173814
21	महाराष्ट्र	58288.54	41225.28	60369.65	64232
22	मणिपुर	21465.81	18355.46	4405.31	18377
23	मेघालय	20404.52	16627.04	20067.01	33579.51
24	मिजोरम	14739.7	9437.51	10934.31	12000.34
25	नगालैंड	20568.74	8739.53	10725.35	11717
26	पुडुचेरी	100	583.14	304.68	622.73
27	पंजाब	36215.98	30003.22	30002.69	31665
28	राजस्थान	248041.55	193462.08	182578.48	1989-73
29	सिक्किम	4526.78	4054.36	3479.24	5684.35
30	तेलंगाना	81406.78	21776.01	41776.09	44244.72
31	तमिलनाडु	135819.79	82111.73	8211.3	86644
32	त्रिपुरा	19800.14	16956.75	19190.95	20220.38
33	यू.पी.	449867.53	505434.32	505433.98	424980.68
34	उत्तराखंड	22880.57	22588.4	25268.98	62499
35	पश्चिम बंगाल	97240.3	84679.41	82185.33	89657
केंद्रीय विज्ञप्तियां कुल		2403016.41	2159013.36	2165744.89	2349361.32

30. हलफनामे में तब वित्तीय निहितार्थों पर विचार किया गया यदि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निदेशों को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाना था। यह कहा गया:-.

“31. वर्तमान याचिका में इस माननीय न्यायालय के 27 मार्च, 2018 के अंतरिम आदेश के परिणामस्वरूप, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों में फैसले के वित्तीय निहितार्थ का अनुमान लगाने का प्रयास किया है। विभाग ने सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) की पूर्ववर्ती योजनाओं के तहत स्वीकृत शिक्षकों की संख्या और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर राज्य संवर्गों के तहत उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के बारे में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जानकारी एकत्र की है। एसएसए, आरएमएसए और राज्य संवर्ग के तहत स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त स्थायी शिक्षकों, संविदात्मक शिक्षकों और शिक्षकों के लिए जानकारी एकत्र की गई थी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी के लिए औसत मासिक वेतन की जानकारी भी एकत्र की गई।

32. उपरोक्त तीन श्रेणियों के तहत वर्ष 2017-18 के लिए राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए शिक्षकों की संख्या और उनके औसत मासिक वेतन के आधार पर इस फैसले का वित्तीय प्रभाव अनुमानित किया गया है। यदि स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों/संविदात्मक शिक्षकों को राज्य संवर्ग के नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि न्यूनतम वित्तीय बोझ 36 हजार नौ सौ अठानवे करोड़ रुपये (36998 करोड़ रुपये) प्रति वर्ष होगा। इस अनुमान में उन भत्तों और अन्य लाभों को शामिल नहीं किया गया है जो संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मौजूदा नियमों के अनुसार लागू होते हैं, जिससे लागत में और

वृद्धि होगी। आकलन पत्र की एक सही टंकण की हुई प्रति संलग्न है और अनुलग्नक-11 के रूप में चिह्नित है।

हलफनामे का अनुलग्नक 11 इस प्रकार था:

क्रमांक संख्या	राज्य	अतिरिक्त वेतन वित्त पोषण की अस्थायी आवश्यकता
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4. 87
2.	आंध्र प्रदेश	57. 82
3.	अरुणाचल प्रदेश	183.16
4.	असम	316.94
5.	बिहार	10460.7
6.	चंडीगढ़	17. 83
7.	छत्तीसगढ़	5867.79
8.	डी एंड एन हवेली	19. 76
9.	दमन और दीव	4. 75
10.	दिल्ली	66
11.	गोवा	7. 82
12.	गुजरात	0. 78
13.	हरियाणा	267.77
14.	एचपी	463. 56
15.	जम्मू और कश्मीर	117.83
16.	झारखंड	3861.98
17.	कर्नाटक	0
18.	केरल	31. 54
19.	लक्षद्वीप	2. 34
20.	मध्य प्रदेश	2971.13
21.	महाराष्ट्र	157.49

22.	मणिपुर	ना
23.	मेघालय	288.09
24.	मिजोरम	102.64
25.	नगालैंड	03
26.	ओडिशा	429.19
27.	पुडुचेरी	0.98
28.	पंजाब	147.04
29.	राजस्थान	0
30.	सिक्किम	131.68
31.	तमिलनाडु	0
32.	तेलंगाना	0
33.	त्रिपुरा	103.31
34.	उत्तर प्रदेश	8448.78
35.	उत्तराखंड	67.74
36.	पश्चिम बंगाल	2316
	कुल अपेक्षित निधि	36998

31. जब इन मामलों को सुनवाई के लिए लिया गया तो राज्य सरकार की ओर से श्री दिनेश द्विवेदी, श्री राकेश द्विवेदी और श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं।

अ) श्री दिनेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 2006 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षक और 2006 के नियमों के अनुसार नियुक्त नियोजित शिक्षक एक अलग आधार पर थे और उस आधार पर राज्य सरकार द्वारा किया गया अंतर काफी स्वाभाविक और तर्कसंगत था। यह राज्य सरकार का निर्णय था कि राज्य सरकार के शिक्षकों की श्रेणी में आगे कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी और इस प्रकार, 2006 से पहले नियुक्त किए गए लोग एक मरणासन्न या लुप्त होने वाले कैडर का

हिस्सा थे। ऐसे मरणासन्न या लुप्त हो रहे संवर्ग के वेतनमान और उन्हें 2006 के नियमों के अनुसार नियुक्त चार लाख से अधिक शिक्षकों पर लागू करना न केवल एक गलत और अपूर्ण विचार होगा, बल्कि इससे राज्य पर भारी आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। ऐसे मामलों में, इस न्यायालय द्वारा आर्थिक क्षमता को हमेशा एक प्रासंगिक परिस्थिति माना गया है। अपने प्रस्तुतिकरण में, 2006 से पहले एक मरणासन्न संवर्ग के रूप में नियुक्त किए गए लोगों और 2006 के नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए लोगों के बीच का अंतर, जिन्हें स्थानीय या ब्लॉक स्तरों पर नियुक्त किया गया था, एक वैध वर्गीकरण था। उन्होंने इस न्यायालय के इन निर्णयों पर भरोसा किया:- (i) तरसेम लाल गौतम और अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और अन्य वी. मार्केन्डेया और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य धारवाड़ जिला आर. पी. डब्ल्यू. डी. लिटरेट डेली वेज एम्पलाइज एसोसिएशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य सचिव, वित्त विभाग और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मंत्रिस्तरीय कर्मचारी संघ सी. चंद्रा और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य।

(ब) श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 21 ए को शामिल करने और बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार होने के कारण, राज्य से शैक्षिक अवसरों का प्रसार करने और दूरदराज के क्षेत्रों में विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है। राज्य कभी भी वेतन-वेतनमान देने के खिलाफ नहीं रहा है जो अधिक लाभकारी हो सकता है, लेकिन शुरू में अपने संसाधनों की सीमाओं के भीतर शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक दायित्व के एक हिस्से के रूप में राज्य ने 21261 नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की है, 19617 प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय स्तर तक अपग्रेड किया है और 3129 माध्यमिक विद्यालयों को माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक उत्कृष्ट किया है और राज्य वर्तमान में शिक्षा पर अपने बजट का 20 प्रतिशत खर्च कर रहा है। जब से पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा के प्रसार

को प्राप्त करना था, समय के साथ, राज्य उन परिलब्धियों में जान-बूझकर सुधार कर रहा है जो शुरू में नियोजित शिक्षकों को प्रदान की गई थीं। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह हर पड़ोस और राज्य के हर कोने में शिक्षा का प्रसार करे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण और प्रसार की नीति को राज्य की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। राज्य अब शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कमर कस रहा है और इस प्रयास में राज्य निश्चित रूप से बेहतर प्रतिभा को आकर्षित करने और अधिक जोर देने के साथ अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए सेवा शर्तों को अधिक लाभकारी बनाएगा, लेकिन वर्तमान मानदंडों की तुलना एक मर रहे या लुप्त हो रहे संवर्ग के साथ करना पूरी तरह से अनुचित था। उन्होंने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया - सरकारी परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य पंजाब राज्य और अन्य बनाम सुरजीत सिंह और अन्य स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम दिब्येंदु भट्टाचार्य, गोपाल चावला और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य और v एम. एल. अरोरा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

श्री राकेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी एक नोट दिया, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार था:-

“नवंबर 2005 में बिहार में सरकार बदलने के बाद, यह पाया गया कि 6-14 वर्ष की आयु के बीच के 12% (23,15,362) बच्चे विद्यालय से बाहर थे। बिहार राज्य के सक्रिय रुख और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन और 11 वीं और 12 वीं अनुसूची के साथ पढ़े गए 73 वें और 74 वें संशोधनों के अधिदेश के कारण, यह संख्या आज 1% से कम (2,01,806) रह गई है।

इसे सुधारने और अपने अल्प संसाधनों के भीतर शिक्षा (ग्रामीण और शहरी दोनों) की पहुंच का विस्तार करने के लिए, बिहार राज्य ने एक नीतिगत निर्णय लिया और अपने पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से नए शिक्षकों की भर्ती करने का संकल्प लिया। नए नियम

बनाए गए और विद्यालयीय शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षकों के पद पर सभी भर्ती इसी माध्यम से हुई थी। भर्ती की पुरानी पद्धति को समाप्त कर दिया गया और मौजूदा सहायक शिक्षकों का संवर्ग नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार मरणासन्न संवर्ग बन गया:

विद्यालय	2006 में नियमित शिक्षक	नियमित शिक्षक (वर्तमान में)
प्राथमिक	1, 04, 259	57293 एक अवमानना याचिका में दिनांक 13.10.2011 के अपने आदेश द्वारा, बिहार को इस माननीय न्यायालय द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर 34,540 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए मजबूर किया गया था (2014 (11) एससीसी 405 के रूप में रिपोर्ट किया गया था। (31136 + 26157 = 57293)
द्वितीयक	18458	7800

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के बाद केंद्र सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को लागू करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को मुख्य साधन घोषित किया और इसके परिणामस्वरूप इसका नाम बदल कर एसएसए-आरटीई कर दिया गया। आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच संसाधनों की साझेदारी का प्रावधान करता है।

बिहार की आबादी 10.41 करोड़ है। वर्ष 2005 के बाद इसने सर्व शिक्षा अभियान के तहत 21261 नए प्राथमिक विद्यालय और 19617 प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय के रूप में उन्नत किया है। 3129 माध्यमिक विद्यालयों को माध्यमिक या

वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया, जो आज की तारीख में इस प्रकार है:

प्राथमिक विद्यालय	42614
मिडिल स्कूल	29149
माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक	5615

आक्षेपित निर्णय ने मामले को एक साधारण सेवा विवाद के रूप में माना है। यह राज्य की वित्तीय क्षमता, भारत संघ और बिहार राज्य पर वित्तीय प्रभाव, नियमित और नियोजित शिक्षकों के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने, 2019 की @एसएलपी (सी) संख्या 2018 की संख्या 20 आदि की वित्तीय सिविल अपील संख्या की सराहना करने में विफल रही है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में अन्य राज्यों के लिए प्रभाव, अनुबंध पर या केंद्र या राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत काम करने वाले अन्य सभी कर्मचारियों के लिए इसका निहितार्थ और इस तरह के सामाजिक उद्देश्य।”

(ग) श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा इस मामले के लिए अलग थी और इस मामले में जटिल नीतिगत मुद्दे शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और राज्य के लिए खुले सभी संवैधानिक विकल्पों के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। एक ओर यह अनुच्छेद 21 ए के तहत निर्धारित लक्ष्य था जिसे शिक्षा के प्रसार द्वारा लागू करने की कोशिश की गई थी और दूसरी ओर, विचार संविधान के भाग IX और IXA के संदर्भ में पंचायतों को शक्तियों का हस्तांतरण करना था। बिहार में विचित्र स्थिति यह थी कि कम से कम 12

प्रतिशत बच्चों को बिल्कुल भी शिक्षा नहीं मिल रही थी। ऐसा स्कूलों की अपर्याप्त संख्या और शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या के कारण हुआ। शुरुआत में ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति से इसका समाधान करने का प्रयास किया गया। स्कूलों से बाहर रह रहे 12 प्रतिशत बच्चों को शिक्षा की धारा में लाने की चुनौती के लिए स्वयं भारी प्रयासों और इसके परिणामस्वरूप बजटीय आवंटन में बाधाओं की आवश्यकता थी। इस पृष्ठभूमि में राज्य की ओर से किए गए प्रयासों को देखा जाना चाहिए। राज्य ने न केवल उन शिक्षा मित्रों को अपने में समाहित कर लिया, बल्कि 50 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों की भी नियुक्ति की। उनका कहना था कि राज्य द्वारा किए गए प्रयासों और प्रगति को न तो शोषणकारी कहा जा सकता है और न ही किसी भी तरीके से किसी भी शिक्षक की गरिमा से समझौता किया जा सकता है। वर्ष 2006 के बाद के घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि राज्य नियोजित शिक्षकों के वेतनमान और परिलब्धियों में काफी सुधार कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 2006 के बाद बिहार में शिक्षा प्रणाली में किए गए बदलावों और शिक्षा में व्यापक प्रसार से छात्राओं के नामांकन में भी सुधार हुआ है और कुल प्रजनन दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने एक नोट प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है:-

“1. लड़कियों के नामांकन और शिक्षा में सुधार

इसी तरह प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2013-14 307 ग्राम से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 355 ग्राम हो गई है जो कि 15.6% की वृद्धि है। इसी तरह सरकारी स्कूलों की माध्यमिक कक्षाओं (IX-X) में लड़कियों का नामांकन 2006-07 के 4.24 लाख से काफी बढ़कर 2016-17 में 14.41 लाख हो गया। इसका विवरण इस प्रकार है:-

प्राथमिक कक्षाएं (1 से 8)			
वर्ष	कुल नामांकन	लड़कियों नामांकन	का % वृद्धि

2005-06	1328293 2	5775325	47%
2016-17 का बजट	1999560 8	10137266	69%
माध्यमिक कक्षाएं (IX-X)			
2006-07	1158904	424790	65%
2016-17 का बजट	2865460	1441176	29%

10 वें और 12 वें बोर्ड के परिणाम भी 2006 से 2017 तक 10 वें और 12 वें बोर्ड की उत्तीर्ण लड़कियों की स्थिति का निम्नलिखित रूप में समर्थन करते हैं।

वर्ष	10 वां बोर्ड			12 वां बोर्ड		
	कुल उपस्थित छात्र	उपस्थित गर्ल्स	% ऐप	कुल उपस्थित छात्र	उपस्थित गर्ल्स	% ऐप
2005	560376	186613	30%	314802	99238	31.52%
2006	599104	207705	67%	339604	110579	32.56%
2007	688508	255463	10%	460609	170117	36.93%
2008	769244	294514	29%	508332	194456	38.25%
2009	901965	362506	19%	583209	234116	40.14%
2010	974393	403226	38%	607718	246830	40.62%
2011	931332	399328	88%	702069	283384	40.36%
2012	1262026	565228	79%	812315	328391	40.43%
2013	1364023	604247	30%	820590	323514	39.42%
2014	1338268	610388	61%	996954	414533	41.58%
2015	1424423	653307	86%	1219315	480491	39.41%
2016	1577840	725169	96%	1152826	484110	41.99%
2017	1763471	866283	12%	1257342	556084	44.23%

2. कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में कमी

नमूना पंजीकरण प्रणाली (भारत के महापंजीयक) के अनुसार बिहार की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2005 के 4.3 प्रतिशत से घटकर 2016 में 3.3 प्रतिशत रह गई है। इसका सीधा संबंध उन लड़कियों के शैक्षिक स्तर से है, जो संभावित मां हैं। इसे बिहार राज्य के लिए वर्ष 2016 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) की रिपोर्ट (अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न प्रति) और नीति आयोग की रिपोर्ट (अनुलग्नक बी के रूप में संलग्न प्रति) से देखा जा सकता है, जो इस प्रकार है:

शिक्षा का स्तर	कुल प्रजनन दर (टीएफआर)
निरक्षर	4. 2
बिना औपचारिक शिक्षा के	3. 9
प्राथमिक से नीचे	3. 9
प्राथमिक	3. 3
मध्य में	5. एस.ओ.- 14
कक्षा-X	7. 7
कक्षा-12	2. 2
स्नातक और उससे ऊपर	2. 1
राज्य औसत	3. 3
राष्ट्रीय औसत	2. 3

स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) प्रकाशित हुआ।

वार्षिक रूप से (भारत के महापंजीयक)

3. विद्यालय छोड़ चुके बच्चों का ब्रेकअप (6-14 वर्ष)

स्कूल से बाहर के बच्चे (6-14 वर्ष)			
वर्ष	कुल मिलाकर	लड़कियां	एसएससी
2005-06	2315362	1128110	588491
2017-18	2018-06	94974	55297

पिछले सात दशकों में बिहार राज्य में साक्षरता दर का संकेत देते हुए निम्नलिखित चार्ट भी अभिलेख पर रखा गया:-

वर्ष	कुल		पुरुष		महिला	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार
1951	18.33	13.49	27.16	22.68	8.66	4.22
1961	28.3	21.95	40.4	35.85	15.35	8.11
1971	34.45	23.17	46.96	35.86	21.97	9.86
1981	43.57	32.32	38	47.11	29.76	16.61
1991	52.21	37.49	64.13	51.37	39.29	21.99
2001	64.83	53	26	60.32	53.7	33.57
2011	04	68.8	14	72.2	64.6	51.5

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2001 और 2011 के बीच बिहार में महिला साक्षरता में एक दशक की वृद्धि 18 प्रतिशत थी, जो भारत में सबसे अधिक थी। इसके लिए राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (भारत सरकार) ने 2012 में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को पुरस्कार प्रदान किया।”

श्री दीवान ने बीड़ी आपूर्ति कंपनी बनाम भारत संघ और अन्य, गुजरात राज्य और अन्य बनाम श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद और अन्य, द सुपरिटेण्डेंट एंड रिमेम्बरेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ और अन्य, गुजरात राज्य और अन्य बनाम श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद और अन्य, द सुपरिटेण्डेंट एंड रिमेम्बरेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स, पश्चिम बंगाल और अन्य अय्यर और अन्य बनाम वी. बालासुब्रमण्यम और अन्य, जावेद नियाज बेग और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, मालपे विश्वनाथ आचार्य और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, जावेद और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम जलगांव नगर परिषद और अन्य, सूराराम प्रताप रेड्डी और अन्य बनाम जिला कलेक्टर, रंगा रेड्डी और अन्य और शिवशक्ति लिमिटेड बनाम श्री रेणुका लिमिटेड और अन्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया ।

32. अपील के अधीन निर्णय में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और सुनवाई के दौरान इस न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कि क्या नियोजित शिक्षकों को प्राप्त परिलब्धियां स्कूलों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतन से कम थीं, राज्य द्वारा एक सारणीबद्ध चार्ट में निम्नलिखित विवरण दिए गए थे।

“(1) स्कूलों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन क्या है?”

माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में केवल गैर-शिक्षण स्टाफ श्रेणी के तहत लिपिक और चपरासी के पद हैं। प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1-5) और माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 1-8) में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के कोई पद नहीं हैं।

आदेशपाल, लिपिक और नियोजित शिक्षकों के वेतन की तुलना

(अ) – प्रारंभिक नियुक्ति पर

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	आदेशपाल (राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत)	क्वर्क (राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत)	प्राथमिक नियोजित शिक्षक (प्रशिक्षित)	प्राथमिक नियोजित शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित)	माध्यमिक नियोजित शिक्षक (प्रशिक्षित)	सीनियर सेकेंडरी (10 + 2) नियोजित शिक्षक (प्रशिक्षित)
आधारभूत	18000	19900	13370	13370	13370	13370
महंगाई भत्ता @7%	1260	1393	936	936	936	936
मकान किराया भत्ता @4%	720/-	796	535	535	535	535
चिकित्सा संबंधी	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-
कुल वेतन	20980	23089	15841	15841	15841	15841

नोट: शिक्षकों को उनकी सेवाओं के पहले दो वर्षों के लिए कोई ग्रेड वेतन नहीं मिलेगा।

(ब) दो वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद

विवरण	आदेशपाल (राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्यरत)	लिपिक (राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हुए)	प्राथमिक नियोजित शिक्षक (प्रशिक्षित)	प्राथमिक नियोजित शिक्षक (स्नातक- प्रशिक्षित)	माध्यमिक नियोजित शिक्षक (प्रशिक्षित)	सीनियर सेकेंडरी (10 + 2) नियोजित शिक्षक (प्रशिक्षित)
आधारभूत	19100	21100	19650	20740	20740	21820
महंगाई भत्ता @7%	1337	1477	1376	1452	1452	1527
मकान किराया भत्ता @4%	764	844	786	830	830	873
चिकित्सा संबंधी	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-
कुल वेतन	22201	24421	22812	24022	24022	25220

(स) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तीन व्यक्तियों की समिति की सिफारिश के अनुसार 20 प्रतिशत प्रस्तावित वेतन वृद्धि के साथ दो वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद।

विवरण	आदेशपाल (राज्य सरकार के तहत करते हुए)	लिपिक (राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हुए)	प्राथमिक नियोजित शिक्षक (प्रशिक्षित)	प्राथमिक नियोजित शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित)	द्वितीय नियोजित शिक्षक (प्रशिक्षित)	सीनियर सेकेंडरी (10 + 2) नियोजित शिक्षक (प्रशिक्षित)
आधारभूत	19100	21100	23610	24930	24930	26240
महंगाई भत्ता @7%	1337	1477	1653	1745	1745	1837
मकान किराया भत्ता @4%	764	844	944	997	997	1050
चिकित्सा संबंधी	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-	1000/-
कुल वेतन	22201	24421	27207	28672	28672	30127

33. राज्य ने नियोजित शिक्षकों को विभिन्न चरणों में दी जाने वाली परिलब्धियों में वृद्धि को भी अभिलेख पर रखा है, जो इस प्रकार है:

प्राथमिक नियोजित शिक्षकों (प्रशिक्षित) के वेतन में वृद्धि (एक नजर में)

विवरण	प्रारंभिक निर्धारित वेतन प्रति माह (रुपये में)	वर्तमान सकल वेतन प्रति माह * (रुपये में)	वेतन की राशि में वृद्धि (रुपये में)	% वृद्धि	टिप्पणियां
2003 में भर्ती शिक्षा मित्र (प्रशिक्षित)	1500 रु.	25564	24064	1604	वेतनमान 01.07.2015 से प्रभावी और
वर्ष 2006 में भर्ती-पंचायत/	5000 रु.	24843	19843	397	

प्रखंड/ नगर शिक्षक (प्रशिक्षित)					सिफारिश के अनुसार
2010 में भर्ती-पंचायत/ प्रखंड/ नगर शिक्षक (प्रशिक्षित)	7000/-	24134	17134	245	01.04.2017 से मूल वेतन में 2.57 गुना की वृद्धि सातवें वेतन आयोग का गठन
2013 में भर्ती-पंचायत/ प्रखंड/ नगर शिक्षक (प्रशिक्षित)	10000/-	22812	12812	128	

*नोट-सकल वेतन में महंगाई भत्ता (डीए), आवास किराया भत्ता (एचआरए) और चिकित्सा भत्ता शामिल है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तीन व्यक्तियों की समिति की सिफारिशों के अनुसार वेतन में 20 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि के बाद।

विवरण	वर्तमान आधारभूत	संशोधित मूल *	महंगाई भत्ता (7 प्रतिशत)	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा संबंधी	प्रस्तावित सकल वेतन
2003 में भर्ती-शिक्षा मित्र (प्रशिक्षित)	22130	26590	1861	1064	1000/-	30515
वर्ष 2006 में भर्ती-पंचायत/ प्रखंड/ नगर शिक्षक (प्रशिक्षित)	21480	25810	1807	1032	1000/-	29649
2010 में भर्ती-पंचायत/ प्रखंड/ नगर शिक्षक (प्रशिक्षित)	20850	25050	1754	1002	1000/-	28806
2013 में भर्ती-पंचायत/ प्रखंड/ नगर शिक्षक (प्रशिक्षित)	19650	23610	1653	944	1000/-	27207

**नोट- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तीन व्यक्तियों की समिति की सिफारिश के अनुसार, विशेष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों को प्रस्तावित पे-मैट्रिक्स में उनका पदनाम,

उनके प्री-अपग्रेड स्केल के वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, जिसका भुगतान 01 जनवरी, 2016 से किया जा रहा है।”

34. भारत के महान्यायवादी श्री के. के. वेणुगोपाल ने भारत संघ की ओर से अग्रिम प्रस्तुतियां दीं। यह प्रस्तुत किया गया कि हालांकि 2006 से पहले नियुक्त किए गए शिक्षक और नियोजित शिक्षक एक ही विद्यालय में काम कर रहे थे और समान कार्य कर रहे थे, उन्होंने अलग-अलग संवर्ग बनाए और अलग-अलग विषयों से आए। विद्वान अटॉर्नी जनरल ने पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर सिंह और जबर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर और विशेष रूप से उक्त निर्णय के पैराग्राफ 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37 और 42 पर भरोसा किया। विद्वान अटॉर्नी विद्वान अटॉर्नी जनरल के अनुसार, यदि दो अलग-अलग या अलग-अलग समूह हैं तो असमानता हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यह प्रतिष्ठा का मामला है जबकि नियोजित शिक्षकों की भर्ती पूरी तरह से अलग स्रोत के माध्यम से की जाती है। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने के लिए उनके प्रस्तुतिकरण में पूर्ण समानता होनी चाहिए और यदि भर्ती के तरीके सहित मामलों में कोई अंतर है, तो सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने किशोरी मोहन लाल बख्शी बनाम भारत संघ और अन्य, और रणधीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, हरियाणा राज्य और अन्य बनाम जसमेर सिंह और अन्य, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मंत्री कर्मचारी संघ, उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और अन्य बनाम मनोज के. मोहंती, पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य। तरुण के. राँय और अन्य, हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चरणजीत सिंह और अन्य और एस. सी. चंद्रा और अन्य बनाम भारत झारखंड राज्य और अन्य के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया। उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि शिक्षा का प्रसार, जैसा कि आर्टीई अधिनियम के अधिदेश के संदर्भ में प्राप्त करने की मांग की गई थी, राज्य के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की आवश्यकता है और ऐसे कार्यकारी कार्यों और नीतिगत मामलों में न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने इंडियन ड्रग्स

फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम वर्कमेन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया और भारत सरकार के हलफनामे से पैराग्राफ 23 की ओर इसमें ऊपर उद्धृत अतिरिक्त वित्तीय बोझ के आकलन पर भी ध्यान आकृष्ट किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्देश के परिणामस्वरूप पूरी तरह से बजटीय बेमेल होगा और राज्य पर भारी बोझ पड़ेगा।

35. सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर में, विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, शिक्षकों की भर्ती और अन्य सेवा शर्तें, जिनके अंतर्गत वेतन और वेतन निर्धारण से संबंधित मामले भी हैं, संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के भीतर हैं कि अधिनियम के उपबंधों में केंद्र सरकार द्वारा अनुदान-सहायता का प्रतिशत हिस्सा निर्धारित नहीं किया गया है और यह कि राज्य के शिक्षा बजट का 60 प्रतिशत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई बाध्यता नहीं थी या यह अनुमान लगाया गया था कि बिहार राज्य द्वारा शिक्षकों के वेतन में असमानता के मुद्दों को हल करने के लिए कोई धन नहीं मांगा गया था और यह कि बिहार राज्य को 'सर्व शिक्षा अभियान' के तहत दूसरा सबसे अधिक धन प्राप्त हो रहा था। 2010 के नियमों के नियम 20 (3) की प्रयोज्यता के संबंध में, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि यह नियम विधानमंडलों, केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और राज्यों तथा विधानमंडलों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है।

36. नियोजित शिक्षकों और उनके संगठनों की ओर से जो प्रतिवादी और हस्तक्षेपकर्ता के रूप में उपस्थित हुए, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से श्री कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता ने उनका नेतृत्व किया। जिन लोगों ने उसका अनुसरण किया उनके साथ उसी क्रम में निपटाया जाता है जिस क्रम में वे उपस्थित होते हैं और तर्क देते हैं। श्री सिब्बल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया:-

(i) नियोजित शिक्षक उसी विद्यालय में काम कर रहे थे, जिसका प्रबंधन और नियंत्रण राज्य द्वारा ले लिया गया था। नियोजित शिक्षक उन्हीं विद्यालयों में

शिक्षा प्रदान कर रहे थे और सरकारी शिक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों का निर्वहन कर रहे थे।

(ii) आरटीई अधिनियम उपयुक्त सरकार के स्वामित्व वाले और स्थानीय प्राधिकारियों के स्वामित्व वाले विद्यालयों पर विचार करता है। वर्तमान प्रश्नगत सभी विद्यालय राज्य के स्वामित्व में थे।

(iii) आरटीई अधिनियम की धारा 6 के तहत उपयुक्त सरकार को तीन वर्ष की अवधि के भीतर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना था।

(iv) आरटीई अधिनियम की धारा 7 में इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार पर भी डाली गई है।

(v) केंद्र सरकार ने वास्तव में शिक्षा उपकर एकत्र किया था और इस तरह बजटीय बाधाएं नियोजित शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए कभी भी एक तर्क नहीं हो सकती हैं।

(vi) कानून के रूप में, समान कार्य के लिए समान वेतन की नियोजित शिक्षकों की उचित मांगों का विरोध करने के लिए वित्तीय कठिनाई कोई आधार नहीं होगी, जिसे हमेशा एक संवैधानिक दायित्व माना गया है।

(vii) वास्तव में, धन जुटाने की बाध्यता राज्य पर थी और इसे बजटीय बाध्यता का अभिवाक करने के लिए नहीं सुना जा सकता।

(viii) 2010 के नियमों के नियम 7 ने केंद्र सरकार को 5 वर्षों की अवधि के लिए अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए पूंजी और आवर्ती व्यय के वार्षिक अनुमान तैयार करने के लिए बाध्य किया। संसाधन जुटाना आरटीई अधिनियम के तहत दायित्वों के संचालन और उन्हें पूरा करने का अभिन्न अंग है।

उन्होंने बिहार राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों में फर्क किया और इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। धीरेन्द्र चमोली और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, भगवान दास और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, जयपाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज और राज्य की प्रगति के लिए शिक्षा हमेशा से महत्वपूर्ण रही है क्योंकि राज्य अपने शिक्षकों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार सुनिश्चित करने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है, न्यायालय अधिकार को हानि पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ-साथ भारत संघ द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के प्रवाह का अर्थ होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का संवर्ग नहीं होना चाहिए।

37. श्री सी. ए. सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षकों के कुछ संघों की ओर से उपस्थित हुए और प्रस्तुत किया कि संविधान के उपबंधों और विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 क द्वारा निर्देशित उत्तरदायित्व को पूरा करने में कठिनाई या वित्तीय बोझ का अभिवचन करने और बहस करने के लिए राज्य को अधिकार नहीं है। यह उनका निवेदन था कि प्रभावी ढंग से नियोजित शिक्षकों को उन संवैधानिक लक्ष्यों का बोझ उठाने और भुगतान करने के लिए तैयार किया गया था जिन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य बाध्य थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नियोजित शिक्षकों द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारी, योग्यता, अनुभव और कर्तव्यों की प्रकृति सरकारी शिक्षकों के बराबर है कि दोनों श्रेणियां अपने कार्यों का निर्वहन कर रही हैं और एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान कर रही हैं और इस तरह कोई अंतर नहीं किया जा सकता है।

अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ और अन्य, कर्नाटक स्टेट प्राइवेट कॉलेज स्टॉप-गैप लेक्चरर्स एसोसिएशन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, बसीरुद्दीन एम. मदारी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, उत्तर प्रदेश राज्य

और अन्य बनाम आनंद कुमार यादव और अन्य के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

38. श्री विजय हंसारिया, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 21 क को 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 12 दिसंबर, 2002 को अंतःस्थापित किया गया था, लेकिन यह 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 26 अगस्त, 2009 को लागू होने के बाद 16 फरवरी, 2010 को दो अधिसूचनाएं जारी की गईं। पहली अधिसूचना के तहत अनुच्छेद 21 ए के प्रावधानों को 01.04.2010 से लागू करने का निर्देश दिया गया था, जबकि दूसरी अधिसूचना के तहत आरटीई अधिनियम के प्रावधानों को 01.04.2010 से लागू करने का निर्देश दिया गया था। इन घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि यद्यपि संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था, लेकिन राज्यों को स्वयं को तैयार करने और उन दायित्वों को पूरा करने के लिए लगभग 8 वर्षों की अवधि दी गई थी, जिन्हें आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 21 ए के संदर्भ में पूरा किया जाना था। उन्होंने जोर दिया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का विचार सबसे पहले उन्नीकृष्णन, जे. पी. और अन्य बनाम राज्य वाले मामले के विनिश्चय में अंकुरित हुआ जिसकी सिफारिश बाद में 165 वीं विधि आयोग रिपोर्ट में की गई थी। इस प्रकार राज्यों के पास पूर्वोक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार होने के लिए पर्याप्त समय था। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न अधिनियमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, किशोर न्याय अधिनियम, 2015, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के तहत बाल और किशोर श्रम (निवारण और विनियमन) अधिनियम, 1986 की तर्ज पर अलग-अलग निधियां गठित की जाती हैं और यदि बजटीय अवरोध इसका कारण है तो एक परमादेश इस तर्ज पर है कि, जो इस न्यायालय द्वारा एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य के मामले में जारी किया गया था, जारी किया जा सकता है। उन्होंने न्यायालय का ध्यान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें संकेत दिया गया था कि प्राथमिक शिक्षा उपकर और उच्च और माध्यमिक शिक्षा उपकर के

रूप में पर्याप्त राशि एकत्र की गई थी। इस संबंध में जानकारी पैरा 2.3 में उपलब्ध है। वर्ष 2016-17 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट का 3.3 प्रतिशत हिस्सा निम्नानुसार था:

“ 2.3.3 माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए वित्त अधिनियम, 2007 में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर (एसएचईसी) शुरू किया गया था।

वर्ष 2006-07 से लेकर वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय वित्त खातों की जांच से पता चला है कि 83,497 करोड़ रुपये के एसएचईसी का कुल संग्रह किया गया है और सार्वजनिक खाते में कोई आरक्षित निधि बनाए बिना सीएफआई में जमा किया जा रहा है।

प्राथमिक/प्राथमिक शिक्षा उपकर के मामले में प्रारंभिक शिक्षा कोष के सृजन के विपरीत, एसएचईसी के लिए न तो एसएचईसी की आय जमा करने के लिए कोई कोष निर्धारित किया गया था और न ही उन योजनाओं की पहचान की गई थी जिन पर उपकर की आय खर्च की जानी थी। नतीजतन, वित्त अधिनियम में परिकल्पित माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पारदर्शी रूप से सुनिश्चित नहीं थी। कोष के सृजन और योजनाओं के गैर-दंतीकरण का मामला पिछले वर्षों की रिपोर्ट में उठाया गया था, लेकिन यह रुझान लगातार बना हुआ है।-----

उन्होंने सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य (पैरा 55) में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया।

39. श्री सलमान खुर्शीद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत अधिकार की सामग्री तब तक अर्थहीन होगी जब तक कि एक शिक्षक की भूमिका पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया जाता है। एक बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षकों को अच्छी तरह से योग्य होना चाहिए और उचित मजदूरी सुनिश्चित करनी चाहिए। उनके कथन में 2010 के नियमों के नियम 20 (3) का सही अर्थ यही होगा और संसाधन जुटाना राज्य की जिम्मेदारी थी। उन्होंने एक पुस्तक और विशेष रूप से पैराग्राफ 5 और 6 के उद्धरणों पर भरोसा किया, जिसका शीर्षक था सार्वजनिक व्यय और शिक्षा नीति। जिस प्रासंगिक अंश पर भरोसा किया गया वह था:-

“राज्य स्तर पर व्यापक बजटीय संकटों के बावजूद कम लागत वाली स्कूली शिक्षा सुविधाओं के विकास ने प्राथमिक शिक्षा की पहुंच का विस्तार करने में मदद की है, जैसा कि पिछले खंड में उल्लिखित निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे में कमी (मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में) बनी हुई है। इसके अलावा, दूसरे दर्जे की शिक्षा सुविधाओं पर निर्भरता बढ़ाने की प्रवृत्ति में कुछ परेशान करने वाली विशेषताएं हैं। इस संदर्भ में कम से कम तीन गंभीर मुद्दे उत्पन्न होते हैं, जो क्रमशः गुणवत्ता, समानता और स्थिरता से संबंधित हैं।

गुणवत्ता का मुद्दा इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि नियमित विद्यालयों की तुलना में दूसरे दर्जे की विद्यालयी सुविधाओं में शिक्षकों की योग्यता और ढांचागत सुविधाएं अक्सर खराब होती हैं। कुछ मामलों में मुआवजा देने वाली विशेषताएं भी हैं, विशेष रूप से अधिक जवाबदेही (जैसे बेहतर कार्य प्रोत्साहन या करीबी सामुदायिक भागीदारी के कारण), लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सुविधाओं से वास्तव में स्वीकार्य गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की उम्मीद की जा सकती है।

इस चिंता के कारण इक्विटी का मुद्दा इस प्रकार है: यदि 'दूसरे दर्जे' का अर्थ 'दूसरा दर' है, तो वैकल्पिक विद्यालयीय सुविधाओं के विस्तार में वंचित बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार को कमजोर करने का वास्तविक खतरा शामिल है। हालांकि ये सुविधाएं अल्पावधि में उनकी मदद कर सकती हैं, लेकिन यह भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली की गहरी असमानताओं को बनाए रखने के जोखिम पर किया जा सकता है, जहां विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के बच्चों के पास व्यापक रूप से अलग-अलग शैक्षिक अवसर होते हैं (न केवल सरकारी और निजी स्कूलों के बीच अंतर के संदर्भ में, बल्कि अब सरकारी स्कूलों के ढांचे के भीतर भी)।”

40. विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री विभा दत्ता मखीजा ने नियोजित शिक्षकों द्वारा प्राप्त वेतन और परिलब्धियों का तुलनात्मक चार्ट विभिन्न स्तरों पर सरकारी शिक्षकों की तुलना में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 21-ए को लागू करना रातों-रात किया गया कार्य नहीं था, बल्कि इस अधिकार को हकीकत में बदलने के लिए काफी विचार-विमर्श किया गया था। अनुच्छेद 21 ए लागू होने के बाद भी राज्यों को हर मोर्चे पर खुद को तैयार करने के लिए आठ वर्षों की पर्याप्त अवधि दी गई। अपनी प्रस्तुति में, अधिनियम की धारा 23 और 25 गुणात्मक और मात्रात्मक पहलुओं को सुनिश्चित करती हैं और यदि दोनों पहलुओं को एक साथ लिया जाता है तो यह अनिवार्य होगा कि शिक्षक पर्याप्त संख्या में होने चाहिए और उन्हें उचित वेतन भी मिलना चाहिए। उनके अनुसार नियोजित शिक्षकों के लिए गारंटी के तीन सेट उपलब्ध थे। पहला संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत, दूसरा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत और तीसरा आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत, जिसके आधार पर नियोजित शिक्षक वेतन और परिलब्धियों में समानता का दावा कर सकते हैं। उन्होंने वित्त आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा किया। प्रासंगिक हैं:-

“12.19... .. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतन 5000 रुपये प्रति माह और उच्च

प्राथमिक शिक्षकों के लिए 7000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया है। सभी राज्यों में एसएसए शिक्षकों की नियुक्ति और वेतनमान में कोई एकरूपता नहीं है। कुछ राज्यों में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नियमित वेतनमान पर की जाती है, जबकि कई अन्य राज्यों में ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय सरकारों द्वारा स्थानीय निकाय वेतनमान या अनुबंध पर की जाती है। छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के कार्यान्वयन से किसी भी स्थिति में शिक्षकों के वेतन पर दबाव बढ़ेगा, चाहे नियुक्ति का तरीका कुछ भी क्यों न हो। इसलिए हमने आधार वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि मान ली है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इनमें से अधिकांश शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। हमने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में सीपीसी के बाद वार्षिक वृद्धि की हमारी धारणा के अनुरूप इन वेतन पर 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का भी प्रावधान किया है। इसी प्रकार, जहां एसएसए मुद्रास्फीति के कारण निधियों की मात्रा में कोई वार्षिक वृद्धि का प्रावधान नहीं करता है, वहीं हमने योजना के सभी गैर-वेतन घटकों में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का प्रावधान किया है।

12.20 एसएसए ने 2001-02 में राज्यों से 15 प्रतिशत की बराबर निधि की आवश्यकता के साथ शुरुआत की। वर्ष 2006-07 तक इसके लिए 25 प्रतिशत धनराशि की आवश्यकता थी। यह 2007-08 और 2008-09 में 35 प्रतिशत और 2009-10 में 40 प्रतिशत तक बढ़ गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष 2010-11 में इसके 45 प्रतिशत और 2011-12 में 50 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। हम मानते हैं कि यही अनुपात पुरस्कार अवधि के शेष वर्ष में जारी रहेगा। विभिन्न राज्यों ने इस बराबर की हिस्सेदारी प्रदान करने में कठिनाइयां

व्यक्त की हैं, विशेष रूप से क्योंकि उनकी वार्षिक योजनाओं का आकार वर्षों के दौरान बढ़ गया है।

12.21 हमारा विचार है कि वर्तमान परिस्थितियों में इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्यों के संसाधनों को बढ़ाना प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र के लिए अनुदान प्रदान करने का सबसे उपयुक्त तरीका होगा। इससे राज्यों को आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों के एक हिस्से को पूरा करने के लिए कुछ राजकोषीय गुंजाइश भी मिलेगी। हमने इस तथ्य पर भी विचार किया है कि आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप राज्यों को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, कई राज्य 2009-10 में अपने हिस्से का 40 प्रतिशत प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। वास्तव में हमारा अनुमान है कि आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभावों के कारण राज्य चालू वर्ष और अगले वर्ष में अपने संसाधनों का 35 प्रतिशत से अधिक उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम प्रत्येक राज्य के अनुमानित एसएसए व्यय का 15 प्रतिशत अनुदान देने की सिफारिश करते हैं। यह राशि ग्यारहवीं योजना के अंतिम वर्ष तक लक्षित राज्य हिस्सेदारी के 50 प्रतिशत और 2008-09 में किए जाने वाले योगदान के बीच के अंतर को आच्छादित करेगी।

12.22 पूर्वोत्तर राज्यों को एसएसए के लिए अपने हिस्से के रूप में अपने संसाधनों से केवल 10 प्रतिशत प्रदान करने की आवश्यकता है। हालांकि, जैसा कि एमएचआरडी ने एक पूरक ज्ञापन में इंगित किया है, इनमें से कई राज्य इस राशि को भी प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, जिससे एसएसए के कार्यान्वयन में मंदी आती है। इस आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों की आवश्यकता की गणना पांच वर्षों की अवधि में 367 करोड़ रुपये की है।

12.23 इन सभी राज्यों के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित अनुदान कुल मिलाकर 24,068 करोड़ रुपये है। अनुलग्नक 12.1 में दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये अनुदान राज्यों के वर्तमान व्यय का विकल्प न बन जाएं, हम यह निर्धारित करते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के तहत व्यय (योजना + गैर योजना), अर्थात् प्रमुख शीर्ष 2202, उप-प्रमुख शीर्ष-01, इसमें अनुशंसित अनुदानों को छोड़कर, कम से कम 8 प्रतिशत बढ़ना चाहिए, 2010-15 के दौरान पुरस्कार अवधि के दौरान सामाजिक क्षेत्र के गैर-वेतन घटक के हमारे अनुमानों में अनुमानित वृद्धि दर।”

इसके बाद सुश्री मखीजा ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की तीन श्रेणियां हैं, पहली श्रेणी नियमित शिक्षकों की है जिन्हें सरकारी वेतनमान पर वेतन और परिलब्धि मिल रही है। दूसरी श्रेणी शिक्षा मित्रों की थी जिन्हें 2002 से केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया था। शिक्षकों की तीसरी श्रेणी वे हैं जिन्हें 2006 के नियमों के अनुसार शामिल किया गया था। दूसरी श्रेणी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अब अंतिम श्रेणी में विलीन हो गई है और सामूहिक रूप से नियोजित शिक्षक के रूप में जानी जाती है। उन्होंने गुजरात राज्य और अन्य बनाम रमन लाल केशव लाल सोनी और अन्य, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम चंद्र प्रकाश पांडे और अन्य, शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य, ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य के निर्णयों पर भरोसा किया।

सुश्री मखीजा ने यह भी प्रस्तुत किया कि विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा दिया गया विभेद कृत्रिम था और इस उद्देश्य से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि राज्य असमानता को जारी नहीं रख सकता और असमानता को कायम नहीं रख सकता।

41. विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. चिदम्बरम ने अनुच्छेद 21 क के अधीन अधिकार की अंतर्वस्तु पर बल दिया और कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरटीई अधिनियम की धारा 26 के तहत

शिक्षकों की रिक्ति की स्थिति 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है और इस प्रकार निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात की बराबरी करने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और राज्य की ओर से बजटीय बाधाओं का बहाना बनाना उचित नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 28 के तहत, एक शिक्षक को निजी शिक्षण गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य, हुसैनारा खातून और अन्य (IV) बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना, खत्री और अन्य (II) बनाम बिहार राज्य और अन्य, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य और बृज मोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य पर भरोसा किया, अंत में, उन्होंने आग्रह किया कि अनुच्छेद 21 ए के तहत दिए गए अधिकार को सार्थक बनाया जाना चाहिए।

42. बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए. एम. सिंघवी उपस्थित हुए। उनके अनुसार, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में कुल देयता 9283.69 करोड़ रुपये की थी, जिसमें से केंद्र सरकार को 4599.07 करोड़ रुपये और राज्य सरकार को 4684.63 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। उनके द्वारा प्रस्तुत एक नोट में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया कि नियोजित शिक्षक समान/समान कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन कर रहे थे:-

“i) यह स्वीकृत तथ्य है कि ये नियोजित शिक्षक वही/समान कर्तव्य और जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो 2006 से पहले के नियमों के नियमित शिक्षकों द्वारा निभाई जाती थी। आक्षेपित आदेश में इस पर विस्तार से विचार किया गया है और एक से अधिक स्थानों पर इन शिक्षकों के पक्ष में इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष लौटाए गए हैं।

ii) ये नियोजित शिक्षक बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक और + 2 परीक्षा में समान मूल्यांकन कार्य करने के अलावा एक ही स्कूल में एक ही पाठ्यक्रम के साथ एक ही छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मूल्यांकन के समय, उन्हें 2006

के नियमों से पहले नियुक्त शिक्षकों के बराबर माना जाता है और समान पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

iii) इसके अलावा, इन नियोजित शिक्षकों को भी राज्य द्वारा जनगणना (आर्थिक सर्वेक्षण) की तैयारी के लिए कार्य, चुनाव कार्य मतदाता सूची तैयार करने से लेकर जैसे कर्तव्यों में नियमित शिक्षकों की तरह लगाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इन शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात करने के संबंध में चुनाव आयोग को सूचित करते हुए, राज्य इन नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षक मानता है।

iv) ये शिक्षक नियमित शिक्षकों की तरह भारत संघ के तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले 'डिप्लोमा इन एलीमेंट्री ट्रेनिंग' नामक विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने में भी लगे हुए हैं, जो एक जारी कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक जिले के एक चुनिंदा विद्यालय में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अध्ययन केन्द्र खोला जाता है। इन कार्यक्रमों में नियोजित शिक्षक समन्वयक, सहायक समन्वयक, संसाधन व्यक्ति और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी-कभी जब नियमित शिक्षक में एमए/एमएससी/बीएड/एमएड जैसी न्यूनतम अपेक्षित योग्यता नहीं पाई जाती है, तो इस तरह की योग्यता वाले नियोजित शिक्षकों को उस अध्ययन केन्द्र में नियमित शिक्षकों के स्थान पर समन्वयक बनाया जाता है।

v) इनमें से कई नियोजित शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में चुना जाता है, जो नियोजित शिक्षक और नियमित शिक्षक दोनों श्रेणियों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार हैं। उल्लेखनीय है कि यह प्रशिक्षण राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, बिहार

सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है (एससीईआरटी एनसीईआरटी के समान)।

vi) इसके अलावा, इस तरह का सेवाकालीन प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम और अभिनव शिक्षण पद्धति तैयार करना शामिल है और साथ ही इन नियोजित शिक्षकों को एससीईआरटी की कमान के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें लिखने की जिम्मेदारी भी दी गई है।

vii) ये नियोजित शिक्षक नियमित शिक्षकों के बराबर समान पारिश्रमिक पर प्रश्न पत्रों की स्थापना, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन आदि में भी लगे हुए हैं। इन नियोजित शिक्षकों द्वारा पर्याप्त संख्या में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यवाहक प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन किया जाता है। कृपया माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची देखें जहां ये नियोजित शिक्षक कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में काम कर रहे हैं, हालांकि नियोजित शिक्षकों का वेतन प्राप्त कर रहे हैं।”

यह उनका निवेदन था कि संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों से लगातार पता चलता है कि समानता की मांग करने वाले वर्ग द्वारा कार्यात्मक रूप से किए गए कर्तव्य समान या समान हैं, जब तक कि आवश्यक योग्यताएं अधिक न हों, तो समानता का सिद्धांत अवश्य लागू होना चाहिए और ऐसे मामलों में रोजगार का स्रोत अप्रासंगिक होगा। उन्होंने यह दिखाने के लिए आंकड़ों पर भी भरोसा किया कि 1459 नियोजित शिक्षक राज्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहे हैं। एक उदाहरण के रूप में, उन्होंने अनुग्रह कन्या एसएस, गया से विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें छह सरकारी शिक्षक और तीन गैर-शिक्षण कर्मचारी थे, जबकि 22 नियोजित शिक्षक एक ही स्कूल में काम कर रहे थे। सभी सरकारी शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी नियोजित शिक्षकों में से प्रत्येक को दिए गए वेतन से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे थे।

उन्होंने यह भी कहा कि बिहार राज्य द्वारा बनाए गए नियमों के तहत 3 जुलाई, 2012 से नौवीं कक्षा से आगे के प्रत्येक शिक्षक के लिए टीईटी योग्यता अनिवार्य है और इस तरह की कक्षाओं में पढ़ाने वाले सभी नियोजित शिक्षक उक्त योग्यता से लैस हैं। सरकारी शिक्षकों की श्रेणी, जिन्हें मरणासन्न समाप्त होता हुआ संवर्ग माना गया था, के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि किसी भी वैधानिक प्रावधान से ऐसी कोई नीति स्पष्ट नहीं है। गुजरात राज्य और अन्य बनाम रमन लाल केशव लाल सोनी और अन्य और अरिंदम चट्टोपाध्याय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

43. नौवीं कक्षा से आगे शिक्षकों को पढ़ाने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. एस. वैद्यनाथन ने भी प्रस्तुत किया कि राज्य की ओर से दो मुद्दे उठाए गए थे कि क्या एक मरणासन्न या लुप्त हो रहे कैडर के साथ समानता हो सकती है और क्या वित्तीय बाधाओं के आधार पर राज्य नियोजित शिक्षकों को समान वेतन और परिलब्धि नहीं दे सकता है। उन्होंने दोहराया कि शिक्षकों की दोनों श्रेणियां समान या समान कार्य कर रही हैं। उन्होंने आरटीई अधिनियम के पहले और बाद में बच्चों को विद्यालयों में भेजने पर एक लेख पर भरोसा किया।

44. श्री रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की ओर से कक्षा 9 से आगे की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तरफ सरकारी शिक्षकों और दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों के बीच कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में पूरी तरह से कार्यात्मक समानता है। यह उनका निवेदन था कि यद्यपि 2006 के नियमों के तहत पंचायतें और नगरपालिका निकायों को शिक्षकों के चयन का कार्य सौंपा गया, वास्तव में इस उद्देश्य के लिए गठित समितियों में सभी सरकारी अधिकारी शामिल थे और राज्य सरकार वास्तविक और प्रभावी नियंत्रण में थी। उन्होंने बिहार राज्य गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन बनाम बिहार एजुकेशन सर्विस एसोसिएशन और अन्य विशेष रूप से पैरा 50 पर इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

45. 2012 के बाद नियुक्त नियोजित शिक्षकों की ओर से श्री आनंद नंदन, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसे शिक्षक जो विधिवत रूप से योग्य थे और जिन्होंने केवल टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उन्हें सरकारी शिक्षकों के साथ बराबरी का हकदार माना जाना चाहिए और जिनके पास आवश्यक योग्यता नहीं थी और जिन्होंने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, उन्हें समान व्यवहार नहीं दिया जाना चाहिए। अपनी प्रस्तुति में उन्होंने कहा कि यही आरटीई अधिनियम के संदर्भ में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के विचार का सही अर्थ होगा। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम शिव कुमार पाठक और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी उन्होंने भरोसा किया।

46. श्री वी. शेखर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, कुछ प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों और परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ की ओर से पेश हुए। उन्होंने नगर परिषद, रतलाम बनाम श्री वर्दीचंद और अन्य, सचिव और महात्मा गांधी मिशन तथा अन्य बनाम भारतीय कामगार सेना और अन्य (पैराग्राफ 82 से 90 और 95) में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

47. कुछ प्राथमिक शिक्षकों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने कहा कि टीईटी योग्यता वाले शिक्षकों का चयन नियमित रूप से स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाता था और हालांकि भर्ती की विधि अलग हो सकती है, लेकिन वे वही काम कर रहे थे जो अन्य सरकारी शिक्षकों द्वारा किया जा रहा था। उनकी योग्यता समान थी और 2010 के नियमों के नियम 20 (3) के अधिदेश के अनुसार वे सरकारी शिक्षकों के समान वेतन और भत्ते पाने के हकदार थे।

48. कतिपय माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव धवन ने कहा कि 2006 के नियमों सहित सांविधिक उपबंधों में स्पष्ट रूप से राज्य सरकार की सर्वव्यापी भूमिका को दर्शाया गया है जिसने इन कृत्रिम विभेदों और प्रवर्गों को सृजित किया था और पंचायतों केवल राज्य के निर्णय को कार्यान्वित कर रही थीं। उनके प्रस्तुतिकरण में बुनियादी मुद्दे थे कि क्या संवैधानिक जनादेश से संबंधित मामलों में राज्य के पास कोई विवेक हो सकता है और क्या

वित्तीय बाधाओं को वैध बहाने के रूप में लिया जा सकता है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि आरटीई अधिनियम की धारा 7 के तहत राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की भी समवर्ती वित्तीय जिम्मेदारी है। दिनांक 25.06.2006 को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए गए मसौदा नोटों का विज्ञापन करते हुए उन्होंने कहा कि संपूर्ण तंत्र वित्तीय व्यवस्था के बारे में था और राज्य पर वित्तीय अवरोध जैसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। उन्होंने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, उन्नीकृष्णन, जे. पी. और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य और हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त स्कूल प्रबंध समितियां और अन्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

49. कुछ प्राथमिक शिक्षकों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय हेगड़े ने कहा कि शिक्षक की आय हमेशा सीमित रही है और इसे और सीमित करने का राज्य की ओर से प्रयास किया गया है। सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कामगारों बनाम रेप्टाकोस ब्रेट और कंपनी लिमिटेड तथा अन्य पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि शिक्षकों को जीवित वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए और नियोजित शिक्षक वेतन और परिलब्धियां पाने के हकदार हैं जैसा कि सरकारी शिक्षकों को उपलब्ध कराया गया था। उन्होंने नगर परिषद, रतलाम बनाम श्री वर्दीचंद और अन्य 59 और चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम रजनी वली और अन्य में इस न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया।

50. श्री बी. पी. वर्मा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, कुछ शिक्षकों की ओर से उपस्थित हुए और सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य 45 (पैरा 55) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जबकि श्री वी. एन. सिन्हा, कुछ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ लाइब्रेरियन के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया यह प्रस्तुत करने के लिए कि राज्य के प्रत्येक कार्य में युक्तियुक्तता होनी चाहिए। अन्य सभी विद्वान वकीलों द्वारा दी

गई प्रस्तुतियों को स्वीकार करते हुए, उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षकों के समान वेतन और परिलब्धियों के हकदार थे।

51. श्री दिनेश द्विवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में यह प्रस्तुत किया कि सरकारी शिक्षकों के संवर्ग में आगे कोई नियुक्ति नहीं करने का एक सचेत निर्णय लिया गया था और उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार की गई एक बार की नियुक्ति के लिए सरकारी शिक्षकों की संख्या काफी कम होती। राज्य भी सरकारी शिक्षकों द्वारा धारित सभी पदों को आवश्यक क्षतिपूर्ति देने के बाद समाप्त कर सकता था। इस प्रक्रिया में नियोजित शिक्षकों का एक ही संवर्ग सुनिश्चित किया जा सकता था। नियोजित शिक्षकों के एक बड़े समूह की तुलना करने का प्रयास जो 4.50 लाख से अधिक था और एक ऐसे समूह के साथ समानता की मांग कर रहा था जो एक मर रहा था या गायब हो रहा था, सही नहीं था। उन्होंने कहा कि यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि यदि नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन नहीं दिया गया तो शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता किया जाएगा। पंजाब राज्य बनाम जोगिंदर एस.सी. चंद्रा और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, हरियाणा राज्य बनाम चरणजीत सिंह और हरियाणा राज्य और अन्य बनाम तिलक राज और अन्य वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का श्री द्विवेदी द्वारा काफी भरोसा किया गया। पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य वाले मामले में निर्णय में पंजाब बनाम जोगिन्दर सिंह और जबर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों पर ध्यान नहीं दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि पंजाब राज्य बनाम जोगिन्दर सिंह वाले मामले में निर्णय में स्पष्ट रूप से यह अधिकथित किया गया था कि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 से हटाया नहीं जा सकता है। रिलायंस को आरटीई अधिनियम की धारा 2 (एन) पर भी भरोसा किया गया समुचित सरकार या किसी स्थानीय निकाय द्वारा नियंत्रित अभिव्यक्ति से प्रस्तुत करें कि यह पर्याप्त संकेत था कि नई तरह की सेवा समुचित सरकार द्वारा लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत अधिकार बच्चों पर केंद्रित है और नियोजित शिक्षकों द्वारा

समानता का दावा करने के अधिकार के आधार पर दावा नहीं किया जा सकता है के निर्णयों पर रिलायंस रखा गया। यह न्यायालय अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ बनाम राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण और अन्य, सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में है।

52. श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने, प्रत्युत्तर में, नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ, सचिव, विधि मंत्रालय के माध्यम से और उसके पैरा 95,96,104,110,118 और 119 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय पर भरोसा किया। उनके निवेदन में अधिकारों की प्रगतिशील प्राप्ति के लिए कुछ संतुलन और समायोजन की आवश्यकता होगी। यदि मामले को बच्चे के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्कूल प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो इस अधिकार को प्राप्त करने में मदद करे, लेकिन साथ ही किसी अन्य व्यक्ति की गरिमा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इन दो विचारों पर विचार करते हुए, यदि राज्य द्वारा अपनाया गया प्रयास अनुच्छेद 21 ए द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का था, तो उस दिशा में प्रयास पूरी तरह से संवैधानिक होगा जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति की गरिमा में समझौता नहीं किया गया। उनके अनुसार, वर्तमान मामले में जिन दो प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों को सेवा में लाया गया था, वे नियोजित शिक्षकों की ओर से थे, जिन्होंने व्यक्तिगत शिक्षकों के दृष्टिकोण से परिप्रेक्ष्य की कल्पना की थी, जो 'मैं पहले' दृष्टिकोण था, जबकि, राज्य जिस पर जोर दे रहा था, वह सामुदायिक अधिकार था और जिसे 'हम पहले' दृष्टिकोण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोनों ही दृष्टिकोण वैध हो सकते हैं, लेकिन इस बात पर विचार करते समय कि कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा, इसके लिए नीतिगत निर्णयों की आवश्यकता होगी, जो स्वभाव से जटिल हो सकते हैं। इस बिंदु पर नीतिगत निर्णय पूरी तरह से सामाजिक मुद्दों और अर्थव्यवस्था और समाज के स्वास्थ्य से जुड़े होंगे। इन मुद्दों के साथ-साथ इस संबंध में दूरदर्शिता को भी राज्य पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न तथ्यात्मक विवरण राज्य की नीतियों और इस दिशा में राज्य द्वारा उठाए गए जबरदस्त कदमों के व्यापक प्रभाव को दर्शाएंगे। उन्होंने आचार्य महाराजश्री नरेन्द्र

प्रसादजी आनंदप्रसादजी महाराज और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य 69 (पैरा 31), असम सेना महासंघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (पैरा 33) और सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, विधि मंत्रालय और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

53. न्यायालय की अनुमति से श्री सिब्ल, श्री सुंदरम, श्री विजय हंसारिया और श्री रंजीत कुमार जैसे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रत्युत्तर में की गई प्रस्तुतियों का उत्तर दिया। यह प्रस्तुत किया गया था कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्कूलों का प्रबंधन किया गया था, यह गलत था-उन्हें ले लिया गया था और राज्य के स्वामित्व में था। यह प्रस्तुत किया गया कि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' की अवधारणा एक मौलिक सिद्धांत है, हालांकि यह सख्ती से एक मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। श्री हंसारिया ने कम से कम 40 ऐसे मामलों की सूची सौंपी जहां पंजाब राज्य बनाम जोगिन्दर सिंह और जबर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर ध्यान दिए बिना 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को अपनाया गया था।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों के सापेक्ष लगभग 1802 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए थे और इस प्रकार बजटीय बाधाएं कोई तर्क नहीं हो सकती हैं। राज्य के हर कोने में या हर पड़ोस में विद्यालयों और शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करके राज्य कोई धर्मार्थ कार्य नहीं कर रहा था, बल्कि अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा था और इस प्रकार, बजटीय बाधाएं कभी भी एक आधार नहीं हो सकती थीं।

54. विद्वत वकील को विस्तार से बड़े पैमाने पर सुनने के बाद, जिन्होंने हमें सभी प्रासंगिक सामग्री को अभिलेख में लिया और हमारे सामने मुद्दों की विभिन्न रूपरेखा रखी। हमारे विचार के लिए जो बुनियादी प्रश्न उत्पन्न होते हैं, वे हैं:-

क) क्या नियोजित शिक्षक अपनी प्रस्तुति में सही हैं कि वे समान कार्य के लिए समान वेतन के हकदार हैं और उन्हें उचित रूप से दिया गया है?

(ख) क्या राज्य अपने दृष्टिकोण से न्यायोचित है और यह दावा करने में सही है कि उसके द्वारा किया गया विभेद सही और उचित था।

हमारे अनुसार, ये प्रश्न, मामले की जड़ तक जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देते समय हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव सहित विभिन्न अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार कर सकते हैं।

55. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता के अनुसार, इस मामले को इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए कि वर्ष 2001-2002 के आसपास राज्य के सामने क्या चुनौतियां थीं और पिछले कुछ वर्षों में नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति और नियोजित शिक्षकों के एक अलग संवर्ग के निर्माण सहित राज्य द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप क्या हासिल करने में सक्षम रहा है। राज्य के अनुसार, एक तरफ यह निर्णय लिया गया था कि सरकारी शिक्षकों के मूल संवर्ग को बिना किसी नयी नियुक्तियों के बिना संवर्ग होने दिया जाए और इसलिए इसे मरणासन्न और समाप्त होने वाले संवर्ग रहने दिया। सरकार ने पंचायत स्तर पर पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला किया है।

56. सर्वप्रथम हमें यह नोट करना चाहिए कि यद्यपि 86 वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 में पारित किया गया था, फिर भी यह अनुच्छेद 1.4.2010 को अर्थात् कम से कम आठ वर्षों के बाद लागू किया गया था। यह भी अभिलेख की बात है कि आरटीई अधिनियम, जो कि विचार में था, वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया था और 1.4.2010 को लागू किया गया था। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ में न्यायमूर्ति भंडारी की राय में अनुच्छेद 21 ए को लागू करने और आरटीई अधिनियम को लागू करने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित इस दिशा में हुए घटनाक्रमों पर विस्तार से पैरा 441 से 461 में विचार किया गया। इसलिए हमें इसे देखना होगा राज्य ने अपने आप को कैसे संचालित किया था और क्या राज्य द्वारा उठाए गए कदम अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए थे।

वर्ष 2002 में ही केंद्रीय स्तर पर सर्वशिक्षा अभियान के रूप में जानी जाने वाली योजना शुरू की गई थी। योजना के संदर्भ में, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की सुविधाओं को संबंधित राज्यों में फैलाना आवश्यक था। इस संबंध में विशेष रूप से वर्तमान मामले में उठाए गए कदमों से संकेत मिलता है कि 2002 में किसी समय राज्य द्वारा एक लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई। ये शिक्षा मित्र सरकारी शिक्षकों के नियमित कैडर का हिस्सा नहीं थे, इनकी नियुक्ति चयन की नियमित प्रक्रिया के माध्यम से नहीं की गई थी और उनकी सेवाओं को एक निर्धारित वेतन पर रखा गया था। ये शिक्षा मित्र, जो शिक्षकों के नियमित संवर्ग से बाहर थे, को राज्य के दूरदराज के कोनों में विद्यालयों को चलाने का काम सौंपा गया था। 2006 में किसी समय बिहार सरकार के मंत्रिपरिषद द्वारा कुछ निर्णय लिए गए थे। सभी राष्ट्रीयकृत विद्यालयों और अन्य पहलुओं में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में नियंत्रण, जो पहले राज्य सरकार के पास था, विभिन्न पंचायती राज संस्थानों को सौंप दिया गया था। यह ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में ग्यारहवीं अनुसूची के अनुच्छेद 243 जी के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 17 के अनुरूप था और नगर पंचायतों, नगर परिषदों या नगर निगमों के संबंध में बारहवीं अनुसूची के क्रम संख्या 13 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के संदर्भ में भी था। मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय जहां एक ओर पंचायती राज प्रणालियों को सक्षम बनाने के संवैधानिक जनादेश के अनुरूप थे, वहीं दूसरी ओर इस निर्णय से शिक्षकों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई ताकि छात्रों पर राष्ट्रीय मानदंड: शिक्षक अनुपात को राज्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अभिलेख पर रखे गए आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में लगभग 12 प्रतिशत बच्चों को शिक्षा की धारा में लाना पड़ा जो विद्यालय से बाहर थे। कैबिनेट नोट्स से पता चलता है कि यह निर्णय इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लिया गया था। मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद इस विचार को एक उचित वैधानिक व्यवस्था में बदल दिया गया और नए नियम 2016 बनाए गए। यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा शिक्षकों अर्थात् सरकारी शिक्षकों के संवर्ग में आगे कोई नियुक्ति नहीं होगी और नियोजित शिक्षकों के नाम से शिक्षकों का एक नया संवर्ग बनाया गया। पूर्ववर्ती शिक्षा मित्रों को नियोजित शिक्षक के इस नए संवर्ग में शामिल कर लिया गया था और पंचायत/प्रखंड स्तरों पर नए रोजगार दिए गए थे

ताकि पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। इन घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि वर्तमान में ऐसे लगभग चार लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े, जो उपर्युक्त पैराग्राफ 31 में विस्तार से दर्शाए गए हैं, इस संबंध में राज्य द्वारा की गई प्रगति को दर्शाते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य इस प्रकार छात्रों के नामांकन में पर्याप्त सुधार हासिल कर सकता है और पिछले दशक में राज्य के संबंध में साक्षरता दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां राज्य की ओर से प्रस्तुत किए गए निर्णय जनहित और सामाजिक प्रतिबद्धता से निर्देशित थे। शिक्षा का अधिकतम स्तर तक प्रसार करने का विचार प्राप्त किया गया और इस प्रक्रिया में राज्य ने काफी हद तक जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास किया जो अनुच्छेद 21 ए सहपठित आ.टी.ई. अधिनियम के अन्तर्गत पालन करने के लिए जरूरी था। तथापि, नियोजित शिक्षकों की ओर से जो प्रस्तावित किया गया है वह यह है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करते समय, राज्य को नियोजित शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए था और 'समान कार्य के लिए समान वेतन' सुनिश्चित करके उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए था। राज्य की ओर से तर्क दिया गया है कि पहला उद्देश्य जो पूरा किया जाना था वह था राज्य के हर कोने में शिक्षा की पहुंच और प्रसार और प्रत्येक पड़ोस में स्कूलों और सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना जैसा कि आरटीई अधिनियम के प्रावधानों द्वारा अनुध्यात है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद, राज्य अब नियोजित शिक्षकों की सेवा स्थितियों और परिलब्धियों में सुधार करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो बात सामने आती है वह यह है कि क्या राज्य की ओर से किए गए कार्य न्यायोचित थे या नियोजित शिक्षकों का यह कहना सही है कि वे समान कार्य के लिए समान वेतन के हकदार हैं।

58. इस मुद्दे के संबंध में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि सरकारी शिक्षकों का संवर्ग, जिसके साथ समानता या समानता की मांग की गई है, समाप्त हो रहा है या लुप्त हो रहा संवर्ग है। राज्य द्वारा एक सचेत निर्णय लिया गया था कि सरकारी शिक्षकों के इस कैडर में कोई भी नियुक्ति नहीं

की जाएगी और 2006 के बाद, अपवाद, जो कंडिका 17 में यहाँ वर्णित हैं, के साथ राज्य में सभी नियुक्तियां 2006 के नियमों के प्रावधानों के तहत की गई हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि वर्तमान में सरकारी शिक्षकों के संवर्ग में लगभग 57,293 प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक स्तर पर 7,800 सरकारी शिक्षक हैं, जिसका अर्थ है कि राज्य में लगभग 66,000 सरकारी शिक्षक हैं जबकि लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। यह 4 लाख लोगों का समूह है जो एक संख्या के साथ समानता की मांग कर रहा है जो 1/5 से कम है और बहुत ही स्वभाव से एक लुप्त हो रहा संवर्ग है। उन 66,000 से अधिक 31,000 से अधिक लोगों को एक बार अपवाद के रूप में नियुक्त किया गया था। इस मुद्दे को दरकिनार करते हुए, तथ्य यह है कि यह 4 लाख से अधिक का एक बड़ा निकाय है जो एक मरने वाले या गायब होने वाले संवर्ग के साथ बराबरी की मांग कर रहा है।

59. 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर विचार करने के लिए, विचार किए जाने वाले मौलिक पहलुओं में से एक कर्तव्य की प्रकृति है। जैसा कि विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ताओं श्री कपिल सिब्बल और डॉ. ए. एम. सिंघवी द्वारा सही ढंग से प्रस्तुत किया गया था, नियोजित शिक्षकों द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति निश्चित रूप से सरकारी शिक्षकों द्वारा किए गए कार्यों के समान या समान है। वास्तव में, शिक्षकों के दोनों समूह एक ही विद्यालय में पढ़ाते हैं और एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। डॉ. सिंघवी द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ-साथ अपने दिए गए उदाहरण में यह स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि नियोजित शिक्षकों द्वारा किए गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति के संबंध में कोई अंतर या फर्क नहीं है। कुछ नियोजित शिक्षक भी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तथापि, प्रश्नगत नियम अर्थात् 2006 नियम स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि नियोजित शिक्षकों की भर्ती की पद्धति उस पद्धति से पूर्णतया भिन्न थी जिसके अधीन सरकारी शिक्षकों की भर्ती की गई थी। चयन समिति ने 2006 के नियमों के प्रावधानों के तहत पंचायत या ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को शामिल करने पर विचार किया। चयन बिहार लोक सेवा आयोग या स्कूल चयन बोर्ड के माध्यम से नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर किया गया था। उच्च न्यायालय में दायर

किए गए अपने पूरक जवाबी हलफनामे के पैरा 13 में राज्य द्वारा इस संबंध में दिया गया अंतर भर्ती के तरीके में अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भर्ती का तरीका और चयन का मानक अलग-अलग थे, लेकिन नियोजित शिक्षकों द्वारा किए गए कर्तव्यों की प्रकृति बिल्कुल समान रही है। क्या शिक्षकों की इन दोनों धाराओं के बीच कोई अंतर हो सकता है? इसलिए इस स्तर पर हम समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के विकास को देख सकते हैं और चाहे वह किसी योग्यता या अपवाद को स्वीकार करता है या नहीं।

60. किशोरी मोहन लाल बख्शी बनाम भारत संघ वाले मामले में आयकर अधिकारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था और केवल श्रेणी-I आयकर अधिकारी ही आयुक्त और सहायक आयुक्त के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार थे। आयकर अधिकारी वर्ग-II के अधिकारियों के बीच से इस तरह की कोई प्रत्यक्ष पदोन्नति नहीं हो सकती थी। आगे यह दलील दी गई कि दोनों श्रेणियां एक ही तरह का काम कर रही थीं, लेकिन उनके वेतनमान अलग-अलग थे और इस प्रकार 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया। उक्त प्रतिवेदन पर विचार करते हुए संविधान पीठ ने कहा:-

“3. केवल एक अन्य तर्क यह है कि वर्ग I और वर्ग I के अधिकारियों के बीच भेदभाव किया जाता है क्योंकि वे एक ही तरह के काम करते हैं, उनके वेतनमान अलग-अलग होते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यदि इस तर्क की कोई वैधता थी, तो किसी अधिकारी की सेवा की अवधि पर निर्भर करते हुए वेतन का कोई वृद्धिशील स्केल नहीं हो सकता था। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का अनुच्छेद 14 से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए यह तर्क भी विफल हो जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है।”

61. लगभग 20 वर्षों के बाद समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा रणधीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य में स्वीकार किया गया

था। तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने कहा कि यद्यपि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया था, यह निश्चित रूप से एक संवैधानिक लक्ष्य था। चर्चा इस प्रकार थी:-

“7. हमारा ध्यान बिनॉय कुमार मुखर्जी बनाम भारत संघ आईएलआर (1973) 1 डेल 427 और माखन सिंह बनाम भारत संघ आईएलआर (1975) 1 डेल 227 की ओर आकर्षित किया गया, जहां किशोरी मोहनलाल बख्शी बनाम भारत संघ, एआईआर 1962 एससी 1139 में इस न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख एक अमूर्त सिद्धांत के रूप में किया गया था, जिसका अनुच्छेद 14 से कोई लेना-देना नहीं था। हम वर्तमान में बताएंगे कि कैसे 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक आधार है। किशोरी मोहनलाल बख्शी बनाम भारत संघ एआईआर 1962 एससी 1139 हमारे लिए किसी वास्तविक सहायता का विषय नहीं है क्योंकि यह निर्णय लिया गया था कि किसी सेवा के विभिन्न ग्रेडों के लिए अलग-अलग वेतनमान हो सकते हैं। यह सर्वविदित है कि एक विशेष ग्रेड में प्रवेश के लिए अलग-अलग योग्यताओं के साथ एक सेवा में अलग-अलग ग्रेड हो सकते हैं और होते हैं, उच्च ग्रेड अक्सर निम्न ग्रेड के अधिकारियों के लिए एक पदोन्नति का माध्यम होता है। उच्चतर ग्रेड के लिए उच्चतर योग्यताएं, जो या तो शैक्षणिक योग्यताएं या सेवा की लंबाई के आधार पर अनुभव हो सकती हैं, अधिकारियों के विभिन्न वेतनमानों के साथ दो ग्रेडों में वर्गीकरण को उचित रूप से बनाए रखती हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत एक अमूर्त सिद्धांत होगा जो अनुच्छेद 14 को आकर्षित नहीं करेगा यदि उन्हें लागू करने की कोशिश की जाती है।

8. यह सच है कि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को हमारे संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से मूल अधिकार घोषित नहीं किया गया है। लेकिन यह निश्चित रूप से एक संवैधानिक लक्ष्य है। संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अर्थ है सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन और लिंग के बीच समान वेतन। जैसा कि इस न्यायालय के कुछ निर्णयों में इंगित किया गया है, निदेशक सिद्धांतों को व्याख्या के मामले के रूप में मूल अधिकारों में पढ़ना होगा। संविधान का अनुच्छेद 14 राज्य को किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करने का आदेश देता है और अनुच्छेद 16 घोषित करता है कि राज्य के अन्तर्गत किसी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को समान अवसर दिये जायेंगे। राज्य के अधीन किसी कार्यालय में नियोजन या नियुक्ति से संबंधित मामलों में नागरिकों को संविधान के ये समानता के प्रावधान सभी के लिए कुछ न कुछ मायने रखते हैं। अधिकांश लोगों के लिए संविधान के समानता के उपबंधों का कोई मतलब नहीं है, यदि वे अपने काम और वेतन के बारे में चिंतित नहीं हैं। उनके लिए समानता के उपबंधों में कुछ सार होगा यदि समान कार्य का अर्थ समान वेतन है। क्या किसी कानून द्वारा कथित लुटेरों और तस्करों के राजाओं पर मुकदमा चलाने या कर चोरी करने वालों से निपटने के लिए निर्धारित विशेष प्रक्रिया भेदभावपूर्ण है, चाहे लाइसेंस देने या परमिट देने के मामले में कोई विशेष सरकारी नीति कार्यपालिका को असीमित विवेकाधिकार प्रदान करती है, चाहे औद्योगिक उद्योगपतियों के साम्राज्यों का अधिग्रहण मनमाना और

असंवैधानिक है और प्रकृति के अन्य प्रश्न इस देश के लाखों लोगों को अछूता छोड़ देते हैं। मजदूरी से संबंधित प्रश्न और ऐसे ही सांसारिक प्रश्न अभी भी उनके लिए महत्वपूर्ण हैं और यदि संविधान के समानता संबंधी उपबंधों का उनके लिए कोई महत्व है तो यही बात है। संविधान की प्रस्तावना भारत के लोगों के भारत को एक संप्रभु समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के पवित्र संकल्प की घोषणा करती है। एक बार फिर सोशलिस्ट शब्द का मतलब कुछ तो होना चाहिए। भले ही इसका अर्थ 'प्रत्येक के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार' न हो, लेकिन इसका अर्थ कम से कम समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। "समान कार्य के लिए समान वेतन" के सिद्धांत को कानून की सभी समाजवादी प्रणालियों द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है, उदाहरण के लिए, हंगरी श्रम संहिता की धारा 59, चेकोस्लोवाक संहिता की धारा 111 के पैरा 2, बुल्गारियाई संहिता की धारा 67, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य संहिता की धारा 40, रूमानियाई संहिता की धारा 33 के पैरा 2। वास्तव में इस सिद्धांत को कई पश्चिमी श्रम संहिताओं में भी शामिल किया गया है। धारा 31 (जी) के प्रावधानों के तहत फ्रांसीसी कोड डु ट्रेवेल की पुस्तक I की संख्या 2 डी) के अनुसार, और अर्जेंटीना के कानून के अनुसार, इस सिद्धांत को सभी सामूहिक सौदेबाजी समझौतों में महिला श्रमिकों पर लागू किया जाना चाहिए। जर्मन संघीय गणराज्य की धारा 3 और मैक्सिकन संविधान की धारा 123 के खंड 7 के अनुसार इस सिद्धांत को सार्वभौमिक महत्व दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संविधान की प्रस्तावना 'समान प्रस्तुत्य के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक' के सिद्धांत को एक ऐसे साधन के रूप में मान्यता देती है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के साथ इस तरह का अन्याय, कठिनाई और अभाव शामिल है, जिससे इतनी अधिक अशांति पैदा

हो कि विश्व की शांति और सद्भाव खतरे में हो जाए। प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 (डी) के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को सीमित करते हुए, हमारा विचार है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत उन अनुच्छेदों से अलग किया जा सकता है और इसे उचित रूप से वर्गीकरण या अतार्किक वर्गीकरण के आधार पर वेतन के असमान स्केल के मामलों में लागू किया जा सकता है, हालांकि जो एक ही नियोक्ता के तहत समान कार्य करते हैं।

9. इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली पुलिस बल के चालक दिल्ली प्रशासन और केंद्र सरकार की सेवा में अन्य चालकों की तरह ही कार्य और कर्तव्य करते हैं। पुलिस अधिकारी की शक्तियों, कार्यों और विशेषाधिकारों के कारण उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व अधिक कठिन होते हैं। याचिका में लगाए गए इस आरोप के जवाब में कि दिल्ली पुलिस बल के ड्राइवर-कांस्टेबल अन्य विभागों के ड्राइवरों की तुलना में कम कठिन कार्य नहीं करते हैं, यह प्रतिवादियों द्वारा अपने हलफनामे में स्वीकार किया गया कि दिल्ली पुलिस बल के ड्राइवर-कांस्टेबलों के कर्तव्य बहुत कठिन थे। तो फिर उन्हें दूसरों की तुलना में कम वेतन देने का कारण क्या है? कोई नहीं है। प्रतिवादियों का एकमात्र उत्तर यह है कि दिल्ली पुलिस बल के चालक और अन्य चालक विभिन्न विभागों से संबंधित हैं और समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है जिसे न्यायालय मान्यता दे सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। हमने दिखाया है कि इसका जवाब गलत है। यह स्पष्टीकरण अतार्किक है। इसलिए, हम रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता और दिल्ली पुलिस बल के ड्राइवर-कांस्टेबलों का वेतनमान कम से कम रेलवे सुरक्षा बल के ड्राइवरों के बराबर निर्धारित करने का निर्देश देते हैं। वेतनमान 1

जनवरी, 1973 से प्रभावी होगा, जिस तारीख से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं।”

62. रणधीर सिंह 31 के बाद, इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णय हुए हैं और मुद्दे पर प्रत्येक निर्णय को देखने और विचार करने के बजाय, हम उन निर्णयों पर विचार कर सकते हैं जो स्वयं पहले के सभी निर्णयों को ध्यान में रखते थे और फिर विचार करते थे यदि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत की कोई सीमाएं या अर्हताएं हैं।

63. हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चरणजीत सिंह और अन्य मामले में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति वरियावा के माध्यम से बोलते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया:-

“19. प्राधिकारियों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद हमारा यह मत है कि जसमेर सिंह (1996) 11 एससीसी 77, तिलक राज (2003) 6 एससीसी 123, उड़ीसा कृषि विश्वविद्यालय और प्रौद्योगिकी (2003) 5 एस. सी. सी. 188 और तरुण के. रॉय (2004) 1 एस. सी. सी. 347 में अधिकारियों ने सही विधि निर्धारित की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है और इसे अदालत में लागू किया जा सकता है। लेकिन समान मूल्य के समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का हर मामले में कोई यांत्रिक उपयोग नहीं है। अनुच्छेद 14 भर्ती किए गए और एक साथ समूह में रखे गए व्यक्तियों के गुणों या विशेषताओं के आधार पर उन व्यक्तियों के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है जो छूट गए थे। निश्चित रूप से, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ गुणों या विशेषताओं का उचित संबंध होना चाहिए। सेवा मामलों में, प्रशासन में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वेतन के उद्देश्यों के लिए योग्यता या अनुभव वर्गीकरण

के लिए एक उचित आधार हो सकता है। पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण ठहराव या परिणामी कुंठा से बचने के लिए एक उच्च वेतनमान भी वेतन विभेद का एक स्वीकार्य कारण है। यह तथ्य कि व्यक्ति भर्ती की प्रक्रिया से नहीं गुजरा है, कुछ मामलों में स्वयं ही अंतर पैदा कर सकता है। यदि शैक्षिक योग्यताएं अलग हैं, तो भी सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। भले ही व्यक्ति एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन उनके काम की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है। जहां चयन समिति द्वारा वरिष्ठता के संबंध में योग्यता के आधार पर व्यक्तियों का चयन किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किए गए उच्च वेतनमान को चुनौती नहीं दी जा सकती, जिनका मूल्यांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। शैक्षिक योग्यता में अंतर के आधार पर वर्गीकरण वेतनमान में अंतर को उचित ठहराता है। एक व्यक्ति को एक बढ़ई या एक कारीगर के रूप में नामित करना इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह नियमित सेवा में किसी अन्य बढ़ई या शिल्पकार के समान काम कर रहा है। यहां तक कि सौंपे गए कार्य की प्रकृति भी अलग हो सकती है। यह सिर्फ शारीरिक गतिविधि की तुलना नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने के लिए दिए गए कार्य के विभिन्न आयामों पर विचार करने की आवश्यकता है। कार्य में अपेक्षित सटीकता और निपुणता अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग हो सकती है। सिर्फ काम की मात्रा से इसका आकलन नहीं किया जा सकता। विश्वसनीयता और जिम्मेदारी के संबंध में गुणात्मक अंतर हो सकता है। कार्य समान हो सकते हैं लेकिन जिम्मेदारियां अंतर पैदा करती हैं। इस प्रकार आमतौर पर इस सिद्धांत की प्रयोज्यता का मूल्यांकन और निर्धारण विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। ये ऐसे मामले नहीं हैं जहां एक रिट अदालत हल्के से हस्तक्षेप कर सकती है। आमतौर पर समान कार्य के लिए समान

वेतन का दावा करने वाले पक्ष से इस संबंध में विवाद उठाने की अपेक्षा की जानी चाहिए। किसी भी स्थिति में समान कार्य के लिए समान वेतन का दावा करने वाली पार्टी को आवश्यक प्रकथन करने होंगे और यह साबित करना होगा कि सभी चीजें समान हैं। इस प्रकार, किसी न्यायालय द्वारा कोई निदेश जारी करने से पहले, न्यायालय को पहले यह देखना चाहिए कि आवश्यक प्रकथन हैं और सबूत हैं। यदि उच्च न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर आश्वस्त है कि समान गुणवत्ता का समान कार्य था और अन्य सभी प्रासंगिक कारक पूरे होते हैं तो वह संबंधित रिट याचिका दाखिल करने की तारीख से समान वेतन का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। इन सभी मामलों में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने आंख मूंदकर इस आधार पर कार्य किया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किसी भी प्रासंगिक कारकों की जांच किए बिना लागू होता है।”

64. एस. सी. चंद्रा और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य वाले मामले में न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने अपनी सहमति से निम्नलिखित मत व्यक्त किया:-

“33. यह उल्लेख किया जा सकता है कि वेतनमान प्रदान करना विशुद्ध रूप से कार्यकारी कार्य है और इसलिए न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे सरकार और अधिकारियों के लिए सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए अदालत को न्यायिक संयम बरतना चाहिए और इस तरह के कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.कर्मकार (2007) 1 एससीसी 408

...

...

...

35. हमारी राय में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करके न्यायालयों द्वारा वेतनमान तय करना राज्य के तीन अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के उच्च संवैधानिक सिद्धांत को उलट देता है। इसे समझते हुए, इस न्यायालय ने हाल के वर्षों में समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने से परहेज किया है जब तक कि दोनों समूहों के बीच पूर्ण और थोक पहचान न हो (और वहां भी मामला) सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच के लिए भेजा जाना चाहिए, न कि न्यायालय द्वारा स्वयं उच्च वेतन दिया जाना चाहिए)।

36. उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल इसलिए कि कार्य की प्रकृति समान है, चाहे शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति का तरीका, अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारक कुछ भी हों, समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार बनाम तरुण के. रॉय (2004) 1 एससीसी 347।

37. इसी प्रकार, हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा सिविल सचिवालय पर्सनल स्टाफ असोसिएशन (2002) 6 एससीसी 72, में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर विस्तार से विचार किया गया। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 और 10 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पदों और वेतन का समीकरण यह एक जटिल मामला है जिसे विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। न्यायालयों को यह महसूस करना चाहिए कि यह कार्य कठिन और समय लेने वाला कार्य है जिसे करने में अपेक्षित विशेषज्ञता वाले कर्मचारियों की सहायता से विशेषज्ञों को भी कठिनाई हुई है। वेतन का निर्धारण और समानता एक जटिल मामला है जो कार्यपालिका के लिए निर्वहन न्यायालय द्वारा वेतन समता प्रदान करने के

परिणामस्वरूप एक व्यापक प्रभाव और प्रतिक्रिया हो सकती है जिसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं, द्वारा भारत संघ बनाम प्रदीप कुमार डे (2000) 8 एससीसी 580”

65. सरकारी परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य के मामले में न्यायमूर्ति सिंघवी तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए:-

“94. अनुच्छेद 39 (डी) में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर सबसे पहले विचार किया गया था। किशोरी मोहनलाल बख्शी बनाम भारत संघ, एआईआर 1962 और यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त सिद्धांत न्यायालय में लागू किए जाने योग्य नहीं है। 36 वर्षों के बाद, रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) 1 एससीसी 618 में इस मुद्दे पर फिर से विचार किया गया और यह स्पष्ट रूप से निर्णय दिया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के सिद्धांत को पढ़कर लागू किया जा सकता है।

95. रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) 1 एससीसी 618 के सिद्धांत को कई मामलों में दोहराया और लागू किया गया-धीरेंद्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1986) 1 एस. सी. सी. 637, सुरिंदर सिंह बनाम सीपीडब्ल्यूडी (1986) 1 एस. सी. सी. 639, डेली रेटेड कैजुअल लेबर बनाम भारत संघ (1988) 1 एस. सी. सी. 122 धारवाड़ जिला पीडब्ल्यूडी साक्षर दैनिक वेतन कर्मचारी असेन बनाम कर्नाटक राज्य (1990) 2 एससीसी 396 और जयपाल बनाम हरियाणा राज्य (1988) 3 एससीसी 354 और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी

जो नियमित कर्मचारियों के समान कर्तव्यों का पालन कर रहा है, समान वेतन का हकदार है। तथापि, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज स्टेनोग्राफर्स बनाम भारत संघ (1988) 3 एससीसी 91, मेवा राम कनौजिया बनाम एम्स (1989) 2 एससीसी 235, वी. मार्केन्डेया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1989) 3 एससीसी 191, हरबंस लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1989) 4 एससीसी 459, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बिहार राज्य (1989) 3 एससीसी 191, पंजाब राज्य बनाम हरियाणा राज्य (1989) 4 एससीसी 459, पंजाब राज्य बनाम हरियाणा राज्य (1989) 4 एससीसी 459, पंजाब राज्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1989) 3 एससीसी 191, हरियाणा राज्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1989) 3 एससीसी 191, पंजाब राज्य बनाम पंजाब राज्य (1989) 4 एससीसी 459, पंजाब राज्य बनाम हरियाणा राज्य (1989) 4 एससीसी 459, पंजाब राज्य और अन्य, हरियाणा राज्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1989) 4 एससीसी 459। जे. पी. चौरसिया (1989) 1 एससीसी 121, गृह कल्याण केंद्र श्रमिक संघ बनाम भारत संघ (1991) 1 एससीसी 619, जीडीए बनाम विक्रम चौधरी (1995) 5 एससीसी 210, हरियाणा राज्य बनाम जसमेर सिंह (1996) 11 एससीसी 77, हरियाणा राज्य बनाम सुरेंद्र कुमार (1997) 3 एससीसी 633, भारत संघ बनाम के. वी. बेबी (1998) 9 एससीसी 252, उड़ीसा राज्य बनाम बलराम साहू (2003) 1 एससीसी 250, उत्कल विश्वविद्यालय बनाम ज्योतिर्मयी नायक (2003) 4 एससीसी 760, हरियाणा राज्य बनाम तिलक राज (2003) 6 एससीसी 123, भारत संघ बनाम तारित रंजन दास (2003) 11 एससीसी 658, अपांशु मोहन लोध बनाम त्रिपुरा राज्य (2004) 1 एससीसी 119, हरियाणा राज्य बनाम

चरणजीत सिंह (2006) 9 एससीसी 321, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (2013) 9 एससीसी 321, एससीसी 658, एससीसी 658, एससीसी 658, एससीसी 659, एससीसी 459, एससीसी 459, एससीसी 459, एससीसी 459, एससीसी 459, एससीसी 459।दान बहादुर सिंह (2007) 6 एससीसी 207, केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम एल. वी. सुब्रमण्येश्वर (2007) 5 एससीसी 326 और कैंटीन मजदूर सभा बनाम मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग.कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (2007) 7 एससीसी 710, न्यायालय जानबूझकर और बार-बार संविधान के आदेश से विचलित रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) 1 एससीसी 618 में पारित आदेश से विचलित किया और यह अभिनिर्धारित किया कि कार्य की मात्रा या पदनाम में समानता वेतनमान के मामले में समानता का निर्धारक नहीं है और समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर विचार करने और दावे को स्वीकार करने से पहले, न्यायालय को भर्ती/नियुक्ति के स्रोत और तरीके, योग्यताओं, कार्य की प्रकृति, मूल्य निर्णय, जिम्मेदारियों, विश्वसनीयता, अनुभव, गोपनीयता, कार्यात्मक आवश्यकता आदि जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए।

99. कैंटीन मजदूर सभा बनाम मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग.कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (2007) 7 एससीसी 710 अन्य दो न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि केवल इसलिए कि कथित प्रधान नियोक्ता के ठेकेदार के कुछ कर्मचारी मुख्य नियोक्ता के कर्मचारियों के समान कार्य या कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, यह ऐसे कर्मचारियों को समानता का दावा करने का हकदार नहीं बनाएगा।

100. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रत्यर्थियों को 1959 के नियमों के नियम 308 के तहत न्यायालय द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसरण में सरकारी परिसमापकों द्वारा नियोजित/नियोजित किया गया था और उन्हें कंपनी निधि से वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाता है। उन्हें न तो स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया गया और न ही उन्हें भारत की संचित निधि से भुगतान किया गया। इसलिए, केवल इस तथ्य को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है कि वे आधिकारिक परिसमापक के कार्यालयों के नियमित कर्मचारियों के समान काम कर रहे थे। इस तरह के किसी भी निर्देश से सरकार को सरकारी परिसमापकों के कार्यालयों में अतिरिक्त पदों को मंजूरी देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ताकि भारत की संचित निधि से नियमित वेतनमान में कंपनी द्वारा भुगतान किए गए कर्मचारियों को वेतन और भत्तों के भुगतान को सुविधाजनक बनाया जा सके और हमारे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि सीधी भर्ती के लिए पदों की संख्या को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा लिया गया नीतिगत निर्णय किसी कानूनी या संवैधानिक दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है, नियमित वेतनमान में वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं की दलील पर विचार करना संभव नहीं है।”

66. पंजाब राज्य और अन्य बनाम सुरजीत सिंह और अन्य न्यायमूर्ति सिन्हा ने इस मुद्दे पर सभी प्रासंगिक निर्णयों पर विचार किया और कहा कि:-

“8. हमारे सामने, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विश्लेषण पर, निम्नलिखित कानूनी स्थिति सामने आती है। हम उनके साथ क्रमिक रूप से और जैसा कि विद्वत वकील द्वारा आगे कहा गया है:

(1) चयन का तरीका और तरीका वर्गीकरण का आधार हो सकता है।एससी चंद्रा बनाम राज्य झारखंड (2007) 8 एससीसी 279 (एससीसी पृष्ठ 290-91, पैरा 27 और 30 में यह अभिनिर्धारित किया गया है।

"27. इस प्रकार हरियाणा राज्य बनाम तिलक राज (2003) 6 एस. सी. सी. 123 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सिद्धांत केवल लागू होता है यदि दोनो समूहों के बीच यदि दोनो समूहों के कर्मचारिण समानद कार्य कर रहे हैं। उन्हें समान वेतन नहीं दिया जा सकता है यदि उनकी कोई पूर्ण और अच्छी पहचान नहीं है, उदाहरण के लिए एक दैनिक कर्मचारी हो सकता है कि वह नियमित कर्मचारी जैसा ही काम कर रहा हो, फिर भी उसे समान वेतनमान नहीं दिया जा सकता।इसी तरह, कर्मचारियों के दो समूह एक ही काम कर सकते हैं, फिर भी उन्हें अलग-अलग वेतनमान दिए जा सकते हैं यदि शैक्षिक योग्यता अलग-अलग हो।इसके अलावा, वेतनमान अलग-अलग हो सकता है यदि कार्य की प्रकृति, जिम्मेदारियां, अनुभव, भर्ती की विधि आदि अलग-अलग हों।

*

*

*

30. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मंत्रीस्तरीय कर्मचारी संघ, एआईआर 1995 एससी 4631 (1998) 1 एस. सी. सी. 422 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि भले ही एक ही पद पर आसीन व्यक्ति समान कार्य कर रहे हों किंतु यदि भर्ती, अर्हता, प्रोन्नति आदि का तरीका भिन्न हो तो यह भिन्नता को नियत

करने के लिए पर्याप्त होगा। जहां पदों की दो श्रेणियों में भर्ती, योग्यता और पदोन्नति का तरीका पूरी तरह से अलग है, वहां समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है।”

(मूल में जोर)

किसी दिए गए मामले में, चयन के तरीके को उन कारकों में से एक माना जा सकता है जिससे फर्क पड़ सकता है। .(हरियाणा राज्य बनाम चरणजीत सिंह (2006) 9 एससीसी 321, एससीसी पैरा 15 देखें)।

(2) लंबे समय तक काम करने वाले दैनिक मजदूर को न्यूनतम वेतनमान के आधार पर वेतन दिया जाना चाहिए। इस संबंध में रिलायंस को रखा गया है, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी (3) (2006) 4 एससीसी 1 पर भरोसा किया गया है। इसके अलावा यह भी आग्रह किया गया कि इस न्यायालय को उमादेवी में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत का पालन करना चाहिए क्योंकि वाणिज्यिक कर विभाग के दैनिक वेतन भोगियों के संबंध में इस तरह की राहत दी गई थी। विद्वत वकील ने प्रस्तुत किया कि हाल ही में, हालांकि इस न्यायालय ने कुछ समय से काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश के बीच अंतर किया, लेकिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 39-ए में निहित संवैधानिक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से उन मामलों में जहां राज्य का आचरण अनुचित, अन्यायपूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रस्त पाया गया था, वेतन देने का निर्देश दिया।

...

...

...

17. हमें इस तथ्य को भी अभिलेख पर रखना चाहिए कि इस न्यायालय द्वारा विधि के विकास के विभिन्न चरणों में, उक्त सिद्धांत के आधार पर या उसके आधार पर, राय का एक स्पष्ट विभाजन उभरा है। जबकि 1970 और 1980 के दशक में, इस न्यायालय ने स्पष्ट अभिवचनों या सबूत पर जोर दिए बिना उदारतापूर्वक उक्त सिद्धांत को लागू किया कि समान रूप से अन्य लोगों के साथ स्थित व्यक्ति सभी प्रकार से समान हैं। इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा इस पर विनिर्दिष्ट रूप से ध्यान दिया गया है। इस न्यायालय खंडपीठ द्वारा एस. सी. चन्द्र बनाम झारखंड राज्य (2007) 8 एस. सी. सी. 279 में इस पर विनिर्दिष्ट रूप से ध्यान दिया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया: (एसएससी 289 पैरा- 21)

“21. अपीलार्थियों के विद्वत वकील ने संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) पर भरोसा किया है। अनुच्छेद 39 (डी) का मतलब यह नहीं है कि विद्यालय में काम करने वाले सभी शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने के लिए बीसीसीएल या झारखंड सरकार के लिपिक के बराबर माना जाना चाहिए। दोनों समूहों अर्थात् एक ओर विद्यालय के शिक्षकों और बीसीसीएल में लिपिकों के बीच पूर्ण पहचान होनी चाहिए और इस प्रकार शिक्षकों की तुलना राज्य सरकार या बीसीसीएल के लिपिकों के साथ नहीं की जा सकती है। चरणजीत सिंह (2006) 9 एससीसी 321 जिसमें द्वारा हरियाणा राज्य बनाम चरणजीत सिंह (2006) 9 एस. सी. सी. 321 माननीय न्यायमूर्तियों ने पूरे विवाद

को समाप्त कर दिया है और कहा है कि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को इस परीक्षण को संतुष्ट करना चाहिए कि पदधारक समान और समरूप कार्य कर रहे हैं जैसा कि उन कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है जिनके खिलाफ समान वेतन का दावा किया जाता है। माननीय न्यायाधीशों ने इस विषय से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा की है और एक विस्तृत चर्चा के बाद अंततः इस विवाद को अंततः कर दिया है कि जिन व्यक्तियों ने समानता का दावा किया है उन्हें न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए कि शर्तें समान और समान हैं और उनके द्वारा समान कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। हालांकि हमारे विचार के लिए कई मामलों को उद्धृत किया गया था, लेकिन कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा जैसा कि चरणजीत सिंह (2006) 9 एस. सी. सी. 321 में है। इस न्यायालय द्वारा मामलों की समीक्षा की गई है। इसके अलावा, जब हम पहले ही कह चुके हैं कि अपीलकर्ता बीसीसीएल के कर्मचारी नहीं हैं, तो बीसीसीएल के लिपिकों के साथ वेतन की समानता की मांग करने का कोई सवाल ही नहीं है।”

18. न्यायमूर्ति काटजू ने अपने पृथक किंतु समवर्ती निर्णय में निम्नलिखित रूप में विचार व्यक्त किया (एस. सी. चन्द्र वाला मामला (2007) 8 एस. सी. सी. 279, एससीसी पृष्ठ 290 और 293-94, पैरा 26 और 35)

“26. वेतनमान का निर्धारण एक नाजुक तंत्र है जिसके लिए वित्तीय क्षमता, उत्तरदायित्व, शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति के तरीके आदि सहित विभिन्न बातों की

आवश्यकता होती है और इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए, इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को काफी हद तक कम कर दिया गया है, और इस न्यायालय द्वारा हाल के वर्षों में शायद ही कभी इसे लागू किया गया है।

*

*

*

35. हमारी राय में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करके न्यायालयों द्वारा वेतनमान तय करना राज्य के तीन अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के उच्च संवैधानिक सिद्धांत को उलट देता है। इसे महसूस करते हुए, इस न्यायालय ने हाल के वर्षों में समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने से परहेज किया है। समान कार्य, जब तक कि दोनों समूहों के बीच पूर्ण और अच्छी पहचान न हो (और वहां भी मामले को सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच के लिए भेजा जाना चाहिए, न कि न्यायालय द्वारा स्वयं उच्च वेतन दिया जाना चाहिए)।”

19. एस. सी. चंद्रा (2007) 8 एस. सी. सी. 279 वाले मामले में न्यायपीठ ने उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विशेष रूप से चरणजीत सिंह (2006) 9 एस. सी. सी. 321 में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था: (चरणजीत सिंह वाला मामला, एससीसी पृष्ठ 329-30 और 334-36, पैरा 9,17,19 और 22)

“9. हरियाणा राज्य बनाम तिलक राज (2003) 6 एससीसी 123 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू करना हमेशा आसान नहीं होता है। यह माना गया है कि विभिन्न संगठनों या यहां तक कि एक ही संगठन में विभिन्न व्यक्तियों के काम की तुलना करने और मूल्यांकन करने में अंतर्निहित कठिनाइयां हैं। यह माना गया है कि यह एक अवधारणा है जिसके लिए समान वेतनमान का दावा करने वाले कर्मचारियों के समूह और ऐसे वेतनमान पहले ही अर्जित कर चुके कर्मचारियों के अन्य समूह के बीच इसकी प्रयोज्यता, पूर्ण और थोक पहचान की आवश्यकता होती है। यह माना गया है कि समान वेतन की समस्या को गणितीय फार्मूले में नहीं बदला जा सकता है। यह आगे निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया: (एससीसी पृष्ठ 127, पैरा 11)

"11. एक निश्चित पद से वेतनमान जुड़ा होता है और दिहाड़ी मजदूर के मामले में वह कोई पद धारण नहीं करता है। प्रतिवादी कामगारों को समान वेतन और भत्तों के दावे सहित किसी भी या सभी प्रयोजनों के लिए नियमित और स्थायी कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह की तुलना का दावा करने के लिए कोई पद धारण करने के लिए आयोजित नहीं किया जा सकता है। समानता के आधार पर राहत का दावा करने के लिए दावेदारों को समतुल्यता के स्पष्ट आधार और उसके परिणामस्वरूप शत्रुतापूर्ण भेदभाव को सिद्ध करना होता है। दोनों श्रेणियों के कर्तव्यों की प्रकृति के बारे में उच्च न्यायालय के समक्ष

कोई सामग्री नहीं रखी गई थी और यह मानना संभव नहीं है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत एक सार है।"

*

*

*

17. भगवान दास बनाम हरियाणा राज्य (1987) 4 एससीसी 634 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि अस्थायी नियुक्तियों और नियमित कर्मचारियों के कर्तव्य और कार्य समान हैं, तो केवल चयन के तरीकों में अंतर के आधार पर वेतन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह माना गया कि काम की प्रकृति में समानता साबित करने का बोझ पीड़ित श्रमिक पर था। हम इस विचार से सहमत नहीं हैं कि चयन के तरीकों में अंतर के आधार पर वेतन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसा कि सही ढंग से निर्धारित किया गया है। जसमेर सिंह मामले में (1996) 11 एससीसी 77 वरिष्ठता का सम्मान करते हुए योग्यता के आधार पर चयन समिति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को उच्च वेतनमान दिया जा सकता है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका मूल्यांकन किया गया है और ऐसे मामलों में उच्च वेतनमान के भुगतान को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तरुण के. रॉय वाले मामले (2004) 1 एस. सी. 347 में जसमेर सिंह के मामले का अनुमोदन के साथ उल्लेख है।

19. प्राधिकारियों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद हमारा विचार है कि प्राधिकारी जसमेर सिंह (1996) 1 एससी 77, तिलक राज (2003) 6

एससीसी 123, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी (2003) 5 एससीसी 188 और तरुण के. राय (2004) 1 एस. सी. सी. 347 में सही विधि अधिकथित करते हैं। निःसंदेह, 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है और इसे न्यायालय में लागू किया जा सकता है। लेकिन समान मूल्य के समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का हर मामले में कोई यांत्रिक उपयोग नहीं है। अनुच्छेद 14 भर्ती किए गए और एक साथ समूह में रखे गए व्यक्तियों के गुणों या विशेषताओं के आधार पर उन व्यक्तियों के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है जो छूट गए थे। निश्चित रूप से, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ गुणों या विशेषताओं का उचित संबंध होना चाहिए। सेवा मामलों में, प्रशासन में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वेतन के उद्देश्यों के लिए योग्यता या अनुभव वर्गीकरण के लिए एक उचित आधार हो सकता है। पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण ठहराव या परिणामी कुंठा से बचने के लिए एक उच्च वेतनमान भी वेतन विभेद का एक स्वीकार्य कारण है। यह तथ्य कि व्यक्ति भर्ती की प्रक्रिया से नहीं गुजरा है, कुछ मामलों में स्वयं ही अंतर पैदा कर सकता है। यदि शैक्षिक योग्यताएं अलग हैं, तो भी सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं हो सकता है। भले ही व्यक्ति एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन उनके काम की गुणवत्ता भिन्न हो सकती है। जहां चयन समिति द्वारा वरिष्ठता के संबंध में योग्यता के आधार पर व्यक्तियों का चयन किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किए गए उच्च वेतनमान को

चुनौती नहीं दी जा सकती, जिनका मूल्यांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। शैक्षिक योग्यता में अंतर के आधार पर वर्गीकरण वेतनमान में अंतर को उचित ठहराता है। एक व्यक्ति को एक बढ़ई या एक कारीगर के रूप में नामित करना इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह नियमित सेवा में किसी अन्य बढ़ई या शिल्पकार के समान काम कर रहा है।

उत्पादित कार्य की गुणवत्ता अलग हो सकती है और सौंपे गए कार्य की प्रकृति भी अलग हो सकती है। यह सिर्फ शारीरिक गतिविधि की तुलना नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने के लिए दिए गए कार्य के विभिन्न आयामों पर विचार करने की आवश्यकता है। कार्य में अपेक्षित सटीकता और निपुणता अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग हो सकती है। सिर्फ काम की मात्रा से इसका आकलन नहीं किया जा सकता। विश्वसनीयता और जिम्मेदारी के संबंध में गुणात्मक अंतर हो सकता है। कार्य समान हो सकते हैं लेकिन जिम्मेदारियां अंतर पैदा करती हैं। इस प्रकार आमतौर पर इस सिद्धांत की प्रयोज्यता का मूल्यांकन और निर्धारण विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। ये ऐसे मामले नहीं हैं जहां एक रिट अदालत हल्के से हस्तक्षेप कर सकती है। आम तौर पर समान कार्य के लिए समान वेतन का दावा करने वाले पक्ष से इस संबंध में विवाद उठाने की अपेक्षा की जानी चाहिए। किसी भी स्थिति में समान कार्य के लिए समान वेतन का दावा करने वाली पार्टी को आवश्यक प्रकथन करने होंगे और

यह साबित करना होगा कि सभी चीजें समान हैं। इस प्रकार, किसी न्यायालय द्वारा कोई निदेश जारी करने से पहले, न्यायालय को पहले यह देखना चाहिए कि आवश्यक प्रकथन हैं और सबूत हैं। यदि उच्च न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर आश्वस्त है कि समान गुणवत्ता का समान कार्य था और अन्य सभी प्रासंगिक कारक पूरे होते हैं तो वह संबंधित रिट याचिका दाखिल करने की तारीख से समान वेतन का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। इन सभी मामलों में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने आंख मूंदकर इस आधार पर कार्य किया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत किसी भी प्रासंगिक कारकों की जांच किए बिना लागू होता है।

*

*

*

22. एक अन्य तथ्य जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह यह है कि 2002 की सिविल अपील संख्या 6648, 6647, 6572 और 6570 आकस्मिक या दैनिक वेतनभोगी वाले कामगारों से संबंधित नहीं हैं। ये ऐसे लोगों के मामले हैं जिन्हें अनुबंध पर नियुक्त किया गया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं है। पूर्ण पीठ का निर्णय केवल दैनिक स्तर के और आकस्मिक कामगारों के बारे में था। जहां किसी व्यक्ति को किसी संविदा के अधीन नियोजित किया जाता है, वहां संविदा ही सेवा के निबंधनों और शर्तों को शासित करेगी। हरियाणा राज्य बनाम सुरेंद्र कुमार (1997) 3 एससीसी 633 अनुबंध

के आधार पर नियोजित कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों के समान वेतन का इस आधार पर दावा किया कि उनके पद विनिमेय हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इन व्यक्तियों को नियमित पदों पर तब तक कोई अधिकार नहीं था जब तक कि वे चुने नहीं गए और नियुक्त नहीं किए गए। यह अभिनिर्धारित किया गया कि वे यह दावा करके कि वे समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, नियमित कर्मचारियों के समान वेतन के हकदार नहीं थे। यह माना गया कि चयन का उद्देश्य पात्रता का परीक्षण करना और फिर नियमों के अनुसार नियुक्ति करना है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रत्यर्थियों को भर्ती के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार भर्ती नहीं किया गया था।”

24. यह अब संदेह या विवाद में नहीं है कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का लाभ प्रदान करना समान कार्य, समान मूल्य, स्रोत और नियुक्ति के तरीके, समूह की समान पहचान और थोक या पूर्ण पहचान सहित बड़ी संख्या में कारकों पर निर्भर करता है। इस न्यायालय ने हाल ही में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ महाजबीन अख्तर (2008) 1 एससीसी 368 वाले मामले में भी, स्पष्ट रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

“19. (एससीसी पृष्ठ 376-77, पैरा 19 और 24) इस न्यायालय के अनेक निर्णयों में इस प्रश्न पर विचार किया गया जिसमें वह बिना किसी संकोच के इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बड़ी संख्या में कारक, अर्थात्, शैक्षिक योग्यता, कर्तव्य की प्रकृति, उत्तरदायित्व की प्रकृति, भर्ती की विधि की प्रकृति आदि, वेतनमान के निर्धारण के मामले में समतुल्यता का निर्धारण करने के लिए

प्रासंगिक होंगे। (देखें विभाग बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा असोसिएशन 1993 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 153, स्टेट ऑफ यू.जे. पी. चौरसिया (1989) 1 एस. सी. सी. 121, भारत संघ बनाम प्रदीप कुमार डे (2000) 8 एस. सी. सी. 580 और हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा सिविल सचिवालय पर्सनल स्टाफ एसोसिएट (2002) 6 एस. सी. सी. 72)

*

*

*

24. इस मामले में प्राप्त तथ्यों पर, इसलिए, हमारा यह मत है कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं है। अगर वेतनमान का निर्धारण शैक्षणिक योग्यता, कर्तव्यों की प्रकृति और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर किया जाता तो मामला अलग हो सकता था। हम इस तथ्य से भी अनजान नहीं हैं कि विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान को समान माना जाना चाहिए और समान वेतनमान की सिफारिश की जानी चाहिए। प्रतिवादियों ने अपनी सेवाओं को प्रतिनियुक्ति पर रखने के लिए नहीं चुना। उन्होंने अधिशेष के रूप में सरकारी सेवा में रहने का विकल्प चुना। उन्हें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लाइब्रेरियन के रूप में रखा गया था। उन्हें सहायक लाइब्रेरियन और सूचना सहायक के रूप में नामित किया गया था। उनका वेतनमान 6500-10,500 रुपये निर्धारित किया गया था, जो वेतन का संशोधित वेतनमान था। उनके मामले पर पांचवें वेतन संशोधन

आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया है। यदि उच्च श्रेणी के वेतनमान को किसी विशेषज्ञ निकाय द्वारा शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए फिर से निर्धारित किया गया है, तो कोई अपवाद नहीं किया जा सकता है। गुप्त रूप से यह भारत संघ के लिए था कि वह उसे एक अलग वेतनमान में रखने के लिए अच्छे कारण बताए। कर दिया गया है। हमने इससे पहले देखा है कि न केवल आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं अलग हैं, बल्कि कर्तव्यों की प्रकृति भी अलग है। अनुच्छेद 39 (घ) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर लागू किया जाना चाहिए कि समानता के खंड का उन लोगों के संबंध में उपयोग किया जाना चाहिए जो सभी प्रकार से समान रूप से स्थित हैं। प्रश्न केवल यह है कि उक्त सिद्धांत को विभिन्न तथ्यों की स्थिति में कैसे लागू किया जाए। जबकि इस न्यायालय ने उक्त सिद्धांत को लागू करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें याचियों के पास भारत संघ बनाम दीनेशन के. के. (2008) 1 एससीसी 586 में अपेक्षित योग्यता नहीं थी, नियम के आवेदन को एक विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ने की वकालत करते हुए कहा गया: (दिनेशन के. के. वाला मामला) एस. सी. सी. पृष्ठ 592-93, पैरा 16)

“16. हरियाणा राज्य बनाम चरणजीत सिंह (2006) 9 एससीसी 321 में एक बार फिर हाल ही में लिए गए एक निर्णय में हरियाणा राज्य बनाम जसमेर सिंह (1996) 11

एससीसी 77, तिलक राज (2003) 6 एससीसी 123, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बनाम मनोज के. मोहंती (2003) 5 एससीसी 188 और पश्चिम बंगाल सरकार बनाम भारत संघ (2013) 6 एससीसी 123, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बनाम मनोज के. मोहंती (2003) 5 एससीसी 188। श्री तरुण के. रॉय (2004) 1 एससीसी 347 में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए तीन विद्वान न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने दोहराया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है और इसे अदालत में लागू किया जा सकता है। अन्य बातों के साथ-साथ, यह देखते हुए कि समान मूल्य के समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए और यह कि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का हर मामले में कोई गणितीय अनुप्रयोग नहीं है, यह माना गया है कि अनुच्छेद 14 भर्ती किए गए और एक साथ समूह में रखे गए व्यक्तियों के गुणों या विशेषताओं के आधार पर उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, जो छूट गए हैं। निश्चित रूप से, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ गुणों या विशेषताओं का उचित संबंध होना चाहिए। कई कारकों की गणना करते हुए, जो समान

कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के लागू होने की आवश्यकता नहीं है, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि उक्त सिद्धांत में किसी दिए गए कार्य के विभिन्न आयामों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए आमतौर पर इस सिद्धांत की प्रयोज्यता का मूल्यांकन और निर्धारण विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाना चाहिए और न्यायालय को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह संतुष्ट नहीं हो जाता है कि आवश्यक सामग्री जिसके आधार पर दावा किया गया है, वह आवश्यक सबूत के साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध है और यह कि समान गुणवत्ता का समान कार्य है और अन्य सभी प्रासंगिक कारक पूरे होते हैं।”

25. यह हो सकता है कि चरणजीत सिंह (2006) 9 एस. सी. सी. 321 में, न्यायमूर्ति वरियावा ने तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ की ओर से बोलते हुए भर्ती के स्रोत के संबंध में 'हो सकता है' शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन जैसा कि निर्णय के सक्रिय भाग से पता चलता है, उसी पर प्रासंगिक कारक के रूप में विचार किया जाना चाहिए। चरणजीत सिंह, इसलिए, इस न्यायालय के अन्य निर्णयों के खिलाफ नहीं हैं जहां नियुक्ति के तरीके और प्रक्रिया को कथित सिद्धांत के आह्वान के उद्देश्य के लिए एक प्रासंगिक कारक माना गया है. हम उपरोक्त तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से बंधे हुए हैं।”

67. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम दिब्येंदु भट्टाचार्या वाले मामले में न्यायमूर्ति डॉ. चौहान ने कहा:

“23. इस न्यायालय ने राज्य में इसी प्रकार के मुद्दे का विनिश्चय करते समय पश्चिम बंगाल बनाम पश्चिम बंगाल न्यूनतम वेतन निरीक्षक असोसिएशन (2010) 5 एससीसी 225, में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया (एससीसी पृष्ठ 232 पैरा 18-20)

“18. ... विभिन्न पदों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का मूल्यांकन और ऐसे पदों पर लागू वेतनमान का निर्धारण और कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में समानता का निर्धारण जटिल कार्यकारी कार्य हैं, जिन्हें विशेषज्ञ निकायों द्वारा किया जाना है। वेतनमान में समानता प्रदान करना तुलनात्मक नौकरी मूल्यांकन और पदों के समीकरण पर निर्भर करता है।

19. ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का सिद्धांत एक मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक संवैधानिक लक्ष्य है। यह विभिन्न कारकों जैसे शैक्षिक योग्यता, कार्य की प्रकृति, किए जाने वाले कर्तव्यों, निर्वहन किए जाने वाले दायित्वों, अनुभव, भर्ती की विधि आदि पर निर्भर करता है। सिर्फ पदों के पदनाम के आधार पर तुलना गलत धारणा है। अदालतों को ऐसे मामलों में संयम के साथ हस्तक्षेप करना चाहिए और तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब वे संतुष्ट हों कि सरकार का निर्णय कर्मचारियों के किसी विशेष वर्ग के लिए स्पष्ट रूप से तर्कहीन, अन्यायपूर्ण और प्रतिकूल है।

20. असमानता साबित करने का बोझ समता का दावा करने वाले कर्मचारियों पर है।

...

...

...

30. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे पर कानून का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 39 (डी) के प्रावधानों को लागू करके वेतन की समानता का दावा किया जा सकता है, यह स्थापित करके कि पात्रता, चयन/भर्ती का तरीका, कार्य की प्रकृति और गुणवत्ता और कर्तव्य और प्रयास, विश्वसनीयता, गोपनीयता, निपुणता, कार्यात्मक आवश्यकता और जिम्मेदारियां और दोनों पदों की स्थिति समान हैं। कार्य समान हो सकते हैं लेकिन कौशल और जिम्मेदारियां वास्तव में और काफी अलग हो सकती हैं। अन्य पद के लिए किसी उच्च योग्यता, वरिष्ठता या इसी तरह के अन्य कारकों की आवश्यकता नहीं हो सकती है। वेतनमान में समानता नौकरी के तुलनात्मक मूल्यांकन और पदों के समीकरण पर निर्भर करती है। समता का दावा करने वाले व्यक्ति को आवश्यक प्रकथन प्रस्तुत करने चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि संबंधित पदों के बीच सभी चीजें समान हैं। इस तरह के जटिल मुद्दे का निर्णय पक्षकारों द्वारा दायर हलफनामों का मूल्यांकन करके नहीं किया जा सकता है।

31. नियोक्ता द्वारा भेदभाव स्थापित करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है जो वेतन की समानता का दावा करता है। विशेषज्ञ समिति को इस तरह के मुद्दों पर निर्णय लेना है, जैसे कि वेतनमान आदि का निर्धारण कार्यपालिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है। जब तक प्रशासन यानी सेवा शर्तों आदि के लिए जिम्मेदार लोगों का मूल्य निर्णय सही, उचित और बोधगम्य मानदंडों पर पाया

जाता है, जिसमें विभेदीकरण के उद्देश्य का तर्कसंगत संबंध है, तब तक इस तरह का विभेद भेदभाव नहीं माना जाएगा। कानून में यह प्रतिबंधित नहीं है कि एक ही कैडर में दो ग्रेड के पद हों। इस प्रकार, पद का नामकरण एकमात्र निर्धारक कारक नहीं हो सकता है। न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी सीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए केवल यह जांच कर सकते हैं कि क्या राज्य प्राधिकारियों का निर्णय तार्किक और कर्मचारियों के एक विशेष समूह के लिए न्यायसंगत या प्रतिकूल है। अदालत को यह ध्यान रखना होगा कि केवल सेवा शर्तों में अंतर का मतलब भेदभाव नहीं है। जब तक कि दोनों पदों के बीच पूर्ण और थोक/पूर्ण पहचान नहीं होती है, उन्हें समतुल्य नहीं माना जाना चाहिए और न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने से बचना चाहिए।”

68. ऊपर उल्लिखित निर्णयों के विश्लेषण से पता चलता है कि इस न्यायालय ने 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए निम्नलिखित सीमाओं या योग्यताओं को स्वीकार किया है:-

- i) समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है।
- ii) समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का प्रत्येक मामले में कोई यांत्रिक अनुप्रयोग नहीं है।
- iii) यह तथ्य कि व्यक्ति भर्ती की प्रक्रिया से नहीं गुजरा है, कुछ मामलों में स्वयं भी अंतर पैदा कर सकता है।
- iv) समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने के लिए दिए गए कार्य के विभिन्न आयामों पर विचार करने की आवश्यकता है।

v) इस प्रकार सामान्य रूप से इस सिद्धांत की प्रयोज्यता का मूल्यांकन और निर्धारण विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसे मामले नहीं हैं जहां एक रिट अदालत हल्के से हस्तक्षेप कर सकती है।

vi) वेतनमान प्रदान करना विशुद्ध रूप से कार्यकारी कार्य है और इसलिए न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे सरकार और अधिकारियों के लिए सभी प्रकार की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

vii) पदों और वेतन का समीकरण एक जटिल मामला है जिसे विशेषज्ञ निकाय पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

viii) न्यायालय द्वारा वेतन समता प्रदान करने का परिणाम व्यापक प्रभाव और प्रतिक्रिया हो सकती है जिसके प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

ix) समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर आधारित दावे पर विचार करने और उसे स्वीकार करने से पहले न्यायालय को भर्ती/नियुक्ति के स्रोत और तरीके जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए।

x) दिए गए मामले में, चयन के तरीके को उन कारकों में से एक माना जा सकता है जो अंतर पैदा कर सकते हैं।

69. नवीनतम निर्णय, जिस पर नियोजित शिक्षकों की ओर से अत्यधिक भरोसा किया गया था, वह राज्य में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया है। पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य 2 में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया है। विचार के लिए उठने वाले मुद्दों को पैरा 5 में निम्नानुसार उपवर्णित किया गया था:

“5. हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह है: क्या अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी (दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारी, आकस्मिक आधार पर नियुक्त कर्मचारी, संविदा

कर्मचारी और इसी तरह के अन्य कर्मचारी) मंहगाई भत्ते के साथ नियमित वेतनमान के न्यूनतम हकदार हैं? उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ (अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2011 एससीसी ऑनलाइन पीएंडएच 15326) ने उपरोक्त विवाद पर निर्णय देते हुए यह निष्कर्ष निकाला था कि ऐसे अस्थायी कर्मचारी केवल इस कारण से नियमित वेतनमान के न्यूनतम हकदार नहीं थे कि दैनिक वेतन भोगियों और नियमित कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां समान थीं। हालांकि, इसमें दो अपवाद शामिल किए गए हैं और ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम नियमित वेतन दिया गया है। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा आक्षेपित निर्णय में अभिलिखित अपवाद नीचे दिए गए हैं: (अवतार सिंह मामला, एससीसी ऑनलाइन पीएंडएच पैरा 37)

“(1) नियमित स्वीकृत पदों के लिए दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ या संविदात्मक रूप से नियुक्त व्यक्ति यदि अन्य सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए अवसर की निष्पक्षता और समानता पर आधारित चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद नियुक्त किया जाता है तो वह नियुक्ति की तारीख से न्यूनतम नियमित वेतनमान पाने का हकदार होगा।

(2) लेकिन यदि नियमित स्वीकृत पदों के लिए दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ या संविदात्मक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाती है और उनकी सेवाओं का राज्य सरकार या उसके परिकरणों द्वारा पर्याप्त लम्बी अवधि के लिए अर्थात् 10 वर्षों के लिए निरंतर उपयोग किया जाता है, तो ऐसे दिहाड़ी मजदूर, तदर्थ या संविदात्मक रूप से नियुक्त व्यक्ति इस धारणा पर कि बारहमासी प्रकृति का कार्य उपलब्ध है और

इतनी लम्बी अवधि के लिए काम किया है, बिना किसी भत्ते के न्यूनतम नियमित वेतनमान के हकदार होंगे। नियमित करने के लिए उनके दावे, यदि कोई हो, पर कानूनी रूप से स्वीकार्य योजना के संदर्भ में अलग से विचार किया जा सकता है।

(3) यदि न्यूनतम वेतनमान के लिए दावा तीन वर्ष से अधिक अवधि के बाद किया जाता है और लगातार 10 वर्ष के कार्य के पूरा होने के दो महीने के बाद, एक दैनिक मजदूर, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी तीन वर्ष और दो महीने की अवधि के लिए बकाया का हकदार होगा।”

70. उपर्युक्त मुद्दे पर विचार करते समय इस न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 31 और फिर पैरा 42 में वेतन समानता के मुद्दे पर सभी विनिश्चयों को नोट किया था। 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को लागू करने की सीमाओं या योग्यताओं पर भी पैरा 42 में विचार किया गया था और पैरा 43 के बाद से, अस्थायी कर्मचारियों द्वारा उठाए गए वेतन समानता के दावे (अलग-अलग रूप से कार्य-प्रभार, दैनिक वेतन, आकस्मिक, तदर्थ, संविदात्मक और इसी तरह के रूप में नामित) पर भी विचार किया गया था। इस मुद्दे पर चर्चा के बाद, यह मामला इस प्रकार समाप्त हुआ:-

“57. इसमें किसी संदेह के लिए कोई जगह नहीं है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या से उभरा है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए अनेक निर्णयों के माध्यम से इस सिद्धांत की व्याख्या की गई है और यह इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून का गठन करता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत भारत में सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। इस सिद्धांत के मापदंडों को हमने यहां ऊपर पैरा 42 में संक्षेप में प्रस्तुत किया है। 'समान कार्य के लिए समान

वेतन' के सिद्धांत को अस्थायी कर्मचारियों (अलग-अलग रूप से कार्य-शुल्क, दैनिक वेतन, आकस्मिक, तदर्थ, संविदात्मक, और इसी तरह के रूप में वर्णित) के लिए भी विस्तारित किया गया है। अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कानूनी स्थिति का सारांश हमने यहां ऊपर पैरा 44 में दिया है। उपर्युक्त कानूनी स्थिति जो बार-बार घोषित की गई है, उसे हम एक बार फिर दोहरा रहे हैं।”

71. 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए योग्यताएं, जिन्हें लंबे समय से मान्यता दी गई है और ऊपर उल्लिखित निर्णयों में स्वीकार किया गया है, अच्छी तरह से स्थापित हैं। जगजीत सिंह 2 के निर्णय ने एक बार फिर उन योग्यताओं को दोहराया। इन सीमाओं या योग्यताओं को हल्का नहीं किया गया है बल्कि फिर से लागू किया गया है।

72. इस स्तर पर, हम राज्य की ओर से प्रस्तुत की गई इस दलील पर विचार कर सकते हैं कि जगजीत सिंह के मामले में दिए गए निर्णय में वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए पहले के निर्णयों को ध्यान में नहीं रखा गया था। पंजाब राज्य बनाम जोगिन्दर सिंह और जबर सिंह बनाम हरियाणा राज्य 29 और अन्य वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए पहले के निर्णयों को ध्यान में नहीं रखा।

पहले मामले में, प्रतिवादी जोगिंदर सिंह 1.10.1957 से पहले होशियारपुर में एक जिला बोर्ड हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। सितंबर, 1957 में लिए गए सरकारी निर्णय के कारण, जो 1.10.1957 को प्रभावी हुआ, जिला बोर्ड और नगर निगम बोर्ड स्कूलों में कार्यरत प्रतिवादी जोगिंदर सिंह जैसे सभी शिक्षक राज्य के कर्मचारी बन गए। इस तरह का निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार ने राज्य सेवा में शिक्षकों की दो श्रेणियां रखने का निर्णय लिया था। शिक्षकों की कुल संख्या का 15 प्रतिशत मध्यम वेतनमान में रखा गया था जबकि शेष 85 प्रतिशत को निम्न वेतनमान में रखा गया था। इस प्रकार, पहले वाले के पास आगे के स्तरों पर पदोन्नति की बेहतर संभावनाएं थीं। जिला बोर्ड और नगर निगम बोर्डों द्वारा संचालित स्कूलों का अधिग्रहण करने के बाद, जिसे प्रादेशिकीकरण कहा गया,

प्रतिवादी जोगिंदर सिंह जैसे शिक्षक, हालांकि राज्य के कर्मचारी बन गए, वे प्रादेशिकीकृत शिक्षकों के संवर्ग का हिस्सा थे जो राज्य के शिक्षकों के संवर्ग से अलग थे। प्रांतीय संवर्ग में आगे कोई नियुक्ति नहीं करने का भी निर्णय लिया गया और इस प्रकार कहा गया कि संवर्ग एक लुप्त हो रहा या समाप्त हो रहा संवर्ग था। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रान्तीय काडर 15:85 जैसा कि राज्य संवर्ग में किया गया था, लेकिन प्रांतीय संवर्ग में किसी भी सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उस संवर्ग में नई नियुक्तियां नहीं होंगी, लेकिन राज्य संवर्ग में उचित संख्या में नियुक्तियां की जाएंगी और नई नियुक्तियां केवल राज्य संवर्ग में की जाएंगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों संवर्ग के कर्मचारियों को समान वेतनमान दिया गया था, लेकिन उनकी पदोन्नति की संभावनाएं पूरी तरह से अलग थीं। उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि समय बीतने के साथ प्रान्तीय संवर्ग की संख्या कम होती जाएगी और इस प्रकार पदोन्नति की संभावनाएं और 15 प्रतिशत समूह का हिस्सा बनने की संभावनाएं कम होती जाएंगी और इस प्रकार प्रान्तीय संवर्ग के कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जोगिन्दर सिंह वाले मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया था:-

“22. अब इस मुद्दे पर विचार करना बाकी है कि राज्य एक ही काम लेकिन अलग-अलग वेतनमान या सेवा की अलग-अलग शर्तों के अधीन करने वाले कर्मचारियों से मिलकर दो सेवाओं का गठन नहीं कर सकता है, और ऐसी सेवाओं का गठन अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इस प्रस्तुति के पीछे दो अवधारणाएं हैं: (1) समान कार्य को समान वेतन मिलना चाहिए, और (2) यदि वेतन और कार्य में समानता है, तो सेवा की समान शर्तें होनी चाहिए। जहां तक पहले प्रस्ताव का संबंध है, किशोरी मोहन लाल बनाम भारत संघ (1962 एससी एआईआर 1139) में इस न्यायालय द्वारा निश्चित रूप से इसे खारिज कर दिया गया है। न्यायमूर्ति दास गुप्ता ने न्यायालय के लिए बोलते हुए कहा:

“केवल एक अन्य तर्क यह है कि श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों के बीच भेदभाव किया जाता है क्योंकि वे एक ही तरह के काम करते हैं-उनके वेतनमान अलग-अलग हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यदि इस तर्क की कोई वैधता थी, तो किसी अधिकारी की सेवा की अवधि पर निर्भर करते हुए वेतन का कोई वृद्धिशील वेतनमान नहीं हो सकता था। समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का अनुच्छेद 14 से कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए यह दलील कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है, भी विफल है।”

हमारी राय में दूसरा भी असंगत है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मौजूदा सेवा को किसी विशेष योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाता है, उसी काम को करने के लिए एक अन्य सेवा का निर्माण किया जाता है, तो यह उसी तरह से हो सकता है, लेकिन पदोन्नति की बेहतर संभावनाओं के साथ इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है, और यह तथ्य कि नियमों में दो समूहों के कर्मियों के दूसरे द्वारा रखे गए स्थानों पर मुफ्त स्थानांतरण की अनुमति दी गई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस उत्तर को किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं कर रहे हैं कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाला कोई अनुबंध करता है तो वह सहायता के लिए संवैधानिक गारंटी नहीं मांग सकता है क्योंकि वह अपने अनुबंध से बंधा हुआ है। लेकिन यह निष्कर्ष विभिन्न और व्यापक सार्वजनिक आधारों पर आधारित है कि प्रशासन का संचालन करने वाली सरकार के पास आवश्यक रूप से प्रशासन के लिए सेवाओं के गठन में एक विकल्प होना चाहिए और संविधान द्वारा लगाई गई सीमाएं ऐसी नहीं हैं कि ऐसी सेवाओं के निर्माण को

रोका जा सके। इसके अलावा, उदाहरण के लिए, आपातकाल या आपातकाल से निपटने के लिए एक अस्थायी भर्ती हो सकती है, जिसके किसी भी प्रशंसनीय अवधि के लिए रहने की उम्मीद नहीं है। सरकार को अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती करने की शक्ति से वंचित करना, जो समान वेतन प्राप्त कर रहे हैं और संवर्ग की संख्या के भीतर अन्य स्थायी पदाधिकारियों के समान काम कर रहे हैं, लेकिन सेवा के विभिन्न नियम और शर्तों, यह पदोन्नति सहित हो सकता है, प्रशासन के तरीके पर प्रतिबंध लगाना होगा जो हमारा मानना है कि संविधान द्वारा आशयित नहीं था। इस अपील के निर्णय के प्रयोजन के लिए यहां जिस प्रश्न की चर्चा की गई है वह अकादमिक है, लेकिन हम हमें संबोधित तर्कों को ध्यान में रखते हुए स्वयं को व्यक्त कर रहे हैं।

23. आक्षेपित नियमों के नियम 3 द्वारा सृजित प्रान्तीय अध्यापकों और राज्य संवर्ग के अध्यापकों के बीच पदोन्नति की संभावनाओं में असमानता के अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य संवर्ग के अध्यापकों को प्रभागीय सूची में सम्मिलित किए जाने के कारण और असमानता थी, जबकि नियमों के अधीन प्रान्तीय अध्यापकों की परस्पर वरिष्ठता और प्रोन्नति का अवधारण जिलावार किया गया था। अपीलार्थी के विद्वत सॉलिसिटर-जनरल द्वारा यह बताया गया कि राज्य संवर्ग को उस सेवा के सदस्यों की बहुत कम संख्या के कारण विभागीय आधार पर रखा गया था, जबकि प्रान्तीय सेवा के सदस्यों का इसी तरह का भौगोलिक वर्गीकरण करना प्रशासनिक रूप से असुविधाजनक पाया गया था और इस कारण से और कोई अन्य नहीं, प्रांतीय शिक्षकों के लिए वरिष्ठता, पदोन्नति और स्थानांतरण का जिलावार वर्गीकरण निर्धारित किया गया था।

प्रत्यर्थी के विद्वत वकील ने अब अपील के तहत मामले का निर्णय करने में उच्च न्यायालय के विद्वत न्यायाधीशों के इस तर्क पर भरोसा नहीं किया। इसलिए हम इस बारे में आगे कोई संदर्भ देना आवश्यक नहीं समझते हैं।

24. जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि दोनों सेवाओं ने स्वतंत्रता सेवाओं के रूप में शुरुआत की थी। प्रत्येक वर्ग में प्रवेश के लिए निर्धारित योग्यताएं अलग-अलग थीं, इसके लिए भर्ती की विधि और मशीनरी भी अलग-अलग थी और प्रत्येक वर्ग के सदस्यों के पास और अधिक सामान्य योग्यताएं अलग-अलग होने के कारण, वे दो अलग-अलग वर्गों के रूप में शुरू हुईं। यदि 27 सितंबर, 1957 का सरकारी आदेश उन्हें एक सेवा में एकीकृत नहीं करता है, तो इसका मतलब होगा कि वे दो अलग-अलग सेवाओं के रूप में शुरू की गई थीं। यदि वे विशिष्ट सेवाएं थीं, तो दोनों सेवाओं के सदस्यों के बीच परस्पर वरिष्ठता का कोई सवाल नहीं था, न ही अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 (1) के आधार पर तर्क स्थापित करने के लिए पदोन्नति के मामले में दोनों के बीच कोई तुलना थी। उन्होंने असमान रूप से शुरुआत की और वे अलग-अलग बने रहे और उनके व्यवहार में कोई असमानता समान अवसर से वंचित नहीं होगी, क्योंकि यह एक सामान्य आधार है कि प्रत्येक समूह के भीतर नहीं है। दो अनुच्छेदों द्वारा गारंटी दी गई उस स्वतंत्रता से वंचित करने की कोई बात नहीं है। इसलिए उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के फैसले की नींव कि आक्षेपित नियमों ने दो वर्गों का निर्माण किया जो पहले एक वर्ग था और दोनों के बीच भेदभाव के तत्वों को पेश किया, कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है यदि, जैसा कि हम 27 सितंबर, 1957 का आदेश रखते हैं, दोनों सेवाओं के पूर्ण एकीकरण को प्रभावी नहीं किया। इस दृष्टिकोण से

यह माना जाएगा कि आक्षेपित नियमों को संविधान के उल्लंघन के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है।

25. समापन करने से पूर्व यह बताना आवश्यक है कि, जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, प्रादेशिकीकृत शिक्षकों के प्रति आक्षेपित नियमों द्वारा कारित पूर्वाग्रह का स्रोत इस तथ्य में नहीं है कि दोनों संवर्गों को अलग-अलग रखा गया था बल्कि इस तथ्य के कारण है कि प्रादेशिकीकृत संवर्ग को धीरे-धीरे समाप्त करने का आशय था। अतः विचार के लिए वास्तविक प्रश्न यह होगा कि क्या इस मामले में सरकार के निर्णय में कुछ असंवैधानिक था। दूसरे शब्दों में, क्या प्रतिवादी और उसकी कक्षा को अपनी कैडर शक्ति को बनाए रखने का कोई मौलिक अधिकार था? इसका जवाब नकारात्मक ही दिया जा सकता है। यदि उनके संवर्ग की संख्या कम हो जाती है, तो कुल संख्या का 15 प्रतिशत अर्थात् ग्रेड में कौन हो सकता है, यह पूर्व निर्धारित किया जाता है, इसलिए आवश्यक है कि चयन पदों की संख्या में क्रमिक कमी की जाए। दूसरे शब्दों में, संवर्ग की संख्या में केवल कमी से वह परिणाम सामने आएगा और जब तक प्रत्यर्थी यह स्थापित नहीं कर सकता कि सरकार प्रान्तीय संवर्ग में सभी रिक्तियों को उस संवर्ग में नई भर्ती द्वारा भरने और इस प्रकार अपनी शक्ति को उस स्तर पर बनाए रखने के लिए विधि में आबद्ध है जिस स्तर पर वह 1 अक्टूबर, 1957 को थी, तब तक उसे विफल होना चाहिए। यह स्पष्ट है कि इस तरह का विवाद स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है।”

73. दूसरे विनिश्चय में यह प्रतिवाद किया गया था कि जोगिन्दर सिंह के मामले में संविधान न्यायपीठ के विनिश्चय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और इस प्रकार सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ गठित की गई थी जो निम्नलिखित जिसने जबर

सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य वाले मामले में विचार किया। पैराग्राफ 27 से 30, 32 से 33 और 35, 36 और 40 में चर्चा इस प्रकार थी:-

“27. उपरोक्त विश्लेषण से जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि 1 अक्टूबर, 1957 से पहले शिक्षकों की दो श्रेणियां, जो स्थानीय निकाय के विद्यालयों में सेवा कर रही थीं और जो सरकारी विद्यालयों में सेवारत थी, अलग थी। यद्यपि न्यूनतम योग्यताएँ और वेतनमान एकरूप हो सकते थे, लेकिन दूसरे मामलों में भिन्नताएँ थी, जैसे नियुक्ति की प्रक्रियाएँ, सेवानिवृत्ति लाभ, वरीयता निर्धारित करने के नियम आदि। यह भी स्पष्ट है कि जहाँ सरकारी विद्यालय के शिक्षक का आयुक्त प्रमंडल में कहीं भी स्थानांतरण होता था, स्थानीय निकाय के शिक्षक का स्थानांतरण सिर्फ उस निकाय के क्षेत्रीय सीमाओं के अन्दर ही होता था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्थानीय निकायों के विद्यालयों में नियुक्तियां सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षकों द्वारा की जाती थीं, लेकिन वे ऐसा केवल ऐसे निकाय के अध्यक्ष या अध्यक्ष के परामर्श से ही कर सकते थे। अनुशासनात्मक मामलों में भी यही स्थिति थी। इसके अलावा, हालांकि निर्धारित न्यूनतम योग्यता समान थी, लेकिन तथ्य यह है कि स्थानीय निकायों के 50% या अधिक शिक्षक गैर-मैट्रिक थे और ऐसे कई गैर-मैट्रिक शिक्षक भी कुछ गैर-मैट्रिक की तुलना में बुनियादी प्रशिक्षण की योग्यता के बिना थे और सरकारी विद्यालयों में इस तरह के बुनियादी प्रशिक्षण के बिना कोई भी नहीं था। किसी भी स्थिति में न्यूनतम योग्यता और वेतनमान समान होने का अर्थ यह नहीं हो सकता कि दोनों श्रेणियों के शिक्षकों का एक ही वर्ग हो। श्री तारकुंडे ने स्वीकार किया कि 1 अक्टूबर, 1957 से पहले स्थानीय निकायों और सरकारी विद्यालयों के शिक्षक एक श्रेणी में नहीं आते थे।

28. जहां तक 1 अक्टूबर, 1957 की स्थिति का संबंध है, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, सरकारी स्कूलों के शिक्षक 1955 के नियमों द्वारा शासित थे और रहे हैं, जो, निस्संदेह, 30 मई, 1957 से प्रभावी हुए थे और जिन्होंने बुनियादी प्रशिक्षण के अलावा मैट्रिक के रूप में न्यूनतम योग्यता निर्धारित की थी। 1937-नियमों के तहत सार्वजनिक शिक्षण निदेशक द्वारा भर्ती किए गए सरकारी स्कूल के शिक्षकों का चयन 1954 से चयन बोर्ड द्वारा उनके प्रारंभिक वेतन को 47 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। दूसरी ओर, स्थानीय निकायों के शिक्षकों की भर्ती निरीक्षकों द्वारा उन निकायों के अध्यक्षों या अध्यक्षों के परामर्श से जुलाई 1957 तक की गई थी, जब उन विद्यालयों में रिक्तियों में नई नियुक्तियों को रोक दिया गया था। 1955 के नए नियमों के तहत सरकार ने 15 प्रतिशत पदों के लिए चयन ग्रेड की व्यवस्था की थी। वास्तव में, 1955-नियम बनने से पहले ही उन्हें इस तरह का ग्रेड दिया गया था और नए नियमों ने केवल उस लाभ को जारी रखा था। मोटे तौर पर, 1 अक्टूबर, 1957 को स्थिति यह थी कि शिक्षकों की दो श्रेणियां अलग-अलग वर्गों का गठन करती थीं। हालांकि वे समान कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक एकीकृत वर्ग नहीं कहा जा सकता था।

29. प्रश्न यह उठता है कि क्या 1 अक्टूबर, 1957 को सरकारी विद्यालय के शिक्षकों और प्रान्तीय शिक्षकों द्वारा दो अलग-अलग कक्षाएं बनाने के बावजूद, उन्हें उस तारीख से 13 फरवरी, 1961 के बीच की अवधि के दौरान एक वर्ग में एकीकृत किया गया था, जिसे उन नियमों द्वारा दो काडरों में विभाजित किया गया था? प्रान्तीयकरण की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि आरंभ में सरकार ने

दोनों प्रकार के शिक्षकों के बीच एकीकरण लाने का विचार किया था।लेकिन ऐसा कोई ठोस निर्णय कभी नहीं लिया गया। इस स्तर पर कुछ तिथियां स्थिति को स्पष्ट कर सकती हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्थानीय निकायों के विद्यालयों को प्रादेशिकीकृत करने का निर्णय 19 जुलाई, 1957 को लिया गया था।उस निर्णय के अनुसरण में।सरकार ने 2 अगस्त, 1957 को स्थानीय निकायों के विद्यालयों में शिक्षकों की किसी भी नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया था।27 सितंबर, 1957 को राज्यपाल ने प्रान्तीय बनाने की योजना को मंजूरी दी और साथ ही प्रान्तीय विद्यालयों के मौजूदा कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए 20,000 और विषम नए पदों को मंजूरी दी। प्रान्तीय बनाने के साथ-साथ सरकार ने 1 अक्टूबर, 1957 को प्रान्तीय बनाने वाले शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के समान वेतनमान प्रदान किए।लेकिन समस्या यह थी कि प्रादेशिकीकृत शिक्षकों को सरकारी सेवा में कैसे समायोजित किया जाए और उनकी परस्पर वरिष्ठता के साथ-साथ सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के प्रति उनकी वरिष्ठता कैसे तय की जाए।

30. 1961-नियमों के साथ प्रकाशित ज्ञापन से यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि सरकार इन प्रश्नों को हल करने के लिए एक उचित सूत्र की खोज कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रक्रिया 23 नवंबर, 1959 से चल रही थी जब वैकल्पिक प्रस्ताव विचार-विमर्श के लिए तैयार किए गए थे और उन प्रस्तावों को शिक्षकों के मान्यता प्राप्त संघों को सूचित किया गया था। चूंकि शिक्षकों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए सरकार ने 27 जनवरी, 1960 को शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जन शिक्षण निदेशक को लिखे गए अपने पत्र में तैयार किए गए अपने निर्णयों को लागू किया। ये निर्णय

तीन बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर किए गए थे: प्रान्तीय संवर्ग में प्रोन्नतियों, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्रों आदि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को राज्य संवर्ग को अंतरित किया जाना चाहिए जिससे कि अंततः लगभग तीस वर्षों के बाद प्रान्तीय संवर्ग इस क्षेत्र में अकेले राज्य संवर्ग को छोड़कर पूरी तरह समाप्त हो जाए। इन घटनाओं से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि 1 अक्टूबर, 1957 के बाद शिक्षकों की दो श्रेणियों को एकीकृत करने का कोई भी निर्णय लिया गया था, हालांकि 1 अक्टूबर, 1957 के बाद, नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी और उन्हें प्रांतीय और सरकारी विद्यालयों दोनों में तैनात किया गया था, जिन्होंने समान कर्तव्यों का पालन किया था और जिन्हें प्रांतीय शिक्षकों के समान वेतनमान दिए गए थे। लेकिन ऐसे नए शिक्षकों को सरकार द्वारा तय किए गए दो सिद्धांतों (i) प्रादेशिकीकृत कैडर के घटते चरित्र और (ii) 1 अक्टूबर, 1957 से पहले से ही इस संवर्ग को बंद कर दिया गया था, के कारण राज्य संवर्ग में नियुक्त माना गया था। इस प्रकार, दोनों श्रेणियां अलग-अलग बनी रहीं और कभी एकीकृत नहीं हुईं। सरकारी विद्यालयों के शिक्षक और 1 अक्टूबर, 1957 के बाद नियुक्त शिक्षक 1955-नियमों द्वारा शासित थे, जबकि प्रादेशिकीकृत शिक्षक संभवतः तब तक जिला बोर्डों के नियमों द्वारा शासित होते रहे, जब तक कि सरकार द्वारा उनके लिए नए नियम नहीं बनाए गए। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि 1961 के नियमों ने शिक्षकों को विभाजित कर दिया, जिन्होंने एक एकीकृत संवर्ग का गठन किया और दो नए संवर्गों का गठन किया। ये नियम बनाए जाने थे क्योंकि विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त प्रान्तीय शिक्षकों के बीच अंतर-वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना था और सेवा में उनकी स्थिति को समायोजित किया

जाना था। ये नियम 27 जुलाई, 1960 को सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में तैयार किए गए सिद्धांतों पर बनाए गए थे।

...

...

...

32. यह देखा जाएगा कि यद्यपि प्रान्तीय शिक्षकों को राज्य संवर्ग के शिक्षकों के समान वेतनमान दिए गए थे, किंतु नियमों में यह उपबंध किया गया था कि उनके विपरीत उनका तबादला केवल उस जिले के भीतर किया जा सकता है जहां वे सेवा कर रहे थे। प्रान्तीय बनाने से पहले जिन लोगों की पुष्टि हो चुकी थी, उन्हें भी इन नियमों के तहत पुष्ट माना जाता था। इसका अर्थ यह था कि उनकी वरिष्ठता के प्रयोजनों के लिए, इस तरह की पुष्टि से पहले सेवा सहित उनकी पूरी सेवा को ध्यान में रखा जाएगा, सिवाय इसके कि चयन ग्रेड में पदोन्नत किए गए लोगों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण उस ग्रेड में उनकी पुष्टि की तारीख से किया जाना था।

33. इस प्रकार, यद्यपि दोनों संवर्गों के शिक्षकों को समान वेतनमान दिया गया और एक ही प्रकार का कार्य किया गया और 1 अक्टूबर, 1957 के बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों को प्रादेशिकीकृत संवर्ग के शिक्षकों के समान प्रादेशिकीकृत स्कूलों में तैनात किया गया और काम किया गया, तथ्य यह था कि राज्य संवर्ग के शिक्षक 1955-नियमों द्वारा शासित थे और 1961-नियमों द्वारा शासित थे। इस तथ्य के साथ-साथ कि एक जिला और दूसरा डिविजनल संवर्ग था, इसका मतलब था कि दोनों संवर्ग पहले की तरह अलग-अलग संवर्ग बने रहे। हालांकि, नए नियमों का मुख्य प्रभाव यह था कि संवर्ग में पदों की संख्या धीरे-धीरे कम हो जाएगी और इसके साथ ही चयन ग्रेड में पदों की कुल संख्या पंद्रह प्रतिशत के बरकरार रहने के बावजूद कम हो जाएगी। लेकिन यह एक तरफ

संवर्ग के स्थिर होने और दूसरी तरफ एक घटता हुआ संवर्ग होने का अपरिहार्य परिणाम था। राज्य संवर्ग तदनुसार एक विस्तारित संवर्ग बन गया, सभी विद्यालयों, सरकारी और प्रादेशिकीकृत पदों की कुल संख्या, जो कमोबेश स्थिर रही।

...

...

...

35. इस प्रकार यह विवाद इस प्रश्न पर वास्तव में बदल जाता है कि क्या सरकार शिक्षकों की दो श्रेणियों को एक में एकीकृत करने के लिए बाध्य है और उन्हें पहले की तरह अलग संवर्ग के रूप में जारी नहीं रखेगी, और क्या ऐसा करने से इनकार करने का अर्थ अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 का उल्लंघन करना है। यह सच है कि इस न्यायालय द्वारा पंजाब बनाम जोगिन्दर में 1961-नियमों की वैधता को बनाए रखने के बावजूद, 1965 में तत्कालीन पंजाब सरकार ने उच्च ग्रेड पदों के लिए समान 15 प्रतिशत के साथ 60-175 रुपये के दोनों काडरों के लिए एक समान रनिंग स्केल अपनाया था। लेकिन उस निर्णय का 1961-नियमों की वैधता के सवाल से कोई लेना-देना नहीं है और यदि वे नियम पंजाब राज्य द्वारा अपनाए गए सामान्य रूप से वेतनमान के बजाय उन नियमों को लागू करने के लिए नए हरियाणा राज्य को मंजूरी देने के निर्णय के साथ वैध थे।

36. जिन सिद्धांतों के आधार पर अनुच्छेद 14 और 16 के विभेद और उल्लंघन का परिणाम कहा जा सकता है, वे अब तक इतने अच्छी तरह से स्थापित हो चुके हैं कि हम उन्हें यहां फिर से दोहराना आवश्यक नहीं समझते हैं। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, 1937 के बाद से और उससे पहले भी शिक्षकों की दो श्रेणियां हमेशा अलग-अलग नियमों द्वारा शासित रही हैं, जिन्हें विभिन्न अधिकारियों द्वारा भर्ती किया गया है और वेतनमान और

योग्यता के मामलों के अलावा सेवा की अलग-अलग शर्तें हैं। यह स्थिति 13 फरवरी, 1961 तक बनी रही। उस दिन जबकि राज्य संवर्ग के शिक्षक 1955-नियमों द्वारा शासित थे, प्रान्तीय शिक्षकों के लिए नियम अभी बनाए जाने बाकी थे। दोनों संवर्ग अलग-अलग होने के कारण सरकार एक एकीकृत संवर्ग लाने के लिए बाध्य नहीं थी, विशेष रूप से प्रान्तीय संवर्ग को कम करने और अंततः उस सिद्धांत के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से केवल फील्ड में एक संवर्ग लाने के अपने निर्णय को देखते हुए। यदि ऐतिहासिक कारणों से शिक्षक दो अलग-अलग श्रेणियों में बने रहे, तो प्रान्तीय शिक्षकों के एक अलग संवर्ग में वर्गीकरण को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। शिक्षकों की दोनों श्रेणियों के लिए समान रूप से लागू 1961-नियम बनाना भी सरकार के लिए अनिवार्य नहीं था, क्योंकि एक नियम बनाने वाले प्राधिकरण को सभी श्रेणियों के लिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है और वह किस श्रेणी के लिए कानून बना सकता है (सखावत अली बनाम उड़ीसा राज्य (1955) 1 एससीआर 1004 और मधुभाई अमथालाल गांधी बनाम भारत संघ (1961) 1 एससीआर 191 और विवियन जोसेफ फरेरा बनाम ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम (1972) 1 एससीसी 70 देखें) और दूसरा, क्योंकि प्रान्तीय संवर्ग को धीरे-धीरे कम करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था ताकि अंततः केवल राज्य संवर्ग ही सेवा में बना रहे। यह अंतर-वरिष्ठता की जटिल कठिनाई को हल करने का एक तरीका था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कर्मचारियों की दो श्रेणियां हैं, तो एक में भर्ती करना और दूसरी में भर्ती नहीं करना सरकार के अधिकार में है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे अपने कैडर में नई नियुक्तियां करने के लिए बाध्य करे। यह भी विवादित नहीं किया जा सकता है कि सरकार के पास भूतलक्षी

प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति थी, और इसलिए, उसमें यह प्रावधान किया जा सकता है कि 1 अक्टूबर, 1957 और 13 फरवरी, 1961 के बीच हुई नियुक्तियों को राज्य संवर्ग में नियुक्तियों के रूप में माना जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रान्तीय संवर्ग 1 अक्टूबर, 1957 से पहले ही ठंडा पड़ चुका था और सरकार ने उस संवर्ग में नई नियुक्तियां नहीं करने का निर्णय लिया था क्योंकि यह संवर्ग घटता जा रहा था।

... ..

40. प्रत्यर्थियों 37 से 96 के संबंध में, उन सभी को प्रान्तीय बनाने के बाद नियुक्त किया गया था। वे याचिकाकर्ताओं और प्रांतीय कैडर के कुछ अन्य लोगों की तुलना में सेवा में जूनियर हैं। लेकिन उनका मामला तुलनीय नहीं है, क्योंकि उन्हें 1955-नियमों के तहत और उन नियमों के तहत निर्धारित भर्ती अधिकारियों के माध्यम से नियुक्त किया गया था यानी चयन बोर्ड। जाहिर है, उन्हें प्रान्तीय काडर में नियुक्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि 1 अक्टूबर, 1957 से पहले ही इस पर रोक लगा दी गई थी। वे प्रादेशिकीकृत विद्यालयों में तैनात हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें उस संवर्ग में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति एक अलग संवर्ग में होने के कारण, यह कहना असंभव है कि वे इसी तरह स्थित थे। राज्य संवर्ग में उनकी भर्ती के कारण, उनकी पदोन्नति के अवसरों और उनकी वरिष्ठता सहित सेवा की शर्तें 1955-नियमों द्वारा शासित होंगी और केवल उसी संवर्ग में उनकी तुलना की जाएगी।”

74. विद्वान अटॉर्नी जनरल और राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान वकील द्वारा पूर्वोक्त निर्णयों पर अत्यधिक भरोसा किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि प्रान्तीय संवर्ग और राज्य संवर्ग के शिक्षक समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे

और समान उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे थे और हालांकि, तथ्य के रूप में, उन्हें समान वेतन और परिलब्धियां मिल रही थीं, सेवाओं को अलग और अलग माना जाता था। उन मामलों में यह विशेषता भी मौजूद थी कि एक संवर्ग को मरने या गायब हो जाने वाला संवर्ग होना था। इस न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया कि राज्य को किसी विशेष सेवा या दोनों सेवाओं की अलग-अलग पहचान बनाए रखते हुए अन्य सेवाओं में नियुक्तियां करते रहते हैं, तब भी जब दोनों संवर्गों से आने वाले शिक्षक समान कार्य कर रहे थे। यद्यपि, कड़ाई से कहें तो, उन दो मामलों में 'समान कार्य के लिए समान वेतन' की अवधारणा शामिल नहीं थी, ये मामले इस ओर इशारा करते हैं कि राज्य वैध रूप से ऐसा अंतर या विभेद कर सकता है। इसलिए, विद्वान अटॉर्नी जनरल और राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वान वकील इन दो निर्णयों पर भरोसा करने के लिए उचित थे। यह भी स्पष्ट है कि बाद के निर्णयों ने जोगिंदर सिंह और जबर सिंह में इस न्यायालय के निर्णयों को नोट नहीं किया है। वर्तमान चर्चा के प्रयोजनों के लिए, हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि जब दोनों कैडरों के शिक्षक समान कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, तब भी इन दो कैडरों की अलग-अलग पहचान बनाए रखने के राज्य सरकार के निर्णय को इस न्यायालय द्वारा आपत्तिजनक नहीं पाया गया और आगे इन दो कैडरों के बीच अंतर हो सकता है। यह सच है कि दोनों कैडर एक ही वेतन संरचना का आनंद ले रहे थे, लेकिन अदालत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि पदोन्नति की संभावनाएं समान होनी चाहिए।

75. हमें वित्त विभाग के सचिव और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल पंजीकरण सेवा संघ और अन्य 8, के निर्णय के पैराग्राफ 12 में इस न्यायालय की टिप्पणियों पर भी विचार करना चाहिए जो स्पष्ट करते हैं कि कैसे एक 'वेतन संरचना' विकसित की गई है। उक्त अनुच्छेद का प्रासंगिक भाग इस प्रकार था:-

“12. सामान्यतः वेतन संरचना विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए विकसित की जाती है, जैसे (i) नियुक्ति की प्रक्रिया, (ii) जिस स्तर पर नियुक्ति की जाती है, (iii) किसी संवर्ग में सेवा का सोपान, (iv) न्यूनतम वांछित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, (v)

पदोन्नति के अवसर, (vi) कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की प्रकृति, (vii) समान कार्य के साथ क्षैतिज एवं ऊर्ध्व सापेक्षताएँ, (viii) लोक संपर्क, (ix) संतोष का स्तर, (x) नियोक्ता की भुगतान करने की क्षमता, आदि। हमने कुछ विस्तार से इन तथ्यों को संदर्भित किया है केवल इस बात पर जोर देने के लिए कि वेतन संरचना तैयार करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और सोपानीय व्यवस्था, पदोन्नति के अवसरों आदि को ध्यान में रखते हुए क्षैतिज और ऊर्ध्व सापेक्षताओं को सावधानीपूर्वक संतुलित किया जाना चाहिए। इस तरह सावधानीपूर्वक तैयार किए गए वेतन संरचना सामान्यतः बाधित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह संतुलन को बिगाड़ सकता है और दूसरे संवर्गों में भी परिहार्य हलचल पैदा कर सकता है।”

76. इसलिए, हमें निम्नलिखित मूल आधार पर आगे बढ़ना होगा:-

क) राज्य के पास दो अलग-अलग संवर्ग अर्थात् सरकारी शिक्षक और नियोजित शिक्षक होने के लिए खुले थे, जिसमें सरकारी शिक्षक एक मरणासन्न या लुप्त संवर्ग हैं। इन दो कैडरों की घटनाएं अलग-अलग हो सकती हैं। यह विचार अपने आप में भेदभावपूर्ण नहीं होगा।

(ख) नियोजित शिक्षकों को दिया गया वेतन ढांचा निश्चित रूप से सरकारी शिक्षकों को दिए गए वेतन से कम था, लेकिन सरकारी शिक्षक नियोजित शिक्षकों की संख्या की तुलना में काफी कम थे।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्तमान में राज्य में लगभग 66,000 सरकारी शिक्षक हैं, जबकि लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं। लगभग 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की संभावना है जिसका अर्थ यह हो सकता है कि 5 लाख शिक्षकों की तुलना में राज्य के शिक्षकों की संख्या धीरे-धीरे कम हो जाएगी।

(ग) जिस समता का दावा किया जाता है वह बड़े समूह द्वारा छोटे समूह के साथ की जाती है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, जो स्वयं एक मर रहा है या लुप्त हो रहा कैडर है।

(घ) नियोजित शिक्षकों की भर्ती का तरीका सरकारी शिक्षकों की भर्ती से पूरी तरह से अलग है जैसा कि ऊपर बताया गया है।

77. यदि वेतन संरचना को सामान्य रूप से भर्ती की विधि और भुगतान करने की नियोक्ता की क्षमता जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाता है और यदि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत की प्रयोज्यता की सीमाएं या योग्यताएं अन्य बातों के साथ-साथ भर्ती की प्रक्रिया के आधार पर विभेद को स्वीकार करती हैं, तो राज्य सरकार की ओर से लिया गया रुख अनुचित या अतार्किक नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार और पहुंच सुनिश्चित करना एक विशाल कार्य था। इसके अलावा, राज्य की साक्षरता दर जो राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे थी, भी एक ऐसा मामला था जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। इन मोर्चों पर राज्य द्वारा की गई प्रगति काफी स्पष्ट है। यह सब संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग से संभव हुआ। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग या उपयोग कैसे किया जाए और किस बात पर जोर दिया जाए कि कौन से कारक नीतिगत मामले हैं और हमारे सुविचारित विचार में राज्य किसी भी मामले में विफल नहीं हुआ है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा जोगिंदर सिंह 28 और जबर सिंह 29 के निर्णयों में निर्धारित किया गया है, राज्य में दो अलग-अलग धाराएं या कैडर होना उचित था। पंचायती राज संस्थानों में चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास और राज्य शिक्षकों के कैडर को समाप्त या समाप्त होने वाला कैडर बनाना शिक्षा के प्रसार को प्राप्त करने की एक ही प्रक्रिया का हिस्सा था। ये सभी मुद्दे एक समेकित नीति का हिस्सा थे और यदि न्यायिक हस्तक्षेप की प्रक्रिया द्वारा नियोजित शिक्षकों को समान वेतन और परिलब्धियां उपलब्ध कराने के लिए कोई निर्देश जारी किए जाते हैं, तो यह जबरदस्त असंतुलन पैदा कर सकता है और बजटीय संसाधनों पर भारी दबाव पैदा कर सकता है। यह सच है कि यदि किसी

नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो बजटीय बाधाएं या वित्तीय निहितार्थ कभी भी एक आधार नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार, आरटीई अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अर्थ लगाते समय, उस व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए जो अनुच्छेद 21 ए के तहत उपलब्ध अधिकार को एक वास्तविकता बनाएगी। अनुच्छेद में निहित तथ्य से पता चलता है कि यह प्रावधान अनिवार्य रूप से बाल केंद्रित है। इस बिंदु के संबंध में दो विचार नहीं हो सकते कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। तथापि, इस प्रकार के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए नियोजित शिक्षकों को उसी स्तर पर पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए जो कि राज्य के शिक्षकों पर लागू होता है। जिन तौर-तरीकों में विशेषज्ञ शिक्षकों को खोजा जा सकता है, चाहे उन्हें बेहतर पैमाना देकर और/या प्रासंगिक क्षमता पर जोर देकर, जिसका परीक्षण टीईटी परीक्षा जैसी परीक्षाओं के माध्यम से किया जा सकता है, उन पर कार्यपालिका को विचार करना है।

79. हमारे विचार में नियोजित शिक्षकों के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही उनके साथ कोई भेदभाव किया गया है। हमें नहीं लगता कि राज्य सरकार के प्रयासों को अनुचित या भेदभावपूर्ण करार दिया जा सकता है। नतीजतन, इस बारे में प्रस्तुतियां विचार के लिए नहीं आती हैं कि धन कैसे जुटाया जा सकता है और इसे कैसे जुटाया जाना चाहिए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर क्या बोझ पड़ेगा।

हमारे विचार से राज्य ने पिछले दशक में काफी प्रगति की है। इसने न केवल अपने आस-पड़ोस में स्कूलों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त किया है बल्कि साक्षरता दर बढ़ाने में भी सफलता प्राप्त की है। शिक्षा की धारा में अधिक लड़कियों को शामिल किया गया है और इसके परिणामस्वरूप टीएफआर, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, में भी काफी सुधार हुआ है। यदि ये वे लाभ या पुरस्कार हैं जिन्हें समाज प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए खड़ा है, तो राज्य को उचित स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्य द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए तालिका चार्ट नियोजित

शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए पैकेजों में राज्य द्वारा किए गए निरंतर सुधार को भी दर्शाते हैं। इन प्रयासों से यह भी पता चलता है कि राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और वर्तमान में सरकारी शिक्षकों और नियोजित शिक्षकों के बीच का अंतर धीरे-धीरे कम हो जाएगा। बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के मुकाबले देखते हुए, राज्य द्वारा उठाए गए कदम सही दिशा में हैं, जो इसके द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सारणी चार्ट से स्पष्ट हैं। इस समय, कोई भी निर्देश जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उस गति को भी तोड़ सकता है जिसे राज्य लगातार प्राप्त करने में सक्षम रहा है।

80. साथ ही, यह कहना कि प्रारंभिक चरण में नियोजित शिक्षकों को ऐसे परिलब्धियां दी जाती हैं जो एक ही विद्यालय में आदेशपाल और लिपिकों से कम होती हैं, एक ऐसा मामला है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सच है कि दो साल की सेवा के बाद नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले परिलब्धियों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन प्रारंभिक चरण में असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नियोजित शिक्षकों के लिए वेतन संरचना को निर्धारित करने के लिए हकदार हैं और अदालतें नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, लेकिन, यदि इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकृति का असंतुलन है, तो यह मामला चिंता का विषय है। शिक्षकों को उचित परिलब्धियां मिलनी चाहिए। उपरोक्त पैरा 32 (सी) में उल्लिखित चार्ट में, तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रस्तावित वृद्धि के साथ दो साल की सेवा के बाद नियोजित शिक्षकों को देय वेतनमान में चपरासी और लिपिक के संबंध में कुछ वृद्धि दिखाई देगी। राज्य नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को कम से कम समिति द्वारा सुझाए गए स्तर तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है, बिना किसी परीक्षा या समिति द्वारा सलाह दिए गए परीक्षा पर जोर दिए। जो लोग इस तरह की परीक्षा या परीक्षा को पास करते हैं, उन्हें और भी बेहतर तराजू दिए जा सकते हैं। यह केवल एक सुझाव है जिस पर राज्य विचार कर सकता है।

81. इन परिस्थितियों में, हम राज्य द्वारा प्रस्तुत इन अपीलों को स्वीकार करते हैं, अपील के तहत निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं और नियोजित शिक्षकों की ओर से दायर रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं।

82. अंत में, हमें मामलों में उपस्थित होने वाले सभी विद्वान वकीलों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हम सभी विद्वान वकीलों के आभारी हैं।

83. इन अपीलों को पूर्वोक्त शर्तों में अनुज्ञात किया जाता है। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं।

(अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति)

(उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति)

नई दिल्ली

10 मई, 2019

निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति

1. मुझे अपने सम्मानित भाई न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा प्रस्तावित एक विस्तृत, सुविचारित और विद्वत्तापूर्ण मसौदा निर्णय को पढ़ने का लाभ मिला है।

2. मैं तर्क और निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूँ, जो मेरे विद्वान भाई ने दिया है, जो तर्क की उल्लेखनीय स्पष्ट प्रक्रिया पर आधारित है। हालांकि, इन अपीलों में शामिल विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिसे वरिष्ठ वकीलों ने अपनी प्रस्तुतियों में तर्क दिया था, मैं अपने कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूँ।

3. यह मामला मुझे इस न्यायालय के एक प्रख्यात न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवियन बोस द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए व्यक्त की गई उपयुक्त टिप्पणियों की याद दिलाता है। बीडी सप्लाई कंपनी बनाम बीडी सप्लाई कंपनी भारत संघ और अन्य, एआईआर 1965 एससी 479 के मामले में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए व्यक्त की गई उपयुक्त टिप्पणियों की याद दिलाता है। 1956 एससी 479. विद्वान न्यायाधीश ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उद्देश्य और दायरे की जांच करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

4. विद्वान न्यायाधीश ने अपनी स्पष्ट और विशिष्ट लेखन शैली में पैरा 15 और 16 में टिप्पणियां कीं, जो इस प्रकार हैं:

“15. यह सब मुझे अत्यंत सम्मान के साथ एक सटीक विश्लेषण पर विराम लगाने के लिए प्रतीत होता है, क्योंकि समान लोगों के बीच भी दंड के मामले में न्यायाधीशों, पुलिस और राज्य के लिए एक बड़ा विवेक छोड़ दिया गया है कि वे मुकदमा चलाएं या नहीं और अधिकारियों के एक समूह के लिए परमिट या लाइसेंस प्रदान करें या न करें। अंत में, सीखने के दौर में और लेख के आसपास बात करने के बाद हम उस समय की तुलना में ज्यादा बुद्धिमान नहीं

हैं जब हमने शुरुआत की थी और अंत में इसकी सरल वाक्यांश पर वापस आते हैं -

“राज्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।”

16. सच्चाई यह है कि सटीक होना असंभव है, क्योंकि हम अमूर्त चीजों से निपट रहे हैं और हालांकि परिणाम स्पष्ट हैं, फिर भी किसी भी विचार को किसी सटीक विश्लेषण तक नीचे गिराना असंभव है। मेरे विचार से अनुच्छेद 14 में कानून के शासन के बजाय एक मनोवृत्ति, एक जीवन शैली का उल्लेख किया गया है। यह लोगों की चेतना में व्यापक रूप से एक ऐसी चीज के बारे में एक सामान्य जागरूकता को समाविष्ट करता है जो विद्यमान है और जो बहुत वास्तविक है, लेकिन जिसे किसी दिए गए मामले में कहने के अलावा तथ्य के किसी भी सटीक विश्लेषण के लिए सीमित नहीं किया जा सकता है कि यह रेखा के इस तरफ आता है या उस तरफ आता है, और उस कारण एक ही बिंदु पर निर्णय अलग-अलग होते हैं, देश के एक हिस्से में एक निष्कर्ष और दूसरे कहीं दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय आज और कल जब समाज का आधार बदल गया है और वर्तमान सामाजिक सोच की संरचना अलग-अलग है। यह कानून नहीं है जो समय की बदलती हुई स्थितियों को बदलता है बल्कि अनुच्छेद 14 एक तथ्य के प्रश्न को संकीर्ण करता है जिसे प्रत्येक मामले के उठने के साथ देश के सर्वोच्च न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। (इस बिंदु पर देखें लार्ड समनर का तर्क बोमैन बनाम सेक्युलर सोसाइटी लिमिटेड, 1917 ए. सी.) इन मामलों में हमेशा परस्पर विरोधी दावों का टकराव होता है और उनके बीच किसी समझौते पर पहुंचना न्यायिक प्रक्रिया का मूल है।

कोई भी व्यक्ति किसी प्रश्न का निर्णय कर सकता है यदि केवल एक ही सिद्धांत का प्रश्न हो। कठिनाई का मूल यह है कि न्यायालयों के समक्ष शायद ही ऐसा कोई प्रश्न आता है जिसमें एक से अधिक तथाकथित सिद्धांत शामिल न हों। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपीलस के न्यायाधीश लियोनार्ड हैंड ने अमरीकी संविधान के बारे में कहा।”

5. इसलिए न्यायमूर्ति विवियन बोस की पूर्वोक्त टिप्पणियों को प्रत्येक मामले (वर्तमान मामले के साथ) में उत्पन्न प्रकृति के प्रश्न का विनिश्चय करते समय हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

6. जैसा कि न्यायमूर्ति ललित के भाई ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है, इन अपीलों में अंतर्वलित मुद्दे का उत्तर इस न्यायालय की संविधान पीठ के दो विनिश्चयों द्वारा दिया गया है। पंजाब राज्य बनाम जोगिन्दर सिंह, 1963 सप्ली (2) एससीआर 169 और जबर सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर 1995 एससी 674 हरियाणा राज्य और अन्य (1972) 2 एससीसी 275।

7. मेरे विचार में भी, इस मुद्दे, जो इन अपीलों का विषय है, का निर्णय संविधान पीठ के उपरोक्त दो निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।

8. मैं, इस स्तर पर, एन. मीरा रानी बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य, ए. आई. आर. 1989 एससी 2027 में एक निर्णय को संदर्भित कर सकता हूँ। इस मामले में, यह तर्क दिया गया था कि अपील में शामिल सवाल रामेश्वर शॉ बनाम जिलाधिकारी, बर्दवान, एआईआर 1964 एससी 334 में संविधान पीठ के फैसले द्वारा शासित होता है। यह उल्लेख करना उचित है कि इसी प्रश्न का निर्णय इस न्यायालय द्वारा भी किया गया था, लेकिन यह निर्णय कई मामलों में संविधान पीठ के निर्णय के बाद लिया गया था। तथापि, उसी प्रश्न पर पश्चात्पूर्ति विनिश्चय न्यायाधीशों की कम संख्या वाली न्यायपीठों द्वारा किए गए।

9. न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ने तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ की ओर से बोलते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि उनके समक्ष अपील में अंतर्वलित प्रश्न का विनिश्चय संविधान न्यायपीठ द्वारा अधिकथित विधि के आलोक में किया जाना चाहिए क्योंकि प्रथम तो यह संविधान न्यायपीठ द्वारा दिया गया विनिश्चय है दूसरा, यह समय के बिन्दु पर पूर्व है और तीसरा, बाद के विनिश्चयों में अधिकथित विधि को संविधान न्यायपीठ द्वारा अधिकथित विधि के प्रकाश में पढ़ा जाना है। हिज लार्डशिप ने पैरा 13 में कहा है:

“13. अब हम उन निर्णयों के प्रति निर्देश कर सकते हैं जिनके आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाना है। प्रारंभिक बिन्दु रामेश्वर शॉ बनाम जिलाधिकारी, बर्दवान, एआईआर 1964 एससी वाले मामले में संविधान पीठ का निर्णय है। सभी पश्चात्कर्ती विनिश्चयों को, जो उद्धृत किए गए हैं, इस संविधान न्यायपीठ के विनिश्चय के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि वे न्यायाधीशों की कम संख्या वाली न्यायपीठों द्वारा विनिश्चय हैं। यह स्पष्ट है कि इन पश्चात्कर्ती निर्णयों में से किसी का आशय रामेश्वर शॉ के मामले में संविधान पीठ के आशय के विपरीत दृष्टिकोण अपनाने का नहीं था।”

10. एन. मीरा रानी (पूर्वोक्त) में अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह मत है कि इन अपीलों में अंतर्वलित प्रश्न का विनिश्चय जोगिंदर सिंह (ऊपर) और जबर सिंह (ऊपर) में दिये गए संविधान के दो विनिश्चयों द्वारा अधिकथित विधि के आलोक में किए जाने की आवश्यकता है।

11. यद्यपि प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील ने यह प्रतिवाद करने में अपनी ओर से ईमानदार प्रयास किए कि जोगिंदर सिंह (ऊपर) और जबर सिंह (ऊपर) में अधिकथित कानून का इन अपीलों में शामिल प्रश्न पर कोई उपयोग नहीं है क्योंकि इसमें शामिल तथ्य इन अपीलों में शामिल तथ्यों के समान नहीं हैं, हमें डर है, हम इस प्रस्तुति को स्वीकार नहीं कर सकते। मेरी राय में ऐसा नहीं है।

12. न्यायमूर्ति श्री ललित ने अपनी राय के पैरा 72 से 74 में इस प्रश्न पर विस्तार से विचार किया है। मैं उससे अन्यर्निहित उनके तर्क से सम्मान के साथ सहमत हूँ।

13. अतः, मेरा यह भी विचार है कि अपील अनुज्ञात करने लायक हैं और तदनुसार उन्हें अनुज्ञात किया जाता है। आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

[अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति]

नई दिल्ली

10 मई, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।